

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ मर्यादित

ए-25, व्ही.आई.पी. इस्टेट, खम्हारडीह, शंकरनगर, रायपुर - 492007

पंजीयन क्रमांक. 225 दिनांक 31.10.2000



तेरहवीं वार्षिक साधारण सभा

दिनांक : 23 मार्च 2013
समय : दोपहर 12.00 बजे
स्थान : होटल सेलीब्रेशन, स्टेशन रोड, रायपुर

कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित

ए-25 व्ही.आई.पी.इस्टेट, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)-492007

दूरभाष: (0771) 4065100 से 4065110 तक फैक्स : 2283594

E-mail : cgmfpfed@sancharnet.in

Website : www.cgmfpfed.org

क्रमांक/वनो/सह./13वीं/वार्षिक आमसभा/2013/3742

रायपुर, दिनांक 12/03/2013

प्रति,

01. माननीय श्री मुरारीलाल सिंह, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर.
पता- ग्राम व पोस्ट डेडरी, सूरजपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)
02. श्री सगोसिंग वट्टी, उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर
पता- ग्राम पो. धनेसरा, तह. नरहरपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छ.ग.
03. श्रीमती ब्रम्हानी चन्द्राकर, संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर,
पता- ग्राम अछोली, पोस्ट आमगांव, तह. छुरिया, जिला राजनांदगांव, छ.ग.
04. श्री रूपनारायण पाण्डेय, संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर,
पता- ग्राम मुड़ीझरिया, पोस्ट पतेरापाली, तह. बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया, छ.ग.
05. श्री पुनीत राम सिन्हा, संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर,
पता- ग्राम- छेल डोगरी, पोस्ट गोहरापदर, थाना व तह. मैनपुर, जिला रायपुर
06. कार्यकारी संचालक, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित, एन.सी.यू.
आई, बिल्डिंग दूसरी मंजिल 3, सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई
दिल्ली-110016.
07. संचालक, आदिम जाति कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, रूम नं. एफ-280,
अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110016
08. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
09. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
10. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर.
11. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
12. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, रायपुर.
13. मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) वन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर.
14. श्री ए.के.सिंह, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
15. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर.

- 16 श्री नीलम गनपत, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बीजापुर, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम-गुलापेटा पो.-चंदनगिरी तह. भोपालपटनम जि.-बीजापुर ।
- 17 श्री कवासी रमेश, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सुकमा, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम व पोस्ट रामाराम, तह.कोटा, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा ।
- 18 श्री राजाराम नाग, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दन्तेवाड़ा, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम चन्दीनार, पोस्ट कुमाररास, तह. एवं जिला दन्तेवाड़ा ।
- 19 श्री केदारनाथ साहनी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जगदलपुर, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम माड़पाल, पोस्ट कुरन्दी, जिला बस्तर ।
- 20 श्री सुकदास शारदूल, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दक्षिण कौंडागांव, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम गिरोला, पोस्ट गिरोला, तह.कोडागांव, जिला बस्तर ।
- 21 श्रीमती राजकुमारी मरकाम, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, उत्तर कोण्डागांव, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम व पोस्ट बॉसकोट, तहसील केशकाल, जिला बस्तर ।
- 22 श्री महादेव देहारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, नारायणपुर संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम डूमरतरई, पोस्ट- वाकुलवाही, तहसील व जिला नारायणपुर ।
- 23 श्री टीकम टांडिया, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पूर्व भानुप्रतापपुर, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम व पोस्ट भीरागांव, तह.भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर ।
- 24 श्री दिवाकर बैरागी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पश्चिम भानुप्रतापपुर, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम पी.व्ही.39, पोस्ट पी.व्ही.38, तह.पखांजूर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर ।
- 25 श्री मोतीराम उईके, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, खैरागढ़, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम खमपुरा, पो.बोरतालाब, तह.डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव ।
- 26 श्री गंगाराम ठाकुर, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दुर्ग, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम कंजेली, तहसील बालोद, जिला दुर्ग ।
- 27 श्री पंचराम धुर्वे, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कवर्धा, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम व पोस्ट कुकदुर, तह.पण्डरिया, जिला कबीरधाम ।
- 28 श्री आलोक सिन्हा, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धमतरी, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम व पोस्ट नगरी, जिला धमतरी ।
- 29 श्री रामनारायण, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पूर्व रायपुर, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम व पोस्ट फिगेश्वर, तह.राजिम जिला रायपुर ।
- 30 श्री रविशंकर गोड़, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, महासमुंद, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम डोंगरीपाली, पोस्ट छोटे लोरम, जिला महासमुंद ।
- 31 श्री बलभद्र सिंह ठाकुर, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, रायपुर, संघ प्रतिनिधि,
पता-ग्राम बरपानी, पो.सोनपुर व्हाया सांकरा जोंक, जिला रायपुर ।

- 32 श्री तीजम सिंह मरावी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बिलासपुर, संघ प्रतिनिधि, पता- ग्राम जुगली, पोस्ट सौफी, थाना सीपत, तहसील मस्तुरी, जिला बिलासपुर ।
- 33 श्री दयाल सिंह यादव जिला वनोपज सहकारी यूनियन, मरवाही, संघ प्रतिनिधि, पता- ग्राम करगीखुर्द, पोस्ट जोगीसार, जिला बिलासपुर ।
- 34 श्री चुन्नीलाल साहू, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जांजगीर चांपा, संघ प्रतिनिधि, पता- ग्राम व पोस्ट खिसोरा, थाना बलौदा, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा ।
- 35 श्री नृपत सिंह राठिया, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, रायगढ़, संघ प्रतिनिधि, पता- ग्राम-बैहामुड़ा, पो बैहामुड़ा, तह.घरघोड़ा, जिला रायगढ़ ।
- 36 श्रीमती मनकुंवर राठिया, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धरमजयगढ़, संघ प्रतिनिधि, पता- ग्राम बरतापाली, पोस्ट गेरसा, तहसील धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ ।
- 37 श्री उधोराम कश्यप, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरबा, संघ प्रतिनिधि, पता- मु.सण्डैल, पो.सरगबुंदिया, जिला कोरबा ।
- 38 श्री अक्षय कुमार अग्रवाल, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कटघोरा, संघ प्रतिनिधि, पता- ग्राम लखनपुर, पोस्ट सुतरा, तह.कटघोरा, जिला कोरबा ।
- 39 श्री रामस्वरूप यादव, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जशपुरनगर, संघ प्रतिनिधि, पता- ग्राम खैरापाठ, जे. कामरिया, तह.बागीचा, जिला जशपुर ।
- 40 श्री जयपाल सिंह, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, मनेन्द्रगढ़, संघ प्रतिनिधि, पता- ग्राम सनबोरा, पोस्ट कुंवारपुर, तह. भरतपुर, जिला कोरिया ।
- 41 श्री करमदेव, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पूर्व सरगुजा, संघ प्रतिनिधि, पता- ग्राम ओंकारनगर, पोस्ट महाराजगंज, जिला सरगुजा ।
- 42 श्री कृष्ण मुरारी यादव, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, उत्तर सरगुजा, संघ प्रतिनिधि, पता- ग्राम गौंजर, पोस्ट रामचंदपुर, जिला सरगुजा ।

विषय :- छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर की तेरहवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 23.03.2013 की सूचना ।

संदर्भ :- कार्यालयीन पत्र क्रमांक/वनो./सह./13वीं/वार्षिक आमसभा/2013/2770, दिनांक 21/02/2013

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर की तेरहवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 23.03.2013 दिन शनिवार को दोपहर 12.00 बजे से आयोजित करने की सूचना दी गई है । वार्षिक सभा का आयोजन होटल सेलीब्रेशन, स्टेशन रोड, रायपुर में किया जाना है । छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के सदस्यों अर्थात प्रत्येक जिला वनोपज सहकारी यूनियन से निर्वाचित प्रतिनिधि एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के संचालकों की उपस्थिति प्रार्थनीय है । वार्षिक साधारण सभा निम्नलिखित कार्यसूची पर विचार करने हेतु आहूत है ।

कार्यसूची

- विषय क्रमांक 1 बारहवीं वार्षिक साधारण आमसभा दिनांक 24.03.2012 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन ।
- विषय क्रमांक 2 वित्तीय वर्ष 2012-13 में किये गये कार्यों का विवरण ।
- विषय क्रमांक 3 वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का अनुमोदन ।
- विषय क्रमांक 4 वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए बजट की स्वीकृति ।
- विषय क्रमांक 5 वित्तीय वर्ष 2011-12 के वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन ।
- विषय क्रमांक 6 वर्ष 2003-04 के शुद्ध लाभ के विभाजन का अनुमोदन ।
- विषय क्रमांक 7 वर्ष 2004-05 के शुद्ध लाभ के विभाजन का अनुमोदन ।
- विषय क्रमांक 8 वित्तीय वर्ष 2000-01 से 2004-05 तक के अंकक्षण टीप, अंकेक्षक द्वारा उठाई गई आपत्तियों एवं आय-व्यय पत्रकों की स्वीकृति ।

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ।

नोट:- निर्धारित समय पर गणपूर्ति के अभाव में आयोजित वार्षिक साधारण सभा आधे घण्टे स्थगित होने के पश्चात दोपहर 12.30 बजे से पुनः उसी स्थान पर साधारण सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी ।

कृपया निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर सभा में उपस्थिति प्रार्थनीय है । वार्षिक साधारण सभा की पुस्तिका संलग्न प्रेषित है ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

सही/-

सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं
विकास सहकारी संघ, मर्यादित रायपुर

अध्यक्षीय उद्बोधन

सम्माननीय प्रतिनिधिगण तथा संचालकगण

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ की तेरहवीं वार्षिक आमसभा में उपस्थित सभी माननीय प्रतिनिधियों एवं संचालक मण्डल के सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ ।

सहकारिता के त्रिस्तरीय ढांचे में लघु वनोपज संघ 915 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों एवं 32 जिला वनोपज सहकारी यूनियनों की शीर्ष सहकारी संस्था है, जिसका कार्यक्षेत्र पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य है । छत्तीसगढ़ राज्य में 44 प्रतिशत क्षेत्र वनभूमि होने के कारण यहां पर लघु वनोपज होने का बाहुल्य है । लगभग 13 लाख परिवार लघु वनोपज के संग्रहण से आय प्राप्त करते हैं, जिसमें से अधिकांश गरीब एवं आदिवासी हैं । राज्य वनोपज संघ इन्ही वर्गों के आर्थिक व सामाजिक उन्नति के लक्ष्य की पूर्ति में अग्रसर है ।

संग्रहण सीजन 2012 में 17.15 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण हुआ था और इसका विक्रय मूल्य रु. 646.90 करोड़ है ।

संग्रहण वर्ष 2013 में संग्रहित होने वाले तेन्दूपत्ते की अनुमानित मात्रा 16.438 लाख मानक बोरा बोरा में से 13.070 लाख मानक बोरा का अग्रिम विक्रय रु. 352.96 करोड़ में किया गया, जिससे औसत विक्रय दर रु. 2700/- प्रति मानक बोरा प्राप्त हुई । शेष इकाईयों के निवर्तन की कार्यवाही की जा रही है, इस वर्ष तेन्दूपत्ता की मांग कम होने के कारण निविदाकारों द्वारा कम रुचि ली जा रही है । संग्राहकों को लगभग रुपये 180.82 करोड़ संग्रहण पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त होने की संभावना है ।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2008 से निर्णय लिया गया है कि 80 प्रतिशत राशि संग्राहकों को “प्रोत्साहन पारिश्रमिक” के रूप में वितरित की जाये । 15 प्रतिशत राशि संग्राहकों समितियों को अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के व्यापार हेतु उपलब्ध कराई जाये । यह राशि समितियों को अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय एवं विक्रय, भंडारण तथा प्रसंस्करण हेतु उपलब्ध कराई जाएगी । समितियों द्वारा यह कार्य लघु वनोपज संघ के मार्गदर्शन में किया जाएगा । शेष 5 प्रतिशत राशि का उपयोग घाटे वाली समितियों के घाटे की अस्थायी प्रतिपूर्ति हेतु परिक्रमण निधि के रूप में संघ मुख्यालय में सुरक्षित रखी जाये ।

तेन्दूपत्ता जल जाने या क्रेता करारनामा समाप्त होने के कारण क्रेता से पूर्ण विक्रय मूल्य समय पर न प्राप्त हो जाने के कारण कुछ प्राथमिक सहकारी समितियों को या तो प्रोत्साहन पारिश्रमिक प्राप्त ही नहीं होता था अथवा बहुत कम प्राप्त हो पाता था तथा इस कारण संग्राहकों में असंतोष होता था । अतः वर्ष 2010 से शासन ने संग्राहकों के हित में यह निर्णय लिया कि संग्रहण वर्ष 2010 एवं आगामी वर्षों में तेन्दूपत्ता जलने पर अथवा अन्यथा प्रथम विक्रय के आधार पर पूर्ण विक्रय मूल्य प्राप्त न होने पर क्रेता करारनामा

समाप्त होने के कारण प्रथम विक्रय में स्वीकृत दर के आधार पर प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण किया जाए ।

इसके अतिरिक्त अनेक समितियों में विगत अनेक वर्षों में लगातार लाभ पर होने पर भी पुराने घाटे के कारण हानि में होती थी एवं इस कारण उनको प्रोत्साहन पारिश्रमिक न मिलने से संग्राहकों में असन्तोष होता था । अतः शासन ने यह निर्णय लिया कि संग्रहण वर्ष 2010 तक के लगभग रुपये 11.10 करोड़ के घाटे को माफ किया जावे, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2011 में प्रदेश की समस्त प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों में प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण किया जा रहा है ।

उक्त निर्णय अनुसार वर्ष 2011 के तेंदूपत्ता के निर्वर्तन उपरांत प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की राशि में से 80 प्रतिशत की राशि रुपये 156.07 करोड़ 896 समितियों में वितरित करने हेतु जिला यूनियन को उपलब्ध कराई गई । समितियों द्वारा राशि रुपये 148.37 करोड़ जन प्रतिनिधियों के समक्ष वितरित की गई । शेष राशि का वितरण कार्य प्रगति पर है ।

विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी शासन निर्देशानुसार तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के एक पुरुष सदस्य को एक जोड़ी चरणपादुका वितरित की जावेगी । इस हेतु राज्य शासन से लघु वनोपज संघ को रुपये 15 करोड़ की राशि उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा बजट में प्रावधान किया गया है । लगभग 12.55 लाख जोड़ी चरणपादुका क्रय की कार्यवाही की जा रही है जिसका कि वितरण इस वर्ष कर दिया जावेगा । इन परिवार के एक महिला सदस्य को इस वर्ष एक साड़ी भी वितरित की जावेगी । साड़ी क्रय की कार्यवाही की जा रही है जिसका कि वितरण इस वर्ष कर दिया जावेगा ।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ वनोपज द्वारा अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज संवर्धन एवं विकास हेतु यूरोपियन कमीशन परियोजना की सहायता से अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्य परियोजना स्वीकृत की गई है । यह योजना वित्तीय वर्ष 2006-07 से प्रारंभ हुई है तथा मार्च 2013 में समाप्त होगी । योजना के क्रियान्वयन हेतु अब तक कुल राशि रु. 2120.64 लाख प्राप्त हुई है । वर्ष 2012-13 में इस मद से राशि रु. 237.22 लाख के विभिन्न विकास कार्य कराए गए हैं । इस राशि से लघु वनोपज का संसाधन सर्वेक्षण, हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा, लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण तथा विपणन, सूचना प्रबंधन प्रणाली, अनुसंधान एवं विस्तार, प्रमाणीकरण तथा क्षमता विकास आदि कार्य क्रियान्वित किये जा रहे हैं । जिससे राज्य के लघु वनोपज संग्राहकों को अतिरिक्त रोजगार एवं आय प्राप्त हो रही है ।

स्व-सहायता समूह/वन समिति/प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के माध्यम से वनोपज संग्रहण/प्रसंस्करण एवं विपणन के कार्य संघ द्वारा किया गया है । विभिन्न स्रोतों से प्राप्त राशि से माहुलपत्ता, इमली, आंवला, काजू, चिरौंजी, शहद, लाख एवं वनौषधि आधारित कुल 93 माइक्रोइंटरप्राइजेस स्थापित किए गए हैं । प्रदेश के वन क्षेत्र में ग्रामीणों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने हेतु 27 जिलों के 50 स्थानों में वनौषधालय की स्थापना हेतु

कार्यवाही की गई है, जिससे वनवासी ग्रामीण अपने नजदीक ही चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। समस्त 6 वन वृत्त मुख्यालय पर स्थापित NWFDP मार्ट तथा विभिन्न जिला यूनियनों में स्थापित 43 संजीवनी के माध्यम से लघु वनोपज के उत्पादों के विक्रय का कार्य किया जा रहा है। “छत्तीसगढ़ हर्बल्स” ब्रांड के इन उत्पादों का वॉल पेंटिंग, टेलीविजन, रेडियो एवं विभिन्न मेलों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर ब्रांड प्रमोशन के कार्य किए जा रहे हैं। क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक कुल 15908 हितग्राहियों, 4359 स्टॉफ एवं 2733 वन प्रबंधन समिति के सदस्यों को स्व सहायता समूह गठन एवं सशक्तिकरण, माहुल पत्ता प्रसंस्करण, इमली प्रसंस्करण, वनौषधि प्रसंस्करण, कच्चे लघु वनोपज संग्रहण तथा विनाश विहीन विदोहन, लाख पालन, शहद संग्रहण एवं प्रसंस्करण के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है। परियोजना अंतर्गत कुल 8 सेमिनार / कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें लगभग 458 स्टॉफ एवं अन्य द्वारा भाग लिया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रयास से विगत 7-8 वर्षों में औसतन 7000 मी.टन लाख उत्पादन के साथ भारत में छत्तीसगढ़ लाख उत्पादक अग्रणी राज्यों में से एक रहा है। वर्ष 2012-13 के लिए लाख विकास योजना के तहत राशि रु. 250.00 लाख का प्रावधान रखा गया है तथा वित्तीय वर्ष में लाख पालन माइक्रोइंटरप्राइजेस की 51 परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी है। ग्रामीणों को लाख पालन की तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कांकेर में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण एवं विस्तार केन्द्र की स्थापना की जा रही है। लाख पालन को बढ़ावा देने हिन्दी तथा छत्तीसगढ़ी भाषा में विडियो फिल्म के माध्यम से जिला यूनियनों तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों के द्वारा प्रचार-प्रसार का कार्य भी किया जा रहा है। यहां यह विशेष रूप से उल्लेख है कि जिला यूनियनों के संचालक मंडल के 100 से अधिक सदस्यों की अब तक भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गौद संस्थान (IINRG) रांची द्वारा लाख पालन एवं इसकी क्रिया विधि के संबंध में प्रशिक्षण भी दिया गया है तथा यह सतत प्रक्रिया प्रदेश के समस्त जिला यूनियनों के संचालक मंडल के सदस्यों के लिए जारी है।

प्रदेश में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के माध्यम से लाख पालन एवं प्रसंस्करण परियोजना के अंतर्गत 26 माइक्रोइंटरप्राइजेस को जिला यूनियनों में संचालित किया जा रहा है। परियोजना के अवधि वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक है तथा इसके लिए 14.97 करोड़ रु. प्रावधानित है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सुदूर वनांचल क्षेत्रों के लोगों को लाख पालन एवं प्रसंस्करण के माध्यम से जीविकोपार्जन हेतु आय के अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराना है। परियोजना अवधि में 13204 हितग्राहियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है, जिसमें वर्ष 2012-13 के लिए 748.91 लाख का प्रावधान रखा गया है।

यू.एन.डी.पी. - पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक के लिये 2.7 करोड़ की जन सहयोग आधारित जैव विविधता संरक्षण व प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन परियोजना स्वीकृत की गयी है। इस परियोजना के संचालन हेतु

जगदलपुर, उत्तर कोंडागांव एवं कटघोरा वनमंडल के कुल 19241.284 हेक्टेयर क्षेत्र अंतःस्थलीय संरक्षण हेतु चयनित किया गया है। संसाधन सर्वेक्षण, अंतः स्थलीय संरक्षण, बाह्य स्थलीय संवर्धन, वनोषधालय स्थापना, गैरवानिकी जैव विविधता विकास, अनुसंधान एवं विस्तार, जैविक प्रमाणीकरण, लाख पालन, ईमली, चिरौजी व माहुल पत्ता का संग्रहण व प्रसंस्करण, कोसा पालन एवं स्व सहायता समूहों एवं वन समितियों के क्षमता विकास के कार्य किये गये हैं।

जनश्री बीमा योजना के अन्तर्गत सामान्य मृत्यु होने पर रूपये 20000/-, आंशिक विकलांगता होने पर रूपये 25,000/-, दुर्घटना मृत्यु/पूर्ण विकलांगता होने पर रूपये 50,000/- की राशि स्वयं अथवा उसके आश्रितों को प्राप्त होती है। इस योजना के प्रीमियम की 75 प्रतिशत राशि गरीब संग्राहकों के हित में राज्य शासन तथा 25 प्रतिशत राशि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वहन की जा रही है। इसमें समस्त 18 से 59 वर्ष आयु के तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया जिनके द्वारा 2010 या 2011 में तेन्दूपत्ता तोड़ा गया है, बीमित है। इस योजना में भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा वर्ष 2012-13 में माह जनवरी 2013 तक कुल 2657 व्यक्तियों को रूपये 5.789 करोड़ का दावा राशि का भुगतान किया गया।

इसके अतिरिक्त बीमित मुखिया परिवारों के कक्षा 9वीं से 12वीं तथा आई.टी.आई. में पढ़ने वाले 2 बच्चों को रूपये 600/- प्रति छा:माही प्रति छात्र छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। शैक्षणिक वर्ष 2011-12 की माह जनवरी 2013 तक कुल रूपये 8.660 करोड़ की छात्रवृत्ति की (72,176 छात्र/छात्राओं) की राशि वितरण हेतु उपलब्ध करायी जा चुकी है।

तेन्दूपत्ता परिवार के मुखिया के अतिरिक्त परिवार के शेष सदस्यों के लिए पुरानी समूह बीमा योजना जारी रखी गई है। इस योजना के तहत संग्राहकों की सामान्य मृत्यु होने पर रूपये 3,500/- तथा दुर्घटना के कारण आंशिक रूप से विकलांगता होने पर रूपये 12,500/- तथा दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता या मृत्यु होने पर रूपये 25,000/- की राशि देने का प्रावधान है। चूंकि सामान्य मृत्यु की दशा में यह राशि बहुत कम है, अतः वर्ष 2011-12 से एक अटल तेन्दूपत्ता संग्राहक योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत दुर्घटना या साधारण मृत्यु की दशा में पृथक से रूपये 4000/- का भुगतान हितग्राहियों को किया जा रहा है। इस योजना में भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा वर्ष 2012-13 में माह जनवरी 2013 तक कुल 1268 व्यक्तियों को रूपये 0.507 करोड़ की दावा राशि का भुगतान किया गया।

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों हेतु शिक्षा प्रोत्साहन योजना वर्ष 2011-12 से लागू की गई है जिसके अंतर्गत :-

(क) **मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार :-** प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति क्षेत्र के अंतर्गत कक्षा 8वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को रूपये 2000/-, कक्षा 10वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को रूपये 2500/- तथा कक्षा 12वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त

करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को रूपये 3000/- का पुरस्कार दिया जाता है । माह जनवरी 2013 तक कुल 3020 छात्र/छात्राओं को कुल राशि रूपये 80.19 लाख का भुगतान किया जा चुका है ।

- (ख) **व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति :-** प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति में प्रत्येक वर्ष एक विद्यार्थी का चयन इस छात्रवृत्ति हेतु किया जाता है, जिसने किसी भी व्यवसायिक कोर्स जैसे - इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, एम.बी.ए. तथा नर्सिंग में प्रवेश लिया हो तथा जिस कोर्स में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं हो । चयनित विद्यार्थी को प्रथम वर्ष में रूपये 10,000/- एवं द्वितीय वर्ष तथा पश्चात्तुर्वर्ती वर्षों में रूपये 5,000/- प्रतिवर्ष अधिकतम कुल 4 वर्षों तक राशि उपलब्ध करायी जाती है । माह जनवरी 2013 तक कुल 187 छात्र/छात्राओं को कुल राशि रूपये 17.70 लाख का भुगतान किया जा चुका है ।
- (ग) **गैर-व्यवसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना :-** प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति में प्रत्येक वर्ष एक छात्र व एक छात्रा का चयन किया जाता है, जिसने कि किसी भी राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी गैर व्यावसायिक स्नातक कोर्स जैसे बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम., आदि में लिया हो तथा जिस कोर्स में प्रवेश की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं उत्तीर्ण हो । विद्यार्थी को प्रथम वर्ष में 5000/- द्वितीय वर्ष में 4000/- तृतीय वर्ष में 3000/- कुल तीन वर्षों में रूपये 12000/- की राशि उपलब्ध करायी जाती है ।

माह जनवरी 2013 तक कुल 465 छात्र/छात्राओं को कुल राशि रूपये 36.05 लाख का भुगतान किया जा चुका है ।

आभार

मैं राज्य लघु वनोपज संघ की ओर से पुनः सभी उपस्थित संचालक मण्डल के माननीय सदस्यगणों, जिला यूनियनों से आये प्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ जिनके कारण संघ आदिवासियों एवं ग्रामीणों को लघु वन उपज संग्रहण का अधिक से अधिक पारिश्रमिक दिलाने में सफल हो सका है तथा उनके मजदूर से मालिक बनने का सपना साकार कर सका है । आशा करता हूँ भविष्य में भी आप सभी इसी प्रकार से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लघु वनोपज संघ के संग्राहकों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिये कार्य करते रहेंगे ।

जय सहकार । जय छत्तीसगढ़ ।

(मुरारी लाल सिंह)
अध्यक्ष

विषय-सूची

अनुक्रमांक	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.	बारहवीं वार्षिक साधारण आमसभा दिनांक 24.03.2012 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन ।	1-20
2.	वित्तीय वर्ष 2012-13 में किये गये कार्यों का विवरण ।	21-54
3.	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का अनुमोदन ।	55-62
4.	वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए बजट की स्वीकृति ।	63-68
5.	वित्तीय वर्ष 2011-12 के वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन ।	69-79
6.	वर्ष 2003-04 के शुद्ध लाभ के विभाजन का अनुमोदन ।	80
7.	वर्ष 2004-05 के शुद्ध लाभ के विभाजन का अनुमोदन ।	81
8.	वित्तीय वर्ष 2000-01 से 2004-05 तक के अंकक्षण टीप, अंकेक्षक द्वारा उठाई गई आपत्तियों एवं आय-व्यय पत्रकों की स्वीकृति ।	परिशिष्ट-ण

विषय क्रमांक - 1

विषय :- बारहवीं वार्षिक साधारण आमसभा दिनांक 24.12.2012 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन ।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की बारहवीं वार्षिक आमसभा संघ के माननीय अध्यक्ष श्री मुरारीलाल सिंह की अध्यक्षता में अनुसंधान एवं विस्तार वन मण्डल कार्यालय, वन परिसर पण्डरी, रायपुर में दिनांक 24.03.2012 दिन शनिवार को अपराह्न 2.30 बजे से प्रारंभ की गई ।

बैठक के प्रारंभ में प्रबंध संचालक द्वारा माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक सदस्यों एवं सदस्य संस्थाओं से आये संघ प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत किया गया । सभी संचालक सदस्यों एवं प्रतिनिधियों का परिचय प्राप्ति उपरांत आमसभा की कार्यवाही प्रारंभ की गई ।

आमसभा में निम्नानुसार पदाधिकारी उपस्थित रहे :-

01	माननीय श्री मुरारीलाल सिंह, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित, रायपुर	अध्यक्ष
02	श्री सग्गेशिंग बट्टी, उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर,	उपाध्यक्ष
03	श्रीमती ब्रम्हानी चन्द्राकर, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर	संचालक
04	श्री रूपनारायण पाण्डेय, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर,	संचालक
05	श्री पुनीत राम सिन्हा, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर,	संचालक
06	श्री धीरेन्द्र शर्मा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर	सदस्य
07	श्री आर.के टामटा, मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) वन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर	सदस्य
08	श्री अशोक कुमार मिश्रा, क्षेत्रीय महाप्रबंधक, वास्ते, कार्यकारी संचालक, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित, नई दिल्ली	सदस्य
09	श्री एल.के.मिश्रा, विशेष कर्तव्य अधिकारी, वास्ते सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर	सदस्य

10	श्री संदीप गुप्ता, उप पंजीयक, वास्ते पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ रायपुर	सदस्य
11	श्री बलभद्र सिंह ठाकुर, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, रायपुर,	प्रतिनिधि
12	श्री रामनारायण, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पूर्व रायपुर,	प्रतिनिधि
13	श्री आलोक सिन्हा, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धमतरी,	प्रतिनिधि
14	श्री तीजम सिंह मरावी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बिलासपुर,	प्रतिनिधि
15	श्री दयाल सिंह यादव, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, मरवाही,	प्रतिनिधि
16	श्री नृपत सिंह राठिया, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, रायगढ़,	प्रतिनिधि
17	श्रीमती मानकुंवर राठिया, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धरमजयगढ़,	प्रतिनिधि
18	श्री अक्षय कुमार गर्ग, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कटघोरा,	प्रतिनिधि
19	श्री उधोराम कश्यप, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरबा,	प्रतिनिधि
20	श्री गंगाराम ठाकुर, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दुर्ग,	प्रतिनिधि
21	श्री मोतीराम उईके, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, खैरागढ़,	प्रतिनिधि
22	श्री पंचराम धुर्वे, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कवर्धा,	प्रतिनिधि
23	श्री केदारनाथ साहनी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जगदलपुर,	प्रतिनिधि
24	श्री कवासी रमेश, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सुकमा,	प्रतिनिधि
25	श्री नीलम गनपत, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बीजापुर,	प्रतिनिधि
26	श्री सुकदास शारदूल, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दक्षिण कोंडागांव,	प्रतिनिधि
27	श्रीमती राजकुमारी मरकाम, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, उत्तर कोंडागांव,	प्रतिनिधि

- 28 श्री महादेव देहारी, प्रतिनिधि
जिला वनोपज सहकारी यूनियन, नारायणपुर,
- 29 श्री टीकम टांडिया, प्रतिनिधि
जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पूर्व भानुप्रतापपुर,
- 30 श्री कृष्ण मुरारी यादव, प्रतिनिधि
जिला वनोपज सहकारी यूनियन, उत्तर सरगुजा,
- 31 श्री रामस्वरूप यादव, प्रतिनिधि
जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जशपुरनगर,
- 32 श्री ए.के. सिंह, सदस्य
प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ
मर्यादित रायपुर

बारहवीं वार्षिक साधारण आमसभा की बैठक में श्री बी.एल.सरन, अपर प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ, मर्यादित रायपुर भी उपस्थित रहे ।

बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम संघ के माननीय अध्यक्ष द्वारा अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दिया गया ।

तदुपरांत सभा में विषयवार विचार-विमर्श करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्रमांक	विषय	संकल्प (निर्णय)	की गई कार्यवाही
1	ग्यारहवीं वार्षिक साधारण आमसभा दिनांक 26.03.2011 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन ।	बारहवीं वार्षिक साधारण सभा द्वारा ग्यारहवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 26.03.2011 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई तथा पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया । उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा आपत्ति ली गई कि गत आमसभा में उठाये गये बिन्दुओं पर पालन प्रतिवेदन में अनेक स्थानों पर यह लेख किया गया है कि किसी भी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है, तो प्रतिनिधियों के सुझाव देने का	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।

	<p>क्या औचित्य है ? प्रबंध संचालक, संघ द्वारा अवगत कराया गया कि प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये जिन सुझावों/मुद्दों पर कार्यवाही की जा चुकी है तथा यह मुद्दे जो स्पष्ट है और जिन पर कार्यवाही नहीं की जाना है, उन्ही बिन्दुओं पर कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है, लेख किया गया है और ऐसा उल्लेख किया जाना आवश्यक होता है ।</p> <p>2) आमसभा में उपस्थित प्रदेश प्रतिनिधियों द्वारा सुझाव रखा गया कि आमसभा की बैठक के पूर्व उसी दिन संचालक मण्डल की बैठक होने से आमसभा के लिये पर्याप्त समय नहीं रह जाता है । प्रबंध संचालक, संघ द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश प्रतिनिधियों के सुझाव के अनुसार आगामी समय में आमसभा के दिन अन्य किसी बैठक का आयोजन नहीं किया जावेगा तथा आमसभा के लिये पर्याप्त समय हो उसका भी ध्यान रखा जावेगा ।</p> <p>आमसभा में समय अभाव के संबंध में प्रबंध संचालक द्वारा व्यवस्था दी गई कि बैठक कार्यवाही हेतु पर्याप्त समय है । बैठक की कार्यवाही चालू रखी जा सकती है । उपस्थित प्रतिनिधि अपनी समस्याएं, सुझाव, मुद्दे बैठक में प्रस्तुत कर सकते हैं तथा</p>	<p>सुझाव अनुसार आगामी वर्ष में आमसभा के दिन संचालक मण्डल या अन्य कोई बैठक नहीं रखी जावेगी ।</p> <p>संघ प्रतिनिधियों द्वारा सहमत होकर अपने सुझाव व समस्याएं आमसभा के समक्ष रखे गये ।</p>
--	---	---

		उन्हे लिखित में भी प्रस्तुत किया जा सकता है । इस पर उपस्थित सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त करते हुये अपने सुझाव व समस्याएं आमसभा के समक्ष प्रस्तुत किये गये ।	
2	वित्तीय वर्ष 2011-12 में किये गये कार्यों का विवरण ।	वार्षिक आमसभा में संघ के प्रबंध संचालक द्वारा वित्तीय 2011-2012 में किये गये कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया, जिस पर आमसभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा चर्चा उपरांत सहमति व्यक्त की गई ।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।
3	वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का अनुमोदन ।	प्रबंध संचालक, संघ द्वारा संघ में वर्ष 2012-2013 में किये जाने वाले प्रस्तावित क्रियाकलापों का विवरण सभा में प्रस्तुत किया गया जिसका सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।
4	वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए बजट की स्वीकृति ।	वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए ग्यारहवीं साधारण आमसभा द्वारा प्रस्तावित बजट का अवलोकन कर चर्चा उपरांत स्वीकृति प्रदान की गई ।	आमसभा में स्वीकृत बजट के अनुरूप कार्य संपन्न किया गया ।

5	वित्तीय वर्ष 2010-11 के अंतिम वित्तीय पत्रकों पर अनुमोदन ।	वित्तीय वर्ष 2010-11 के अंतिम वित्तीय पत्रकों का आमसभा द्वारा अनुमोदन किया गया ।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।
6	वर्ष 2002-03 के शुद्ध लाभ के विभाजन का अनुमोदन ।	वर्ष 2002-03 के शुद्ध लाभ के विभाजन का आमसभा द्वारा अनुमोदन किया गया ।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।

अतिरिक्त विषय बिन्दु :-

विषय क्रमांक	विषय	संकल्प (निर्णय)	की गई कार्यवाही
1	आमसभा में उपस्थित प्रदेश प्रतिनिधि श्री अक्षय गर्ग, जिला वनोपज सहकारी यूनियन कटघोरा द्वारा जिला वनोपज सहकारी यूनियनों के अध्यक्ष की भांति 100 दिवस वाहन उपयोग की स्वीकृति प्रदान किये जाने का पुनः मुद्दा उठाया गया तथा अनुरोध किया गया कि इस प्रस्ताव को पुनः शासन की स्वीकृति हेतु भेजा जावे ।	इस विषय पर प्रबंध संचालक संघ द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत विषय पर पुर्नविचार हेतु छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय रायपुर को पत्र क्रमांक 8014 दिनांक 01.07.2011 प्रेषित किया गया है । पुनः स्मरण पत्र शासन को भेजा जावेगा ।	आमसभा में पारित निर्णय के तारतम्य में प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय को पत्र क्रमांक 6295 दिनांक 14.05.2012 प्रेषित किया गया । तत्संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा पत्र क्रमांक 297/25/2013/10-3/वन, नया रायपुर दिनांक 15.02.2013 द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव को यह लेखकर अमान्य किया गया है कि जिला यूनियन के संघ प्रतिनिधियों के लिये वाहन से 100 यात्रा दिवस संबंधी मांग औचित्यपूर्ण नहीं है ।
2	अक्षय कुमार गर्ग, प्रतिनिधि जिला वनोपज यूनियन कटघोरा ने भ्रमण के दौरान तेन्दूपत्ता अवैध संग्रहण का मुद्दा उठाया तथा उनके द्वारा अवगत कराया गया कि	प्रबंध संचालक द्वारा अवगत कराया गया कि इस संबंध में आवश्यक निर्देश संबंधित जिला यूनियन को दिये गये है । इस संबंध में पुनः जिला यूनियन को लेख किया जावेगा ।	निर्णय के पालन में संघ के पत्र क्रमांक/वनो/संघ/शिकायत /277/2012/7726 दिनांक 20.06.12 के द्वारा प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन कटघोरा को लेख करते

	<p>अवैध संग्रहण होने पर वन विभागके अधिकारी/कर्मचारी को बताये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं करते । पत्र विलम्ब से जिला यूनियन को लिखा गया है । उसके उपरान्त भी संबंधित जिला यूनियन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई ।</p>		<p>हुये पत्र की प्रतिलिपि संघ प्रतिनिधि को भी दी गई है ।</p>
3	<p>श्री टीकम टांडिया, प्रदेश प्रतिनिधि, पूर्व भानुप्रतापपुर ने अवगत कराया कि व्यापारियों द्वारा अधिक दरों पर पत्ता खरीदने का टेण्डर बीजापुर जिला यूनियन के लिये दिया गया है, जबकि दिये गये दर पर तेन्दूपत्ता क्रय नहीं किया जाता तथा अन्य प्रदेश में तेन्दूपत्ता अवैध रूप से ले जाया जाता है । यह भी जानना चाहा कि संग्रहण लक्ष्य के बारे में बताया जावें ।</p>	<p>प्रबंध संचालक द्वारा अवगत कराया कि निविदा में उच्च दर देने के लिये व्यापारी स्वतंत्र है । अन्य प्रदेश में तेन्दूपत्ता ले जाने के संबंध में प्रबंध संचालक, संघ द्वारा बताया गया कि प्रत्येक वर्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में तेन्दूपत्ता के अवैध कार्यों पर सर्तकता बरतने के निर्देश दिये जाते है तथा प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति को भी यह प्रयास करना चाहिये कि कोई संग्राहक क्रेता को सीधे अवैध रूप से पत्ता न देवें । संग्रहण लक्ष्य के संबंध में प्रबंध संचालक, संघ द्वारा बताया गया कि पिछले वर्षों के औसत के आधार निर्धारण किया जाता है, परंतु तेन्दूपत्ता क्रेता लक्ष्य (अधिसूचित मात्रा) से अधिक संग्रहण भी क्रय करने हेतु बाध्य है तथा संग्रहण का कार्य क्रेता के द्वारा नहीं बल्कि प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के द्वारा किया जाता है तथा फड़ पर फड़मुंशी के अतिरिक्त अन्य विभाग के शासकीय कर्मचारी की ड्यूटी भी फड़ अभिरक्षक के रूप में लगायी जाती है ।</p>	<p>कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।</p>

<p>श्री टीकम टाण्डियां द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त 6 विभिन्न बिन्दुओं पर मांग पत्र लिखित में प्रस्तुत किया गया जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा आवेदन पत्र पर उचित कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये -</p> <p>1) जिला यूनियनों में प्रतिनियुक्ति पद समाप्त किया जावे एवं संघ कर्मचारियों को पात्रता अनुसार पदोन्नत किया जावे ।</p> <p>2) जिला यूनियन में कार्यरत संदेश वाहको को सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नत किया जावे या वन विभाग के वन रक्षक के समान वेतनमान दिया जावे ।</p>	<p>क्रमांक 1 से 6 तक दिये गये बिन्दुओं पर नियमानुसार विचार कर कार्यवाही की जावेगी तथा आगामी आमसभा के पालन प्रतिवेदन में इन बिन्दुओं को शामिल करने का निर्णय लिया गया ।</p>	<p>संघ प्रतिनिधि से लिखित में प्राप्त 6 बिन्दुओं पर संघ कार्यालय स्तर से टिप्पणी लेख की गई । जिसे संघ के संचालक मण्डल की 49वीं बैठक दिनांक 28.09.2012 में विचारार्थ रखा गया । संघ की टिप्पणी पर संचालक मण्डल द्वारा सहमति दी गई । संघ कार्यालय द्वारा दी गई टिप्पणी निम्नानुसार है :-</p> <p>(1) संस्था का सेटअप शासन द्वारा स्वीकृत है तथा तदुनसार जिला यूनियनों में कार्य संचालन की सुचारु व्यवस्था हेतु वन व सहकारिता विभाग के कर्मचारियों /अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति शासन द्वारा की जाती है । लेखापाल के पदो पर सहकारिता विभाग की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर उनके स्थान पर संघ के मूल कर्मचारियों की पदोन्नति का प्रस्ताव संघ द्वारा लगभग 2 वर्ष पूर्व छ.ग.शासन, वन विभाग को भेजा जा चुका है ।</p> <p>(2) संघ के कर्मचारियों को संघ के सेवा नियम की शर्तों अनुसार सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति दी जा रही है ।</p>
---	--	---

	<p>3) जिला वनोपज संघ में सीधी भर्ती बंद कर पूर्व में नियुक्त संदेश वाहक को पदोन्नत किया जावे ।</p> <p>4) प्रत्येक जिला यूनियन पर शासकीय आवास की सुविधा उपलब्ध की जावे या गृह भाड़ा भत्ता प्रतिमाह 2000/- रुपये की जावे ।</p> <p>5) बोनस राशि की सीमा 10,000/- रुपये से बढ़ाकर 20,000/- रुपये की जावे तथा समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बोनस वितरित करने वेतन का निर्धारण 10,000/- रुपये की प्रतिबंध को समाप्त किया जावे ।</p> <p>6) बस्तर/सरगुजा क्षेत्र में कार्यरत संघ कर्मचारियों को अनुसूचित क्षेत्र भत्ता प्रतिमाह 1000/- रुपये की जावे ।</p>		<p>(3) शासकीय विभागों की भांति सीधी भर्ती के पद सीधी भर्ती से ही भरे जाते हैं । सीधी भर्ती बंद नहीं की जा सकती ।</p> <p>(4) संघ कर्मियों को गृहभाड़ा भत्ता शासकीय कर्मचारियों की भांति भुगतान किया जाता है, इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।</p> <p>(5) यह विषय शासन स्तर से संबंधित है । संघ स्तर पर विचार किया जाना संभव नहीं है ।</p> <p>(6) संघ कर्मचारियों को शासन के नियमानुरूप ही बस्तर/सरगुजा क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र भत्ता दिया जा रहा है । संघ स्तर पर विचार किया जाना संभव नहीं है ।</p>
4	<p>श्री नीलम गनपत, प्रतिनिधि, बीजापुर ने अवगत कराया कि तेन्दूपत्ता बोनस का वितरण नहीं किया गया है । संग्राहकों को बोनस वितरण का पैसा जिस रूप में मिलना चाहिये वह नहीं मिल पा रहा</p>	<p>प्रबंध संचालक, संघ द्वारा अवगत कराया कि इस वर्ष रुपये 500 से अधिक का बोनस तो चेक से वितरित किया जा रहा है, फिर भी इस संबंध में जिला यूनियन को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लेख किया जावेगा तथा प्रदेश</p>	<p>उक्त निर्देशों के पालन में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 5755 दिनांक 02.05.2012 से जिला यूनियन बीजापुर से जानकारी चाही गई । उनके द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 1010 दिनांक 21.06.2012 अनुर प्रोत्साहन</p>

<p>है । यह स्थिति बीजापुर जिला यूनियन के अंतर्गत है ।</p> <p>राजनांदगांव जिले में ट्रक द्वारा तेन्दूपत्ता परिवहन में अनियमितता का मुद्दा भी उठाया तथा कहा गया कि शिकायत की जाँच नहीं की गई ।</p>	<p>प्रतिनिधि को भी तत्संबंध में अवगत कराया जावेगा ।</p> <p>प्रबंध संचालक, संघ द्वारा अवगत कराया गया कि प्राप्त शिकायत की जाँच कराने हेतु प्रकरण वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक दुर्ग को जाँच प्रतिवेदन देने हेतु भेजा गया है । जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी ।</p>	<p>पारिश्रमिक वितरण लंबित नहीं है । कार्यालयीन पत्र क्रमांक 8887 दिनांक 18.07.2012 से संघ प्रतिनिधि को अवगत कराया गया ।</p> <p>1. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/वनो/शि./2012/3768 दिनांक 13.03.2012 के द्वारा राजनांदगांव के निजी गोदामों से परिवहन होने वाले तेन्दूपत्ते में अनियमितता के संबंध में प्राप्त शिकायत की जाँच कर उचित कार्यवाही करने हेतु वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक दुर्ग को लेख किया गया है ।</p> <p>2. विशेष सचिव, छ.ग.शासन, वन विभाग के पत्र क्रमांक 366 दिनांक 16.03.2012 के द्वारा राजनांदगांव के निजी गोदामों में स्थित तेन्दूपत्ता 3 ट्रकों से तेन्दूपत्ता परिवहन में अनियमितता के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई । उक्त शिकायत के संबंध में संघ के पत्र क्रमांक 4372 दिनांक 29.03.2012 के द्वारा वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक दुर्ग को जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया ।</p> <p>3. वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक दुर्ग ने पत्र क्रमांक 546 दिनांक 09.04.2012 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया ।</p>
--	---	--

			<p>4. कार्या.प.क्र./वनो/शि./315/2012/6063 दि.07.05.2012 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, रायपुर को शिकायत प्रकरण को वन संरक्षक दुर्ग वृत्त दुर्ग की सहमति के आधार पर नस्तीबद्ध किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया ।</p>
5	<p>श्री अक्षय कुमार गर्ग, प्रतिनिधि जिला वनोपज यूनियन कटघोरा ने संग्राहकों के बैंक खाता जिला यूनियन कटघोरा के दूरस्थ क्षेत्र में एक ही बैंक में खोला गया है जिससे संग्राहकों को पैसा निकालने के लिये कई समस्या आती है । खाता नजदीक में खोला जाना चाहिये । अन्य प्रतिनिधियों ने भी इसी मुद्दे पर अपना ध्यान आकर्षित कराया ।</p>	<p>प्रबंध संचालक, संघ द्वारा अवगत कराया गया कि ऐसी जिला यूनियनों में जहां इस प्रकार की समस्या है वहां पर संग्राहकों के हित में नजदीक क्षेत्र में तथा एक से अधिक बैंक खाता खोलने की कार्यवाही के संबंध में लेख किया जावेगा ।</p>	<p>संघ प्रतिनिधि से लिखित में प्राप्त बिन्दु पर संघ कार्यालय स्तर से टिप्पणी लेख की गई । जिसे संघ के संचालक मण्डल की 49वीं बैठक दिनांक 28.09.2012 में विचारार्थ रखा गया । संघ की टिप्पणी पर संचालक मण्डल द्वारा सहमति दी गई । संघ कार्यालय द्वारा दी गई टिप्पणी निम्नानुसार है :-</p> <p>भुगतान शीघ्र कराने हेतु जहां संभव हो, प्राथमिक समिति के खाते एक से अधिक बैंक में खोलने के निर्देश दिये गये है, ताकि संग्राहकों को सुविधा हो ।</p>
6	<p>श्री गंगाराम ठाकुर, प्रतिनिधि जिला वनोपज यूनियन दुर्ग ने लिखित में 5 बिन्दुओं पर विचार करने हेतु पत्र दिया गया :-</p>	<p>आवेदन पत्र में दिये गये बिन्दु क्रमांक 1 से 5 तक दिये गये सुझाव पर विचार कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी तथा पालन प्रतिवेदन में इन मुद्दे के बारे में स्थिति स्पष्ट की जावेगी ।</p>	<p>संघ प्रतिनिधि से लिखित में प्राप्त 5 बिन्दुओं पर संघ कार्यालय स्तर से टिप्पणी लेख की गई । जिसे संघ के संचालक मण्डल की 49वीं बैठक दिनांक 28.09.2012 में विचारार्थ रखा गया । संघ की टिप्पणी पर संचालक मण्डल द्वारा सहमति दी गई । संघ कार्यालय द्वारा दी गई टिप्पणी निम्नानुसार है :-</p>

<p>1) तेन्दूपत्ता लाट क्य नीलामी संघ प्रतिनिधियों की उपस्थिति में करायी जावें ।</p> <p>2) समिति के अध्यक्ष की मानदेय 1500/- से 5000/- रूपये बढ़ाया जावें ।</p> <p>3) फड़मुशियां के कार्य के अधिकता को देखते हुये कमीशन के बजाए 700/- से 1000/- मानदेय दिया जावें ।</p>		<p>(1) अधिकांश तेन्दूपत्ता निविदा से ही विक्रय होता है तथा राष्ट्रीयकृत वनोपज होने के नाते निविदा स्वीकृत का निर्णय माननीय वनमंत्री जी की अध्यक्षता से गठित अन्तर्विभागीय समिति के द्वारा लिया जाता है, जिसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।</p> <p>(2) उक्त विषय पर संघ की संचालक मण्डल की 44वीं बैठक दिनांक 27.06.2011 में प्राथमिक समिति के अध्यक्ष को दिनांक 01.04.2011 से 1500 रूपये वार्षिक मानदेय के स्थान पर 4000/- रूपये वार्षिक मानदेय का भुगतान किये जाने बाबत निर्णय पारित किया गया है, जिसकी स्वीकृति हेतु शासन को पत्र क्रमांक 13464 दिनांक 17.11.2011, पत्र क्रमांक 16 दिनांक 02.01.2012 एवं पत्र क्रमांक 6818 दिनांक 07.05.2012 से लेख किया गया है ।</p> <p>(3) फड़मुशियों को तेन्दूपत्ता एवं सालबीज संग्रहण हेतु प्रतिवर्ष निर्धारित दर के अनुसार कमीशन की राशि दी जाती है । तेन्दूपत्ता फड़मुंशी कमीशन पर तेन्दूपत्ता, बुटा कटाई एवं संग्रहण का कार्य करते है जो लगभग 2 माह का अंशकालिक कार्य है । इसी प्रकार चरण पादुका हेतु नाप लेने तथा वितरण हेतु रू.2+रू.2, कुल</p>
--	--	--

	<p>4) संग्राहककर्ता को प्रति मानक बोरा 800/- से बढ़ाकर 1400/- दिया जावे ।</p> <p>5) संग्राहक परिवार को शादी ब्याह हेतु सहयोग हेतु 5000/- रूपया दिया जाना चाहिये ।</p>		<p>रूपये 4.00 प्रति जोड़ी की दर से भुगतान किया जाता है । अतः अंशकालिक कार्य हेतु मानदेय राशि को दिया जाना व्यवहारिक व उचित नहीं है ।</p> <p>(4) संग्रहण दर का निर्धारण शासन द्वारा सभी पहलूओं पर विचार कर किया जाता है । वर्ष 2012 की संग्रहण दर रूपये 1100 प्रति मानक बोरा है ।</p> <p>(5) प्रस्ताव मान्य करने योग्य नहीं है ।</p>
<p>7</p>	<p>श्री केदार नाथ साहनी, प्रदेश प्रतिनिधि जिला यूनियन जगदलपुर ने संघ की वार्षिक आमसभा में 10 बिन्दु प्रस्तावित करने का पत्र प्रस्तुत किया गया :-</p> <p>1) जिला यूनियन/वृत्त कार्यालय में वन विभाग के संलग्नीकरण अधिकारी/कर्मचारियों को मानदेय भत्ता दिया जावे ।</p>	<p>प्रदेश प्रतिनिधि के बिन्दु क्रमांक 1 से 10 तक के संबंध में नियमानुसार विचार किया जावेगा । आगामी आमसभा में पालन प्रतिवेदन में इन मुद्दों के बारे में पृथक-पृथक उल्लेख किया जावेगा ।</p>	<p>संघ प्रतिनिधि से लिखित में प्राप्त 10 बिन्दुओं पर संघ कार्यालय स्तर से टिप्पणी लेख की गई । जिसे संघ के संचालक मण्डल की 49वीं बैठक दिनांक 28.09.2012 के विचारार्थ रखा गया । संघ की टिप्पणी पर संचालक मण्डल द्वारा सहमति दी गई । संघ कार्यालय द्वारा दी गई टिप्पणी निम्नानुसार है :-</p> <p>(1) वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वन विभाग के कार्य के अतिरिक्त संघ का कार्य करने पर अधिकारी/कर्मचारी के पद अनुसार निर्धारित मानदेय राशि दी जा रही है । मानदेय राशि में वृद्धि किये जाने बाबत प्रस्ताव छ.ग.</p>

<p>2) संघ कर्मचारी जो वृत्त कार्यालय जिला यूनियन स्तर पर पदस्थ है उनके रहने के लिये आवास सुविधा लागू किया जावे ।</p> <p>3) संघ कर्मचारी को संघ मुख्यालय में पदस्थ को जो सुविधाएं दी जाती है, वह सुविधा जिला यूनियन/वृत्त कार्यालय में पदस्थ है उन्हें भी दिया जावे ।</p> <p>4) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मुख्यालय के बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों को दी जाने वाली भत्ता को वृत्त/जिला यूनियन के डायरेक्टरों को भी दिया जावे ।</p>		<p>शासन, वन विभाग को प्रेषित किया गया है ।</p> <p>(2) नियमानुसार शासकीय कर्मचारी की भांति आवास भत्ता दिया जाता है ।</p> <p>(3) किस सुविधा की मांग है, स्पष्ट नहीं है ।</p> <p>(4) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के संचालको को संघ के यात्राभत्ता के नियमों के अनुरूप यात्राभत्ता दिया जा रहा है जो कि जिला यूनियन के संचालको को भी दिया जाता है । राज्य वनोपज संघ के निर्वाचित संचालको को संघ में आयोजित बैठको में भाग लेने हेतु रू. 250/- प्रति बैठक भत्ता तथा जिला यूनियन के संचालकों को उनकी संस्था में आयोजित संचालक मण्डल की बैठको में भाग लेने हेतु रू. 150/- प्रति बैठक भत्ता दिया जा रहा है । यह बैठक भत्ता 1 वित्तीय वर्ष में नियमित 4 संचालक मण्डल की बैठको तथा संस्था द्वारा प्रति वर्ष आयोजित की जाने वाली वार्षिक आमसभा में भाग लेने पर ही देय होता है ।</p>
---	--	---

<p>5) जिला यूनियन में अध्यक्षों को प्रथम श्रेणी की पात्रता यात्राभत्ता में द्वितीय श्रेणी माना जा रहा है, जिसे प्रथम श्रेणी लाभ दिया जावे ।</p> <p>6) एन.डब्ल्यू.एफ.पी.मार्ट पर क्रय किये जा रहे अराष्ट्रीयकृत लघुवनोपजों को वृत्त स्तर पर वन संरक्षको को विक्रय करने का अधिकार दिया जावे ।</p> <p>7) जगदलपुर में अलग से मार्ट गोदाम नहीं है ।</p>		<p>(5) छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग द्वारा शासकीय सेवकों के यात्राभत्ता एवं दैनिक भत्ता की दरों का पुनरीक्षण किया गया तदनुसार संघ के यात्राभत्ता नियमों में भी संशोधन किया गया है । पुराने यात्राभत्ता नियमों में शासकीय सेवकों की श्रेणियां ए, बी, सी एवं डी थी तथा संशोधित नियमों में ए, बी, सी, डी, ई बनायी गई है । ए श्रेणी रूपये 10000 या उससे अधिक ग्रेड वेतन या एच.ए.जी. वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारियों के लिये है । जिनकी संख्या बहुत सीमित है । वर्तमान में वनमण्डल अधिकारी व वन संरक्षक आदि भी बी श्रेणी में ही है । तदनुसार ही जिला यूनियन के अध्यक्षों की बी श्रेणी निर्धारित की गई है ।</p> <p>(6) मार्ट की वन उपज का विक्रय निश्चित दरों पर सीधे मार्ट से ही किया जाता है । अतः वन संरक्षको को अधिकार देने का प्रश्न ही नहीं है । यदि कोई वनोपज शेष रहती है तो उसका राज्य स्तर से विक्रय किया जाता है जो कि विज्ञापन व्यय पर नियंत्रण की दृष्टि से उचित है तथा क्रेताओं के लिये भी सुविधाजनक है ।</p> <p>(7) अभी किसी भी मार्ट में पृथक गोदाम नहीं है ।</p>
--	--	--

	<p>8) स्टॉफ की कमी मार्ट में कर्मचारी ।</p> <p>9) प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को कम्प्यूटर प्रदाय करने एवं प्रबंधकों को प्रशिक्षित करने के संबंध में ।</p> <p>10) समिति प्रबंधकों को स्थायीकरण (नियमित नियुक्ति) करने के संबंध में ।</p>		<p>आवश्यकतानुसार निर्णय लिया जावेगा तथा वर्तमान में जरूरत पड़ने पर संघ के किसी भी रिक्त गोदाम का उपयोग स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है ।</p> <p>(8) मार्ट में दो कर्मियों के संविदा पद है । इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है । अधिक कर्मियों से प्रशासनिक व्यय में अनावश्यक वृद्धि होगी ।</p> <p>(9) अभी समिति स्तर पर कम्प्यूटर प्रदाय करना संभव नहीं है ।</p> <p>(10) समिति प्रबंधकों को नियमित किये जाने का प्रस्ताव वित्त विभाग की असहमति होने से, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा वर्ष 2008 एवं वर्ष 2009 में अमान्य किया जा चुका है ।</p>
8	<p>श्री अक्षय गर्ग, श्री टीकम टाडिया, प्रतिनिधि, कटघोरा एवं पूर्वभानुप्रतापपुर कच्चे अराष्ट्रीयकृत वनोपज के क्रय के लिये स्व-सहायता समूह को वर्तमान में दिये जा रहे राशि में वृद्धि करने का मुद्दा उठाया गया ताकि स्व-सहायता समूह अपना व्यापार सही रूप से कर सके । स्थापना मद की राशि में वृद्धि किया जावे ।</p>	<p>प्रबंध संचालक, संघ द्वारा अवगत कराया गया कि - इस संबंध में परीक्षण उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।</p>	<p>यह बिन्दु संचालक मण्डल की 49वीं बैठक दिनांक 28.09.2012 के प्रस्ताव क्रमांक 49:12 में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया था । जिसमें पारित निर्णय के अनुसार उक्त विषय को पुनः संघ की आगामी संचालक मण्डल में रखा जावेगा ।</p>

<p>9</p>	<p>श्री मोती राम उईके, प्रदेश प्रतिनिधि खैरागढ़ ने मुद्दा उठाया कि -</p> <p>1) शाखकर्तन सम्मेलन में प्रशिक्षण के लिये पंच/सरपंच एवं अन्य प्रतिनिधियों को अवगत नहीं कराया जाता है, जिससे शाखकर्तन का कार्य सही रूप से नहीं हो पाता ।</p> <p>2) वन विकास का कोई कार्य नहीं हो रहा है तथा पैसा रखा हुआ है ।</p>	<p>प्रबंध संचालक, संघ द्वारा अवगत कराया गया कि - इस संबंध में विचार कर आवश्यक निर्देश जिला यूनियनों को दिये जावेंगे ।</p> <p>प्रबंध संचालक, संघ द्वारा अवगत कराया गया कि खैरागढ़ जिला यूनियन में वन विकास कार्य करने के संबंध में उचित निर्देश दिये जावेंगे ।</p>	<p>संघ प्रतिनिधि से लिखित में प्राप्त 3 बिन्दुओं में से प्रथम बिन्दु पर संघ कार्यालय स्तर से लेख की गई टिप्पणी को संघ के संचालक मण्डल की 49वीं बैठक दिनांक 28.09.2012 में विचारार्थ रखा गया । संघ की टिप्पणी पर संचालक मण्डल द्वारा सहमति दी गई । संघ कार्यालय द्वारा संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई प्रथम बिन्दु की टिप्पणी निम्नानुसार है :-</p> <p>(1) तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य से सीधे जुड़े हुए लोगो को शाखकर्तन का प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे समिति का अध्यक्ष, प्रबंधक, फड़मुंशी, वन समिति का अध्यक्ष, पोषक अधिकारी एवं फड़ अभिरक्षक । वर्ष 2013 में सरपंचो को भी सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है ।</p> <p>(2) संघ मुख्यालय द्वारा प्रबंध संचालक जिला यूनियन खैरागढ़ को वन विकास कार्य करायें जाने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक/वनो/संघ/वित्त/2010/15430 दिनांक 30.11.2010, क्रमांक/वनो/संघ/वित्त/2011/10440 दिनांक 02.09.2011, क्रमांक/वनो/संघ/वित्त/2012/6783 दिनांक 24.05.2012 एवं क्रमांक/वनो/संघ/वित्त/2013/3021 दिनांक 26.02.2013 के माध्यम</p>
----------	--	---	--

	<p>3) समिति प्रबंधकों को दोषी पाये जाने के उपरान्त पुनः नियुक्ति का प्रकरण उठाया गया, अन्य प्रदेश प्रतिनिधियों द्वारा भी अपना ध्यान आकर्षित किया गया ।</p>	<p>प्रबंध संचालक, संघ द्वारा तत्संबंध में जानकारी दी गई कि समिति प्रबंधक की नियुक्ति संबंधित समिति के संचालक मण्डल द्वारा पारित प्रस्ताव पर संबंधित जिला यूनियन के प्रबंध संचालक के अनुमोदन उपरान्त की जाती है । संघ प्रतिनिधि प्राथमिक समिति का संचालक सदस्य भी होता है, अतः इस मुद्दे पर उनके द्वारा समिति स्तर पर ही कार्यवाही की जानी चाहिये । प्रबंध संचालक, जिला यूनियन को भी इस संबंध में लिखित में लेख किया जाना चाहिये ।</p>	<p>से निर्देशित किया जाकर छ.ग. शासन, वन विभाग एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक से भी कार्य शीघ्र कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने हेतु कहा गया है ।</p> <p>(3) कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।</p>
10	<p>श्री आलोक सिन्हा, प्रतिनिधि धमतरी जिला यूनियन ने मुद्दा उठाया कि वर्ष 2010 में बोनस का वितरण नहीं हुआ है । बैंक द्वारा चेक बुक प्रदाय नहीं की गई है । शहर से दूर से संग्राहक आते हैं और उनको समय पर राशि नहीं मिल पाती ।</p>	<p>प्रबंध संचालक द्वारा अवगत कराया गया कि - संबंधित जिला यूनियन से स्थिति स्पष्ट करने हेतु लेख किया जावेगा ।</p>	<p>उक्त निर्देशों के पालन में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 5753 दिनांक 02.05.2012 से जिला यूनियन धमतरी से जानकारी चाही गई । उनके द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 1956 दिनांक 15.06.2012 अनुसार प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण लंबित नहीं है ।</p>
11	<p>अन्य सुझाव, समस्याओं एवं मुद्दों पर कार्यवाही करने के संबंध में ।</p>	<p>प्रदेश से उपस्थित प्रतिनिधियों की समस्याओं, सुझाव एवं मुद्दों के संबंध में प्रबंध संचालक, संघ</p>	<p>कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।</p>

		<p>द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश प्रतिनिधि अपनी शिकायत लिखित रूप में जिला यूनियन कार्यालय तथा संघ मुख्यालय में लिखित में अवश्य दे तथा उसकी पावती अपने पास रखे । प्रतिनिधियों की शिकायतों पर यथासंभव कार्यवाही हो, इसका आश्वासन दिया गया ।</p>	
12	<p>संघ के संचालक सदस्य एवं जिला यूनियन उदन्ती के संघ प्रतिनिधि श्री पुनीत राम सिन्हा द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि नये गरियाबंद जिले के गठन उपरान्त गरियाबंद जिला यूनियन का गठन किया जाना है । जिसमें उदन्ती, जिला यूनियन के साथ पूर्व रायपुर जिला यूनियन की समितियां सम्मिलित होगी । इस कारण प्रस्तावित गरियाबंद जिला यूनियन का कार्यक्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत हो जावेगा । अतः क्षेत्र की विस्तृतता को ध्यान में रखते हुये पूर्व रायपुर एवं उदन्ती जिला यूनियन को यथावत् बने रहने दिया जावे ।</p>	<p>प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा यह बताया गया कि नवीन जिलों के गठन उपरान्त वन मण्डलों का गठन विभिन्न वानिकी पहलुओं के आधार पर शासन द्वारा किया जाता है । प्रस्तावित गरियाबंद वन मण्डल में वर्तमान पूर्व रायपुर व उदन्ती वन मण्डल के भौगोलिक क्षेत्र को शामिल किया जाना है, जिसमें कि गरियाबंद जिले का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र सम्मिलित होगा । इस जिला यूनियन में गरियाबंद जिले का उदन्ती, टाइगर रिजर्व का बफर जोन भी सम्मिलित होगा तथा एक वनमण्डल के भौगोलिक क्षेत्र में दो जिला यूनियन गठित किया जाना संभव नहीं है । जिला वनोपज सहकारी यूनियन का गठन वन मण्डल क्षेत्र के आधार पर ही किया जाता है ।</p>	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।

13	उपस्थित प्रतिनिधियों ने इस वर्ष उपहार नहीं दिये जाने का मुद्दा भी उठाया तथा उपहार दिये जाने की मांग की गई ।	प्रबंध संचालक, संघ द्वारा अवगत कराया गया कि गत वर्ष की आमसभा में प्रतिनिधियों द्वारा उपहार के संबंध में नाराजगी जाहिर की गई थी । अतः इस वर्ष उपहार वितरित नहीं कराया जा रहा है । आगामी आमसभा में उपहार दिये जाने का निर्णय लिया गया ।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।
----	---	---	------------------------------

सही/-
(ए.के.सिंह)

प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (ब्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

सही/-

(मुरारीलाल सिंह)

अध्यक्ष,

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (ब्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

विषय क्रमांक - 2

विषय : वित्तीय वर्ष 2012-13 में किये गये कार्यों का विवरण ।

(i) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की पद संरचना :-

संघ के विभिन्न स्तर संघ मुख्यालय, वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक कार्यालय तथा जिला यूनियन कार्यालयों में स्वीकृत पद तथा कार्यरत पदों की संख्या संलग्न परिशिष्ट 'क' में दर्शाई गई है ।

(ii) तेन्दूपत्ता संग्राहकों हेतु जनश्री बीमा योजना -

भारतीय जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना अंतर्गत समस्त तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष के है, बीमित है । इस योजना के अंतर्गत सामान्य मृत्यु होने पर रुपये 20,000/-, आंशिक विकलांगता होने पर रुपये 25,000/-, दुर्घटना मृत्यु/पूर्ण विकलांगता होने पर रुपये 50,000/- की राशि स्वयं अथवा उसके आश्रितों को प्राप्त होती है । इसके अतिरिक्त बीमित मुखिया परिवारों के कक्षा 9 वीं से 12 वीं तथा आई.टी.आई. में पढने वाले 2 बच्चों को रुपये 600/- प्रति छैमाही छात्रवृत्ति प्राप्त होती है । इस योजना के प्रीमियम की 75 प्रतिशत राशि गरीब संग्राहकों के हित में राज्य शासन द्वारा वहन की जा रही है तथा 25 प्रतिशत राशि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा की जा रही है । वर्ष 2012-13 में वार्षिक प्रीमियम की राशि रुपये 5,04,30,342/- रुपये भारतीय जीवन बीमा निगम रायपुर को भुगतान किया गया । इस योजना में भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा वर्ष 2012-13 में माह जनवरी 2013 तक कुल 2657 प्रकरणों की दावा राशि रुपये 5.789 करोड़ स्वीकृत की गई है ।

शैक्षणिक वर्ष 2011-12 की माह जनवरी 2013 तक कुल 72,176 छात्र-छात्राओं की रुपये 8.660 करोड़ की छात्रवृत्ति राशि भुगतान हेतु जिला यूनियनों को उपलब्ध करायी जा चुकी है ।

(iii) सामाजिक सुरक्षा जीवन बीमा योजना -

जनश्री बीमा योजना से तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया का ही बीमा होता है, शेष संग्राहक बीमा के लाभ से वंचित रह जाते है । इस कारण तेन्दूपत्ता परिवार के मुखिया के अतिरिक्त शेष लगभग 20,65,000 संग्राहकों के लिए पुरानी समूह बीमा योजना जारी रखी गई है । इस योजना के तहत संग्राहकों की सामान्य मृत्यु होने पर रुपये 3,500/-, दुर्घटना के कारण आंशिक रूप से विकलांगता होने पर रुपये 12,500/- तथा दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता या मृत्यु होने पर रुपये 25,000/- की राशि देने का प्रावधान है । इस योजना हेतु संग्राहक को देय प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ता है । वित्तीय वर्ष 2012-13 में देय प्रीमियम की राशि रुपये 1,14,45,236 रुपये का भुगतान संघ द्वारा

किया गया है। वित्तीय वर्ष 2012-13 का माह जनवरी 2013 तक कुल 1518 दावा प्रकरणों का निराकरण कर राशि रुपये 1.013 करोड़ का भुगतान संबंधित दावेदार को बीमा राशि का प्रदाय भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया है।

वर्ष 2011-12 से एक अटल तेन्दूपत्ता संग्राहक समूह बीमा योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत मृत्यु की दशा में पृथक से रुपये 4000/- का भुगतान हितग्राहियों को किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में इस योजना के अंतर्गत प्रीमियम की राशि 56,62,718/- रुपये का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम को किया गया है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में माह जनवरी 2013 तक कुल 1268 दावा प्रकरणों का निराकरण कर राशि रुपये 0.507 करोड़ का भुगतान सम्बंधित दावेदार को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया है।

(iv) शिक्षा प्रोत्साहन योजना -

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों हेतु शिक्षा प्रोत्साहन योजना वर्ष 2011-12 से लागू की गई है जिसके अंतर्गत :-

(क) मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार :- प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति क्षेत्र के अंतर्गत कक्षा 8वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को रुपये 2000/-, कक्षा 10वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को रुपये 2500/- तथा कक्षा 12वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को रुपये 3000/- का पुरस्कार दिया जाता है। माह जनवरी 2013 तक कुल 3020 छात्र/छात्राओं को कुल राशि रुपये 80.19 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

(ख) व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति :- प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति में प्रत्येक वर्ष एक विद्यार्थी जिसने किसी भी व्यवसायिक कोर्स जैसे - इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, एम.बी.ए. तथा नर्सिंग में प्रवेश लिया हो तथा जिस कोर्स के प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं हो का चयन इस छात्रवृत्ति हेतु किया जाता है, को प्रथम वर्ष में रुपये 10,000/- एवं द्वितीय वर्ष तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों में रुपये 5,000/- प्रतिवर्ष अधिकतम कुल 4 वर्षों तक राशि उपलब्ध करायी जाती है। माह जनवरी 2013 तक कुल 187 छात्र/छात्रों को कुल राशि रुपये 17.70 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

(ग) गैर व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति :- प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति में प्रत्येक वर्ष एक छात्र व एक छात्रा का चयन किया जाता है जिसने कि किसी भी राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी गैर व्यावसायिक स्नातक कोर्स जैसे बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम., आदि में लिया हो तथा जिस कोर्स में प्रवेश की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं उत्तीर्ण हो। विद्यार्थी को प्रथम वर्ष में 5000/-, द्वितीय वर्ष में 4000/- तथा तृतीय वर्ष में 3000/- कुल तीन वर्षों में रुपये 12000/- की राशि उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। राशि का भुगतान प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी द्वारा गैर व्यवसायिक कोर्स में संबंधित वर्ष के प्रवेश शुल्क के भुगतान के उपरान्त ही दिया जावेगा।

माह जनवरी 2013 तक कुल 465 छात्र/छात्रों को कुल राशि रुपये 36.05 लाख का भुगतान किया जा चुका है ।

(v) तेन्दूपत्ते का व्यापार

वर्ष 2012 संग्रहण काल में संघ द्वारा प्रदेश की कुल 899 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से तेन्दूपत्ते का संग्रहण कराया गया । तेन्दूपत्ते की संग्रहण दर 1100/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई । सम्पूर्ण प्रदेश में बीड़ी बनाने योग्य अनुमानित उत्पादन के लक्ष्य 16.399 लाख मानक बोरा के विरुद्ध अच्छी गुणवत्ता का 17.151 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ते का संग्रहण किया गया । पूरे भारतवर्ष में तेन्दूपत्ता की फसल अच्छी होने के कारण छत्तीसगढ़ में भी अच्छा उत्पादन हुआ । अग्रिम में नियुक्त क्रेताओं को संग्रहण केन्द्रों पर ही संग्रहित 17.151 लाख मानक बोरा का परिदान दिया गया, जिसका विक्रय मूल्य रु. 646.90 करोड़ है । अग्रिम विक्रय में औसत विक्रय दर रु. 3772/- प्रति मानक बोरा प्राप्त हुई । जिला यूनियनवार अग्रिम विक्रय का विवरण परिशिष्ट 'ख' में संलग्न है ।

प्रदेश में संग्रहण वर्ष 2013 में 900 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के 950 लाटों में लगभग 16.438 लाख मानक बोरे के संग्रहण का अनुमान है । उक्त तेन्दूपत्ता के अग्रिम में निवर्तन हेतु दिनांक 10.01.2013, 29.01.2013, 11.02.2013 एवं 27.02.2013 को निविदायें आमंत्रित की गई । उक्त तिथियों में प्राप्त निविदाओं में अनुमानित मात्रा 16.438 लाख मानक बोरा में से 13.354 लाख मानक बोरा का अग्रिम विक्रय रु. 358.77 करोड़ में किया गया, जिससे औसत विक्रय दर रु. 2687/- प्रति मानक बोरा प्राप्त हुई । शेष इकाइयों के निवर्तन की कार्यवाही की जा रही है । इस वर्ष तेन्दूपत्ता की मांग कम होने के कारण निविदाकारों द्वारा कम रुचि ली जा रही है । जिला यूनियनवार निवर्तित लाटों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'ग' में संलग्न है ।

(vi) सालबीज का व्यापार

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा प्रदेश के 13 सालबीज उत्पादक जिलों में वर्ष 2012 में संग्रहित होने वाले सालबीज अग्रिम निवर्तन में प्रदेश की 37 इकाइयों में 6.55 लाख क्विंटल सालबीज संग्रहण का अनुमान था, जिसमें से 22 इकाइयों की अनुमानित 2.65 लाख क्विंटल मात्रा का अग्रिम में विक्रय हुआ था । अग्रिम विक्रय में सालबीज की औसत विक्रय दर रुपये 611/- प्रति क्विंटल रही थी । 15 इकाइयों का अग्रिम निवर्तन नहीं हो सका था । जिला यूनियन से प्राप्त जानकारी अनुसार अग्रिम में निवर्तित 22 इकाइयों में 4.91 लाख क्विंटल सालबीज का संग्रहण हुआ, जिसका विक्रय मूल्य रु. 29.98 करोड़ है । अविक्रित 15 इकाइयों में 2.23 लाख क्विंटल सालबीज का संग्रहण हुआ, जिसे गोदामीकृत कर 28 लाट बनाये गये जिसमें से 28 लाटों की 2.23 लाख क्विंटल मात्रा का निवर्तन रुपये 14.92 करोड़ में किया गया । इस वर्ष सालबीज फसल अच्छी होने के कारण कुल 7.143 लाख क्विंटल सालबीज संग्रहित हुआ लाटवार/जिला यूनियनवार विस्तृत जानकारी परिशिष्ट 'घ' में संलग्न है । संग्रहण वर्ष 2012 के सालबीज संग्राहकों को रु. 500/- प्रति क्विंटल की दर से

संग्रहण पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया गया, जिससे कुल रूपये 35.72 करोड़ संग्राहकों को उपलब्ध कराये गये ।

(vii) हर्षा का व्यापार

संघ द्वारा प्रदेश के 15 जिलों में अग्रिम में विक्रित हर्षा प्राथमिक समितियों के पर्यवेक्षण में क्रेता द्वारा तथा अग्रिम में अविक्रित हर्षा प्राथमिक समितियों के द्वारा संग्रहित किया जाता है ।

वर्ष 2011-12 में 69639.69 क्विंटल हर्षा, 1479.81 क्विंटल कचरिया एवं 2.960 क्विंटल बालहर्षा का संग्रहण किया गया है, जिसमें से 49643.26 क्विंटल हर्षा, 1479.81 क्विंटल कचरिया एवं 2.96 क्विंटल बालहर्षा का विक्रय रूपये 5.47 करोड़ में किया गया । शेष लाटों के निवर्तन की कार्यवाही की जा रही है ।

संग्रहण वर्ष 2012-13 में कुल 39 इकाइयों में से 9 इकाइयों का अग्रिम में निवर्तित किया गया । अग्रिम में निवर्तित इकाइयों एवं अनिवर्तित इकाइयों में हर्षा संग्रहण का कार्य प्रगति पर है । इस वर्ष अनुमानित मात्रा 49 लाख क्विंटल से अधिक हर्षा संग्रहित होने का अनुमान है जिससे संग्राहकों को रु. 392.40 लाख संग्रहण पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त होने का अनुमान है । वर्ष 2012-13 में हर्षा की संग्रहण दर रु 800/- प्रति क्विंटल, कचरिया की रु. 1600/- प्रति क्विंटल तथा बाल हर्षा की रूपये 2800/- प्रति क्विंटल निर्धारित की गई हैं । वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में जिला यूनियनवार निवर्तित इकाइयों की विस्तृत जानकारी क्रमशः परिशिष्ट 'ड', एवं 'च' में संलग्न प्रेषित है ।

(viii) गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) का व्यापार

कुल्लू वृक्षों में पुनरुत्पादन की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए कुल्लू गोंद संग्रहण दंतेवाड़ा, बस्तर एवं कांकेर जिले को छोड़कर पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित है । संघ द्वारा इन जिलों में कुल्लू गोंद संग्रहण प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के पर्यवेक्षण में अग्रिम में नियुक्त क्रेता माध्यम से कराया जा रहा है । वर्ष 2011-12 में कुल्लू गोंद की संग्रहण दर रु. 27000/- प्रति क्विंटल प्रथम श्रेणी के लिये तथा रु. 20000/- द्वितीय श्रेणी के लिये शासन द्वारा निर्धारित की गई है । संग्रहण वर्ष 2011-12 में गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) की प्रथम श्रेणी के 138.50 क्विंटल का संग्रहण किया गया, जिसका निवर्तन अग्रिम क्रेता नियुक्त कर कुल रु. 53.79 लाख में किया गया है । औसत विक्रय दर रु. 38837/- प्रति क्विंटल प्राप्त हुई है ।

शासन द्वारा संग्रहण वर्ष 2012-13 के लिये गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) प्रथम श्रेणी के लिये संग्रहण दर रु. 27000/- प्रति क्विंटल एवं द्वितीय श्रेणी के लिये रु. 20250/- प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है तथा प्रदेश की समस्त 5 इकाइयों में संग्रहित होने वाली 760 क्विंटल कुल्लू गोंद का अग्रिम में निवर्तित किया गया है । वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के कुल्लू गोंद के संग्रहण एवं विक्रय का जिला यूनियनवार विस्तृत विवरण क्रमशः परिशिष्ट 'छ' एवं 'ज' में संलग्न है ।

(ix) गोंद वर्ग-2 (धावड़ा/खैर/बबूल)

वर्ष 2011-12 हेतु गोंद वर्ग-2 की संग्रहण दर निम्नानुसार निर्धारित थी :-

- | | | |
|-------------|---|----------------------|
| 1. खैर/बबूल | - | 1740/- प्रति क्विंटल |
| 2. धावड़ा | - | 2900/- प्रति क्विंटल |

वर्ष 2011-12 सीजन में प्रदेश की गोंद वर्ग-2 (धावड़ा/खैर/बबूल) की 2 इकाइयों में 64.50 क्विंटल धावड़ा गोंद संग्रहण किया गया। जिसका निर्वर्तन रु. 3.07 लाख में अग्रिम क्रेता नियुक्त कर किया गया।

संग्रहण वर्ष 2012-13 में कुल 21 इकाइयों में संग्रहित होने वाली 955 क्विंटल गोंद वर्ग दो में से 7 इकाइयों की अधिसूचित मात्रा 460 क्विंटल का अग्रिम में निर्वर्तित किया गया, जिनका विक्रय मूल्य रूपये 19.00 लाख है। गोंद वर्ग-2 में से बबूल एवं खैर गोंद की संग्रहण दर रु. 1740/- प्रति क्विंटल एवं धावड़ा गोंद की संग्रहण दर रु. 2900/- प्रति क्विंटल निर्धारित है। अग्रिम में निर्वर्तित एवं अनिर्वर्तित इकाइयों में गोंद वर्ग-2 संग्रहण का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में जिला यूनियनवार निर्वर्तित इकाइयों का विस्तृत विवरण क्रमशः परिशिष्ट 'झ' एवं 'ञ' में संलग्न है।

(x) वर्ष 2010 एवं वर्ष 2011 के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2010 में कुल 15.45 लाख मानक बोरा का संग्रहण किया गया था। उक्त तेन्दूपत्ता के निर्वर्तन उपरांत प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की राशि में से 80 प्रतिशत की राशि रूपये 135.88 करोड़ 847 लाख वाली समितियों में वितरित करने हेतु जिला यूनियन को उपलब्ध कराई गई। समितियों द्वारा राशि रूपये 135.14 करोड़ जन प्रतिनिधियों के समक्ष वितरित की गई। संग्रहण वर्ष 2010 में जिला यूनियनवार प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में वितरण योग्य राशि एवं वितरित राशि का विवरण परिशिष्ट 'ट-1' में संलग्न है।

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2011 में कुल 13.57 लाख मानक बोरा का संग्रहण किया गया था। विगत वर्षों की भांति शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि 80 प्रतिशत राशि संग्राहकों को "प्रोत्साहन पारिश्रमिक" के रूप में वितरित की जाये। 15 प्रतिशत राशि संग्राहकों समितियों को अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के व्यापार हेतु उपलब्ध कराई जाये। यह राशि समितियों को अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय एवं विक्रय, भंडारण तथा प्रसंस्करण हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। समितियों द्वारा यह कार्य लघु वनोपज संघ के मार्गदर्शन में किया जाएगा। शेष 5 प्रतिशत राशि का उपयोग घाटे वाली समितियों के घाटे की अस्थायी प्रतिपूर्ति हेतु परिक्रमण निधि के रूप में संघ मुख्यालय में सुरक्षित रखी जाये।

इसके अतिरिक्त अनेक समितियों में विगत अनेक वर्षों में लगातार लाभ पर होने पर भी पुराने घाटे के कारण हानि में होती थी एवं इस कारण उनको प्रोत्साहन पारिश्रमिक न मिलने से संग्राहकों में असन्तोष होता था। अतः शासन ने यह निर्णय लिया कि संग्रहण वर्ष 2010 तक के लगभग रूपये 11.10 करोड़ के घाटे को माफ किया जावे, जिसके

फलस्वरूप वर्ष 2011 में प्रदेश की समस्त प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों में प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण किया जा रहा है ।

तेन्दूपत्ता जल जाने या क्रेता करारनामा समाप्त होने के कारण क्रेता से पूर्ण विक्रय मूल्य समय पर न प्राप्त हो जाने के कारण कुछ प्राथमिक सहकारी समितियों को या तो प्रोत्साहन पारिश्रमिक प्राप्त ही नहीं होता था अथवा बहुत कम प्राप्त हो पाता था तथा इस कारण संग्राहकों में असंतोष होता था । अतः शासन ने संग्राहकों के हित में यह निर्णय लिया कि संग्रहण वर्ष 2010 एवं आगामी वर्षों में तेन्दूपत्ता जलने पर अथवा अन्यथा प्रथम विक्रय के आधार पर पूर्ण विक्रय मूल्य प्राप्त न होने पर क्रेता करारनामा समाप्त होने के कारण प्रथम विक्रय में स्वीकृत दर के आधार पर प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण किया जाए ।

उक्त निर्णय अनुसार वर्ष 2011 के तेन्दूपत्ता के निर्वर्तन उपरांत प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की राशि में से 80 प्रतिशत की राशि रुपये 156.07 करोड़ 896 समितियों में वितरित करने हेतु जिला यूनियन को उपलब्ध कराई गई । नवार प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों द्वारा उक्त में से राशि रुपये 148.37 करोड़ जन प्रतिनिधियों के समक्ष वितरित की जा चुकी है, शेष राशि का वितरण कार्य प्रगति पर है । संग्रहण वर्ष 2011 में जिला यूनियनवार नवार प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में वितरण हेतु उपलब्ध कराई गई राशि का विवरण परिशिष्ट 'ट-2' में संलग्न है ।

(xi) मूलभूत सुविधा विकास के कार्य

तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त आय (व्यय को घटाकर) की 15 प्रतिशत राशि ग्रामों की मूलभूत सुविधाओं के विकास में उपयोग की जाती है । मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2007 तक राशि जिला यूनियनों के माध्यम से प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को उपलब्ध कराई जा चुकी हैं । उक्त कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश समय-समय पर जिला यूनियन को दिये गये हैं । वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2007 तक जिला यूनियनवार कुल उपलब्ध कराई गई राशि रु. 76.48 करोड़ एवं प्राथमिक समितियों द्वारा कराये गये कार्यों पर व्यय की गई राशि रु. 63.03 करोड़ का वर्षवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'ठ' में संलग्न है ।

(xii) वन एवं वनोपज विकास के कार्य

राष्ट्रीयकृत वनोपज के व्यापार के लाभ-व्यय घटाकर प्राप्त शुद्ध राशि के 15 प्रतिशत राशि से वन एवं वनोपज का विकास कार्य कराये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है, जिसमें वन क्षेत्र में, राजस्व क्षेत्र में वन विभाग के सहयोग से लघु वनोपज के उत्पादन में वृद्धि हेतु संरक्षण, संवर्द्धन एवं रोपण कार्य कराये जाते हैं । इस योजना के तहत वनमंडल के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिक वनोपज समितियों के क्षेत्र में निम्न कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराये जा रहे हैं :-

1. वन विहीन राजस्व एवं वन विभाग की भूमियों पर स्थानीय मिश्रित प्रजातियों का रोपण ।
2. विभिन्न समितियों के वन विहीन उपयुक्त क्षेत्रों में बांस रोपण ।
3. विभिन्न समितियों के क्षेत्र में परम्परागत रूप से विद्यमान लघु वनोपज जैसे हैरा, आंवला, बहेड़ा, माहुल पत्ता, ईमली एवं अन्य प्रमुख रूप से पायी जाने वाली लघु वनोपज प्रजातियों का बिगड़े वन क्षेत्र में रोपण ।
4. बिगड़े वन क्षेत्रों में सुधार एवं प्रमुख रूप से पायी जाने वाली लघु वनोपज प्रजातियों का रोपण ।
5. बिगड़े वन क्षेत्रों में तथा उससे लगे हुए रिक्त राजस्व वन क्षेत्रों में भूमि एवं जल संरक्षण कार्य तथा स्थानीय वनोपज प्रजातियों के रोपण का कार्य ।

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 1998 से 2004 एवं सालबीज संग्रहण वर्ष 2007 की उक्तानुसार आय की रूपये 55.47 करोड़ की राशि से वन एवं वनोपज के विकास संबंधी कार्य कराये जाने हैं । इस हेतु जिला यूनियनों को रूपये 55.47 करोड़ की राशि उपलब्ध भी कराई जा चुकी है । जिला यूनियन से प्राप्त जानकारी अनुसार 36.99 करोड़ के कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं । जिला यूनियनवार इस हेतु उपलब्ध राशि एवं संघ द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि का वर्षवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'ड' में संलग्न है ।

(xiii) संघ मुख्यालय एवं जिला यूनियनों के लेखाओं का कम्प्यूटीकरण -

संघ मुख्यालय स्तर पर लेखा संधारण का कार्य "टैली साफ्टवेयर" के माध्यम से किया जा रहा है । लेखाओं के कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था से लेखा तैयार करने में समय की बचत तो हुई ही है, लेखाओं के गुणात्मक विश्लेषण में भी सुधार हुआ है । संघ मुख्यालय एवं जिला यूनियनों में पदस्थ नव नियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं सहायक ग्रेड - 3 को Tally ERP 9 एवं लेखांकन प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिलाया गया, ताकि जिला यूनियन का लेखा Tally ERP 9 के माध्यम से संधारित किया जा सके । संघ के वित्तीय वर्ष 2011-12 के अंतिम वित्तीय पत्रक (व्यापार पत्रक, लाभ-हानि पत्रक, बैलेंसशीट) तैयार किये जा चुके हैं । इस प्रकार वनोपज संघ का लेखा तैयार करने की दृष्टि से अद्यतन है ।

(xiv) संघ विभाजन संबंधी विवाद

राज्य पुर्नगठन के फलस्वरूप 31.10.2000 की स्थिति में पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ का विभाजन कर पश्चात्पूर्वी मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित भोपाल एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित रायपुर का गठन हुआ है । उक्त विभाजन में आस्तियों एवं दायित्वों का न्यायोचित विभाजन नहीं किये जाने के कारण तथा आपसी सहमति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रयासों को संघ भोपाल द्वारा क्रियान्वित नहीं करने के फलस्वरूप संचालक मण्डल के द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार रूपये 93.27 करोड़ की विवादित राशि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में विविध याचिका क्रमांक 4958/2008 दायर की गई है जो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

(xv) बैंकिंग व्यवस्था में सुधार -

वनोपज के क्रेताओं को देश के किसी भी स्थान से राशि जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई-मनी ट्रान्सफर की व्यवस्था लागू की गई है। यह सुविधा भारतीय स्टेट बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक के खातों में उपलब्ध है। इसी प्रकार क्रेताओं द्वारा विभिन्न जिला यूनियनों में जमा कराई गई राशि को जिला यूनियनों द्वारा संघ मुख्यालय के खातों में ट्रान्सफर करने में होने वाले विलंब को दृष्टिगत रखते हुए अब सभी जिला यूनियनों द्वारा क्रेताओं द्वारा जमा कराई गई राशि को बैंकिंग के माध्यम से संघ मुख्यालय, रायपुर स्थित खाते में राशि सीधे जमा कराई जा रही है।

जिला वनोपज यूनियनों को विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु अग्रिम राशि उपलब्ध कराने के लिये भारतीय स्टेट बैंक की मंत्रालय शाखा में प्रचलित खाता क्रमांक 30735345823 से राशि आहरण के अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसके लिए संघ द्वारा सभी जिला यूनियनों को धनादेश पुस्तिकाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

(xvi) चरणपादुका का वितरण -

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों के प्रति संवेदनशीलता दर्शाते हुये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गतवर्ष के भाँति ही प्रत्येक तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के एक पुरुष सदस्य को एक जोड़ी चरणपादुका वितरित करने का निर्णय लिया गया था। फलस्वरूप वर्ष 2012-13 में 11.62 लाख जोड़ी चरणपादुका रूपये 123/- प्रति जोड़ी की दर से क्रय कर वितरित की जा रही है, जिला यूनियनवार उपलब्ध कराई गई चरणपादुका की क्रय एवं वितरण की जानकारी **परिशिष्ट-ढ** में संलग्न है। इस हेतु छत्तीसगढ़ शासन से रूपये 18.10 करोड़ की राशि वर्ष 2011-12 में तथा रूपये 15.00 करोड़ की राशि वर्ष 2012-13 में संघ को उपलब्ध करायी गयी थी।

वर्ष 2013 में भी गतवर्ष की भाँति प्रदेश के लगभग 12.55 लाख तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के एक पुरुष सदस्य को एक जोड़ी चरणपादुका उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया, छत्तीसगढ़ शासन को रूपये 15.00 करोड़ की राशि संघ को उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया।

उक्त चरणपादुका क्रय हेतु संघ कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक/शूज/2012/I दिनांक 12.11.2012 द्वारा चरणपादुका क्रय हेतु अधिसूचना जारी कर दिनांक 13.12.2012 तक E-Tender के माध्यम से निविदाएँ आमंत्रित की गई थी। जिसमें न्यूनतम दर रु. 127.05 प्रति जोड़ी के अनुसार 12.55 लाख चरणपादुका क्रय करने के आदेश जारी किया गया। क्रय की जाने वाली चरणपादुकाओं का वितरण वर्ष 2013 में किया जावेगा।

(xvii) महिला संग्राहकों को साड़ी का वितरण -

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों के प्रति संवेदनशीलता दशति हुये, वर्ष 2013 में प्रदेश के लगभग 12.55 लाख तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के एक महिला सदस्य को एक साड़ी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। उक्त साड़ियों के क्रय हेतु संघ कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक/संघ/साड़ी/2013/I दिनांक 28.01.2013 द्वारा साड़ी क्रय हेतु दिनांक 28.02.2013 तक Online Tender के माध्यम से निविदाएँ आमंत्रित की गई थी, जिसकी Technical Bid दिनांक 01.03.2013 को Online खोली गई जिसमें 12 निविदाकारों ने भाग लिया। तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों के Financial Bid दिनांक 20.03.2013 को प्रातः 11.00 बजे से Online खोले जावेंगे। क्रय की जाने वाली साड़ी का वितरण वर्ष 2013 में किया जावेगा।

(xviii) तेन्दूपत्ता कार्य में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों को देय नगद प्रोत्साहन राशि।

विभिन्न विभागों के अधिकारी/कर्मचारी जो अपने कार्य के अतिरिक्त तेन्दूपत्ता संग्रहण/भण्डारण कार्य संपादित करते हैं, को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाता है -

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी	राशि
1.	जोनल अधिकारी	2400/-
2.	परिक्षेत्र अधिकारी, पोषक अधिकारी, फड़ अभिरक्षक (प्रत्येक फड़ हेतु केवल एक) गोदाम प्रभारी एवं गोदाम पर कार्य करने वाले कर्मचारी, तेन्दूपत्ता परिवहन अधिकारी, वनमंडलाधिकारी/वनसंरक्षक के स्टेनोग्राफर, प्रबंध संचालक जिला यूनियन कार्यालय/वनमंडल कार्यालय एवं वन संरक्षक कार्यालय में तेन्दूपत्ता शाखा में पदस्थ लिपिकीय अमला।	2000/-
3.	वन संरक्षक, प्रबंध संचालक एवं जोनल अधिकारियों के वाहन चालक एवं अन्य वाहन चालक, परिक्षेत्र कार्यालय में कार्यरत लिपिक।	1000/-

उन समितियों के फड़ अभिरक्षक, पोषक अधिकारी एवं जोनल अधिकारी को उपरोक्तानुसार दर्शाई राशि का 75 प्रतिशत ही देय होता है, जिनका पत्ता संग्रहण से पूर्व अग्रिम में विक्रय होकर क्रेता नियुक्त हो चुका है।

अधिकारियों/कर्मचारियों को देय नगद प्रोत्साहन राशि की 50 प्रतिशत राशि तेन्दूपत्ता संग्रहण प्रारंभ होने के पूर्व अग्रिम के रूप में तथा शेष 50 प्रतिशत राशि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त समीक्षाकर संबंधित का कार्य संतोष जनक होने पर भुगतान किया जाता है।

तेन्दूपता कार्य में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों के देय नगद प्रोत्साहन राशि में वृद्धि किये जाने बाबत संघ के संचालक मण्डल की 45वीं बैठक दिनांक 14.09.2011 में पारित संकल्प के परिप्रेक्ष्य में छ.ग.शासन वन विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है ।

(xix) प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा -

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत बीमा वर्ष 2009-10 से कराया जा रहा है, ताकि प्रबंधक की सामान्य मृत्यु पर रुपये 25,000/- पर तथा दुर्घटनाजन्य मृत्यु पर रुपये 50,000/- उसके आश्रित को उपलब्ध हो सके । प्रबंधकों की बीमा प्रीमियम की राशि का एकमुश्त भुगतान संघ मुख्यालय द्वारा किया जाता है ।

वर्ष 2012-13 में 876 समिति प्रबंधकों का बीमा जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत कराया गया था । वर्ष 2013-14 के लिये समूह बीमा के नवीनीकरण हेतु समस्त प्रबंध संचालक, जिला यूनियनों से सम्बद्ध प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों की सूची प्राप्त की जा रही है ।

(xx) जिला वनोपज सहकारी यूनियनों के संचालक सदस्यों एवं प्राथमिक वनोपज समितियों के अध्यक्ष/उपाध्यक्षों का सहकारिता अंतर्गत प्रशिक्षण

जिला वनोपज सहकारी संघ के निर्वाचित संचालकों को सहकारिता के अंतर्गत अधिकारी एवं कर्तव्य तथा दायित्व संबंधी ज्ञानार्जन हेतु राज्य सहकारी संघ के प्रशिक्षकों द्वारा विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण दिया गया ।

इसी क्रम में प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों के लिये भी 3-3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन क्रमशः जगदलपुर, बिलासपुर एवं रायपुर में किया गया । जिसमें महिला उपाध्यक्षों द्वारा भी उपस्थिति दर्ज की गई ।

(xxi) सहकार भारती द्वारा बैंगलूरु में आयोजित चतुर्थ राष्ट्रीय अधिवेशन

सहकार भारती द्वारा बैंगलूरु में चतुर्थ राष्ट्रीय अधिवेशन दिनोंक 18 एवं 19 जनवरी 2013 को आयोजित किया गया था । इस राष्ट्रीय अधिवेशन में संघ के उपाध्यक्ष सहित निर्वाचित संचालकों तथा जिला यूनियन कांकेर के अध्यक्ष द्वारा उपस्थिति दी गई ।

(xxii) छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 दिनांक 12 दिसम्बर 2011 से प्रवृत्त हो गया है । इस नियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी (आवेदन, अपील तथा परिव्यय का भुगतान) नियम दिनांक 14 दिसम्बर 2011 से प्रवृत्त किये गये है ।

वन विभाग, रायपुर की अधिसूचना दिनांक 16 दिसम्बर 2011 में छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ एवं उससे संबद्ध जिला यूनियनों व प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों में लोक

सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सेवा प्रदाय करने की अवधि, पदाभिहित अधिकारी, सक्षम अधिकारी एवं अपील प्राधिकारी के पदनाम अधिसूचित किये गये है। इस अधिनियम में तेन्दूपत्ता संग्राहकों की समूह बीमा योजना, तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया हेतु जनश्री बीमा योजना तथा उससे जुड़ी छात्रवृत्ति, तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण, तेन्दूपत्ता एवं सालबीज के संग्रहण पारिश्रमिक वितरण एवं चरणपादुका वितरण आदि के कार्यों की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

संघ मुख्यालय द्वारा समस्त प्रबंध संचालक, जिला यूनियन को अधिनियम की प्रति भेजते हुये अधिनियम, नियम एवं अधिसूचना के मुख्य-मुख्य प्रावधानों से समिति प्रबंधको को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षित करने संबंधी निर्देश जारी किये जा चुके है।

(xxiii) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन में संघ मुख्यालय द्वारा मुख्यालय स्तर, समस्त वनवृत्त एवं समस्त जिला यूनियनों के लिये अपीलीय अधिकारी एवं जनसूचना अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है तथा संघ कार्यालय से संबंधित 17 बिन्दुओं की जानकारी संघ की वेब-साईट में अपलोड की जा चुकी है।

वर्ष 2012 में सूचना के अधिकार अंतर्गत संघ मुख्यालय स्तर पर प्राप्त 50 आवेदन पत्रों का निराकरण कर वांछित जानकारी / जानकारी प्राप्त करने की सूचना आवेदकों को उपलब्ध करायी गई है।

(xxiv) अकाष्टीय वनोपज विकास

1. संसाधन संवर्धन -

छत्तीसगढ़ राज्य की पहचान हर्बल राज्य के रूप में भी की जाती है। वन क्षेत्रों में अकाष्टीय वनोपज की प्रचुरता को ध्यान में रखकर उनके संवर्धन तथा विकास हेतु “लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना” की जा रही है। इसके अंतर्गत वन क्षेत्रों में पाये जाने वाले बहुमूल्य अकाष्टीय वनोपज प्रजातियों के संसाधन सर्वेक्षण, अंतः स्थलीय संवर्धन एवं प्रसंस्करण के प्रशिक्षण तथा वन औषधालय की स्थापना के कार्य संपादित कर वन क्षेत्रों की सुरक्षा एवं संवर्धन ग्रामीणों को रोजगार के अवसर देते हुये सुनिश्चित किये जा रहे हैं। लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना के लिये राज्य शासन द्वारा आदिवासी उपयोजना मद से प्राप्त अनुदान द्वारा 1000 हेक्टेयर में 01 तथा संघ मद से प्राप्त राशि द्वारा 22000 हेक्टेयर में 22 लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना वर्ष 2012-13 में की गई है। विगत दो वर्षों में उपरोक्त मदों से प्राप्त राशि द्वारा 36857 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रख-रखाव के कार्य भी किये जा रहे हैं। परियोजना के लिये आदिवासी क्षेत्र उपयोजना तथा संघ मद से वर्ष 2012-13 के लिये क्रमशः राशि रूपये 140.00 लाख तथा रूपये 336.45 लाख प्राप्त हुआ है।

2. कच्चे लघु वनोपज का संग्रहण एवं प्रसंस्करण

2.1 कच्चे लघु वनोपज संग्रहण

राज्य में कच्चे लघु वनोपज संग्रहण करने हेतु बाजार मांग एवं उपलब्धता को देखते हुए अधिक बाजार मांग वाली प्रजातियों का चयन कर ग्राम एवं हाट बाजार स्तर पर स्व सहायता समूहों के माध्यम से क्रय हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्व सहायता समूह कच्चे लघु वनोपज क्रय करने पश्चात् स्थानीय बाजार अथवा नजदीकी NWFEP मार्ट में उसका विक्रय करते हैं। लघु वनोपज का विनाश विहीन विदोहन पद्धति से संग्रहण एवं बाजार मानक के अनुरूप प्रसंस्करण हेतु हितग्राहियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है।

2.1.1. अराष्ट्रीयकृत वनोपज का क्रय

शासन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संग्रहण वर्ष 2008 एवं आगामी वर्षों की तेन्दूपत्ते के आय की 15 प्रतिशत राशि से प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज जैसे इमली, महुआ, चिरौजी आदि का क्रय-विक्रय, भंडारण एवं प्रसंस्करण का कार्य किया जावे। इस हेतु वर्ष 2008, 2009, 2010 एवं 2011 के तेन्दूपत्ते के व्यापार की आय की 15 प्रतिशत राशि रु. 83.38 करोड़ जिला यूनियनों को उपलब्ध कराई गई है। स्व सहायता समूह इस हेतु प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति से ऋण प्राप्त कर अपनी इच्छानुसार लघु वनोपज का क्रय-विक्रय कर आय अर्जित कर सकते हैं। स्व-सहायता समूह को रूपये 2000/- प्रति सदस्य के हिसाब से ऋण समिति के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। उक्त प्रक्रिया में वनोपज के क्रय-विक्रय के दर निर्धारण का अधिकार स्व सहायता समूहों को ही है।

2.2 लाख विकास

प्रदेश में ग्रामीणों/वनवासियों द्वारा कम श्रम साध्य कार्य होने के फलस्वरूप परम्परागत रूप से कुसुम, बेर तथा पलाश के वृक्षों पर लाख पालन का कार्य किया जाता है। वर्ष 2012-13 में लाख विकास योजना मद में जिला यूनियन कोरिया, दक्षिण सरगुजा, पूर्वी सरगुजा, उत्तर सरगुजा, जगदलपुर, दंतैवाड़ा, सुकमा, राजनांदगांव, कांकेर, पूर्व भानुप्रतापपुर, नारायणपुर, धमतरी, महासमुन्द, उदंती, रायपुर, कोरबा तथा बिलासपुर में कुल-44 लाख पालन माइक्रोइंटरप्राइजेस की स्थापना कर कार्य सम्पादन किया जा रहा है।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के उद्देश्यों के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए लाख पालन एवं प्रसंस्करण माइक्रोइंटरप्राइजेस की 26 परियोजनाएँ जिला यूनियनों में संचालित की जा रही हैं। परियोजना अवधि वर्ष 2009-10 से वर्ष 2013-14 तक लगभग 13204 हितग्राहियों को योजना के तहत लाख की खेती के माध्यम से लाभ पहुँचाया जा रहा है। संपूर्ण परियोजना के लिए केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा स्वीकृत राशि रु. 14.97 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2011-12 तक स्वीकृत परियोजना के कार्य संपादन हेतु राशि रु. 1123.36 लाख की राशि प्राप्त हुई है, जिसके विरुद्ध दिसम्बर 2012 तक रु. 533.87 लाख व्यय की गई है।

वर्तमान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यूरोपियन कमीशन योजना, तथा लाख विकास योजना के माध्यम से स्थापित किये गये कुल 115 लाख पालन माइक्रोइंटरप्राइजेस की परियोजनाएँ संचालित की जा रही है। लाख पालन को बढ़ावा देकर ग्रामीणों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से लाख पालन एवं इसकी क्रियाविधि की जानकारी देने हिन्दी तथा छत्तीसगढ़ी भाषा में वीडियो फिल्म तैयार की जाकर जिला यूनियनों, कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा टी.वी.चैनलों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

2.3 माहुल पत्ता प्रसंस्करण

प्रदेश में माहुल पत्ता का उत्पादन बहुतायत में होता है। विगत वर्षों में संग्रहित माहुल पत्ता को सीधे अन्य राज्यों में बिक्री किया जाता था, जिससे स्थानीय ग्रामीण वनवासियों को कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा था। अतः माहुल पत्ता से संग्राहक स्थानीय ग्रामीणों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने हेतु 21 माहुल पत्ता प्रसंस्करण ईकाईयों की स्थापना की गयी है। इन ईकाईयों में स्व-सहायता समूहों के द्वारा माहुल पत्ता का उपचार कर मशीन द्वारा दोना-पत्तल का निर्माण किया जा रहा है।

2.4 शहद संग्रहण एवं प्रसंस्करण

राज्य के वन क्षेत्रों से उत्तम गुणवत्ता का शहद बहुतायत में प्राप्त होता है। शहद संग्राहकों को उचित मूल्य दिलाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा राज्य के विभिन्न स्थानों में समूहों से सीधे शहद क्रय किया जाता है। संग्रहित शहद का प्रसंस्करण एवं बॉटलिंग जिला यूनियन बिलासपुर, जशपुर नगर, कवर्धा तथा पूर्व भानुप्रतापपुर में स्थापित प्रसंस्करण केन्द्र द्वारा किया जाता है, जिसे **छत्तीसगढ़ हर्बल्स** ब्रांड नाम से विक्रित किया जाता है। उक्त शहद की बाजार मांग काफी अधिक है।

2.5 इमली संग्रहण एवं प्रसंस्करण

प्रदेश के बस्तर संभाग में उच्च गुणवत्तायुक्त इमली का उत्पादन बहुतायत में होता है। जिला यूनियन दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर एवं जगदलपुर क्षेत्र में स्व-सहायता समूह एवं प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों द्वारा इमली का क्रय किया जाता है। इसके प्रसंस्करण हेतु विभिन्न प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित किये गए हैं, जहां प्रसंस्कृत उत्पाद जैसे चपाति, ब्रिक्स, कैंडी आदि का निर्माण किया जाता है। अतिरिक्त इमली का भंडारण जगदलपुर एवं दंतेवाड़ा स्थित शीतगृहों में किया जाता है।

2.6 वनौषधि निर्माण

प्रदेश के कटघोरा, मरवाही, बिलासपुर, जगदलपुर, जशपुर तथा पूर्व रायपुर जिला यूनियनों में स्थापित औषधि निर्माण केन्द्रों में तैयार किये जा रहे विभिन्न हर्बल उत्पादों को संजीवनी तथा NWFEP मार्ट के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है। वर्तमान में उपरोक्त केन्द्रों के माध्यम से लगभग 72 हर्बल उत्पाद तैयार किये जा रहे हैं। इन उत्पादों की उत्पादन से बजार मांग अधिक है। इनके पैकेजिंग आदि में आवश्यक सुधार करने हेतु

कार्यवाही जारी है। नारायणपुर, धमतरी तथा धरमजयगढ़ जि.यू. में वनोषधि निर्माण केन्द्र का लाइसेंस प्राप्ति एवं स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

3. विपणन

अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज विपणन हेतु सुनिश्चित व्यवस्था निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य के 6 वन वृत्त मुख्यालयों में NWFP मार्ट की स्थापना की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत संबंधित वृत्त में स्थानीय संग्राहक / स्व-सहायता समूह/ वन समिति/ प्राथमिक वनोपज समितियों द्वारा संग्रहित एवं प्रसंस्कृत लघु वनोपज को निश्चित दर पर क्रय किया जा रहा है। इसके पश्चात उपरोक्त उत्पाद का थोक या रिटेल विक्रय किया जा रहा है। हर्बल उत्पाद बिक्री हेतु “छत्तीसगढ़ हर्बल्स” ब्रांड नाम को बढ़ावा दिया जा रहा है। विभिन्न माध्यम जैसे - इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, एस.एम.एस., होर्डिंग्स, ब्रोशर तथा पैम्पलेट्स आदि द्वारा इन उत्पादों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

प्रत्येक NWFP मार्ट संचालन हेतु एक सीनियर एवं जूनियर एक्सीक्यूटिव मार्केटिंग की नियुक्ति की गई है। प्रदेश में स्थापित 6 NWFP Marts में वित्तीय वर्ष 2012-13 में (दिसम्बर 2012 तक) क्रय-विक्रय की प्रगति निम्नानुसार है :-

वर्ष	क्रय मूल्य (रु. लाख में)	विक्रय मूल्य (रु. लाख में)
2012-13 (दिसंबर 2012 तक)	86.72	118.30

- हर्बल उत्पादों के बिक्री हेतु “छत्तीसगढ़ हर्बल्स” ब्रांड नाम को बढ़ावा दिया जा रहा है। विभिन्न जिला यूनियनों के स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार हर्बल उत्पादों के विक्रय में वृद्धि के लिये पैकेजिंग तथा लेबल डिजाइनिंग हेतु संघ मुख्यालय स्तर पर कार्यवाही की गई है।

4. यूरोपियन कमीशन परियोजना -

छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्यों को बढ़ावा देकर, ग्रामीणों को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूरोपियन कमीशन की आर्थिक सहायता से एक परियोजना शासन द्वारा स्वीकृत की गई है। इसकी कुल लागत ₹ 23.25 करोड़ है, तथा यह योजना वित्तीय वर्ष 2006-07 से प्रारंभ हुई है तथा मार्च 2013 में समाप्त होगी। योजना के क्रियान्वयन हेतु अब तक कुल राशि ₹ 2120.64 लाख प्राप्त हुई है।

इस परियोजना के अंतर्गत लघु वनोपज संसाधन सर्वेक्षण, लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण, विपणन, सूचना प्रबंधन प्रणाली, अनुसंधान एवं विस्तार, प्रमाणीकरण तथा क्षमता विकास आदि कार्य क्रियान्वित किये जा रहे हैं। परियोजना की घटकवार प्रगति निम्नानुसार है।

I. परियोजना का घटकवार विवरण

1. संसाधन सर्वेक्षण एवं हर्बल हेल्थ केयर

(1.1) **संसाधन सर्वेक्षण** - परियोजना अंतर्गत राज्य में 4912 सेम्पल प्लाट डालकर लघु वनोपज का संसाधन सर्वेक्षण कर आंकड़े एकत्र किये गये हैं। प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए एफ.एस.आई. देहरादून से डाटा एनालिसिस साफ्टवेयर तैयार कराया गया है।

(1.2) **हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा** - हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 21 स्थानों का चयन कर 418 वैद्य के साक्षात्कार के माध्यम से कुल 3401 परम्परागत औषधियों का अभिलेखन किया गया। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 50 वनौषधालयों की स्थापना का कार्य कराया जा रहा है, जिसमें से 47 वनौषधालय स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा इन्हें स्थानीय वैद्यों द्वारा संचालित किया जा रहा है। इन वनौषधालयों की स्थापना हेतु कुल राशि ₹ 193.29 लाख स्वीकृत किए गए हैं। चयनित परंपरागत वैद्यों को वनौषधालय संचालन हेतु राशि ₹ 10000 प्रति वनौषधालय चक्रीय राशि एवं राशि ₹ 100 प्रतिदिन के मान से वैद्यों को मानदेय प्रदाय किया जा रहा है।

2. लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्य

इस घटक के अंतर्गत विभिन्न लघु वनोपज आधारित माइक्रोइन्टरप्राइजेस स्थापित किये गए हैं। प्रत्येक माइक्रोइन्टरप्राइजेस में आवश्यकतानुसार लघु वनोपज उत्पादन, संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन के कार्य प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति/वन समिति/स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है। परियोजना अंतर्गत स्वीकृत 74 माइक्रोइन्टरप्राइजेस में कुल 1341 समूह के अंतर्गत 18077 हितग्राही कार्यरत हैं। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ग	माइक्रो इन्टरप्राइजेस के नाम	मा.ई. की संख्या	स्वीकृत कुल राशि (रु. लाख में)
2.1	लघु वनोपज उत्पादन	लाख पालन	16	293.88
		शहद संग्रहण	4	35.00
2.2	लघु वनोपज संग्रहण	कच्चे वनोपज संग्रहण	16	94.60
2.3	लघु वनोपज प्रसंस्करण	इमली	5	81.00
		वनोषधि	7	107.36
		तैलीय बीज	3	60.00
		माहुल पत्ता	10	200.00
		चिरौजी	3	44.63
		आंवला	3	35.00
		लाख	1	20.00
		हर्बल खाद्य	1	84.055
काजू प्रसंस्करण	क्लस्टर लेवल	3	45.30	

		काजू संग्रहण	1	39.00
		सेंट्रल लेवल	1	43.064
2.4	लघु वनोपज विपणन	लघु वनोपज एवं हर्बल उत्पादों का समूहों के माध्यम से क्रय-विक्रय	19	49.00
		योग:-	93	1231.889

उपरोक्त माइक्रोइंटरप्राइजेस के सुचारु रूप से संचालन हेतु आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों से तकनीकी परामर्श एवं रिसोर्स पर्सन की सहायता ली गई है, ताकि हितग्राही पूर्ण क्षमता से कार्य करते हुए मा.इ. का लाभ ले सकें।

3. वनौषधि/हर्बल उत्पाद निर्माण :- यूरोपियन कमीशन परियोजना अंतर्गत डोंगानाला (कटघोरा), केंवची (मरवाही), अतरिया (बिलासपुर), केशोडार (गरियाबंद), कुरंदी (जगदलपुर) तथा पंचक्की (जशपुर) में स्थापित वनौषधि निर्माण केन्द्रों में वनौषधि उत्पाद हेतु ड्रग लायसेंस प्राप्त कर लिया गया है तथा नारायणपुर, धरमजयगढ़, धमतरी में स्थापित केन्द्रों के लिये ड्रग लायसेंस प्राप्त करने की कार्यवाही प्रगति पर है। इन केन्द्रों में 75 वनौषधि/हर्बल उत्पाद का निर्माण किया जा रहा है, जिनका विपणन प्रदेश में स्थापित 6 NWFPMार्ट एवं 43 संजीवनी के माध्यम से किया जा रहा है।

उपरोक्त केन्द्रों के साथ अन्य 11 प्रमुख हर्बल खाद्य उत्पाद निर्माण केन्द्रों को The Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 के अंतर्गत पैकर्स पंजीयन कराये जाने की आवश्यक कार्यवाही प्रगति पर है।

4. विपणन :- माइक्रोइंटरप्राइजेस द्वारा निर्मित उत्पादों के विक्रय हेतु बाजार उपलब्ध कराने हेतु इस घटक के अंतर्गत विभिन्न जिलों में “संजीवनी” के नाम से हर्बल उत्पादों के विपणन हेतु 15 प्रदर्शन सह विक्रय केन्द्र भवन निर्माण किया गया है। इसके लिये अभी तक राशि ₹ 85.31 लाख उपलब्ध करायी गयी है। हर्बल उत्पादों के विक्रय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग वनवृत्त में विकासखंड / परिक्षेत्र स्तर पर प्रत्येक संजीवनी की स्थापना हेतु रु 1.00 लाख का आबंटन दिया गया है। हर्बल उत्पाद के विक्रय को बढ़ावा देने हेतु निर्मित उत्पादों की पैकिंग, लेबलिंग में तकनीकी सहायता के साथ-साथ उत्पाद विक्रय हेतु आवश्यक प्रशिक्षण भी स्व सहायता समूहों को दिया गया है। रायपुर NWFPMार्ट में आम जनता की सुविधा के लिये आयुर्वेद चिकित्सक की निःशुल्क सेवा उपलब्ध करायी जा रही है।

4.1 बाजार सर्वेक्षण एवं अध्ययन :- अकाष्टीय वनोपज के निर्यात की संभावना ज्ञात किए जाने हेतु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फारेन ट्रेड, नई दिल्ली से, राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लघु वनोपज का योगदान ज्ञात किए जाने हेतु दि लाइवलीहुड स्कूल बेसिक्स, भोपाल से अध्ययन कराया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में लाख खेती एवं प्रसंस्करण का अध्ययन कर अभिलेखन हेतु तथा लाख आधारित उत्पादों पर बाजार सर्वेक्षण का कार्य IINRG रांची के माध्यम से कराया गया है।

4. अनुसंधान एवं विस्तार - डाबर तथा हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड बैंगलोर के विशेषज्ञों के माध्यम से 50 कच्चे लघु वनोपज की विनाश विहीन विदोहन पद्धतियों का निर्धारण तथा प्राथमिक प्रसंस्करण विधि का मानकीकरण गुणवत्ता सुधार हेतु किया गया है। सी.एफ.टी.आर. आई., मैसूर से इमली एवं आंवला से केण्डी, पल्प तथा स्प्रेड तैयार करने हेतु तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर जगदलपुर में इमली कैन्डी प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना की गयी है। सी. एफ.टी.आर. आई. मैसूर की तकनीकी सहायता से पलाश फूल, बेल एवं तिखुर से नए उत्पाद तैयार करने हेतु अनुसंधान कार्य कराया जा चुका है।

भारत शासन के उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थान, जबलपुर से 6 प्रोजेक्ट पर अनुसंधान कार्य कराया जा रहा है। जिसमें से 03 प्रोजेक्ट का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है तथा शेष 03 पर अनुसंधान कार्य प्रगति पर है।

5. सूचना प्रबंधन प्रणाली - इस घटक के अंतर्गत संघ मुख्यालय को 6 वृत्त, 32 जिला यूनियनों, 6 NWFEP मार्ट तथा 4 शहद प्रसंस्करण केन्द्र के साथ कम्प्यूटर, इन्टरनेट तथा टैली साफ्टवेयर के माध्यम से जोड़कर जानकारी का आदान-प्रदान किया जा रहा है, ताकि जानकारियों के संग्रहण, संकलन एवं विश्लेषण तथा लेखा तैयार करने में समय की बचत हो एवं मानव श्रम का सही उपयोग हो। इससे उत्पाद क्रय-विक्रय संबंधी संकलन आसानी से किया जाता है।

6. प्रमाणीकरण - इस घटक के अंतर्गत संग्रहित लघु वनोपज की गुणवत्ता पर नियंत्रण हेतु सीजीसर्ट (छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण सोसाइटी), रायपुर के माध्यम से जैविक प्रमाणीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस हेतु आवश्यकतानुसार अधोसंरचना विकास एवं प्रमाणीकरण के बारे में प्रचार-प्रसार भी इस घटक के तहत किये जा रहे हैं। प्रचार प्रसार हेतु दूरदर्शन से एक जिंगल तथा एक फिल्म का भी निर्माण कराया जा चुका है। वन क्षेत्रों के उत्पादों के जैविक प्रमाणीकरण हेतु 17 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों एवं 02 निजी संस्था को चयनित किया गया है।

7. क्षमता विकास - यूरोपियन कमीशन परियोजना अंतर्गत अकाष्टीय वनोपज आधारित विकास में दूरगामी परिणाम लाने हेतु स्व सहायता समूहों का क्षमता विकास किया गया है। इस हेतु प्रशिक्षण, क्षेत्र भ्रमण तथा कार्य शाला आदि आयोजित किये गये हैं। हितग्राहियों को माहुल पत्ता प्रसंस्करण, इमली प्रसंस्करण, वनौषधि प्रसंस्करण, कच्चे लघु वनोपज संग्रहण, लाख पालन, शहद संग्रहण तथा स्व-सहायता समूह गठन एवं सशक्तिकरण के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण हेतु क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान, बिलासपुर के सहयोग से प्रशिक्षण मार्गदर्शिका तैयार की गयी है। पूर्व में Livelihood Basics School, Bhopal तथा IIFM भोपाल से मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कराया जाकर उक्त मास्टर ट्रेनर के माध्यम से स्व-सहायता समूहों का प्रशिक्षण कराया गया है। परियोजना अंतर्गत कुल 8 सेमिनार / कार्यशाला - प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, हर्बल हेल्थ केयर स्ट्रेटेजी, कच्चे लघु वनोपज का विनाश विहीन विदोहन, संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन, एकाउंटिंग प्रोसेस एवं एम.आई.एस., क्षमता विकास, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस एवं मार्केटिंग ऑफ एन.टी.एफ.पी. विषयों पर आयोजित की गई है, जिसमें कुल 458 स्टाफ एवं अन्य द्वारा भाग लिया गया है। **परियोजना अंतर्गत अभी**

तक कुल 15908 हितग्राहियों, 4359 स्टॉफ एवं 2733 वन प्रबंधन समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया ।

यूरोपियन कमीशन परियोजना की वित्तीय प्रगति (दिसम्बर 2012 की स्थिति में)

क्र	घटक	प्राप्त राशि (रु लाख में)	व्यय राशि(रु लाख में)
1	संसाधन सर्वेक्षण एवं हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा	279.20	244.26
2	लघु वनोपज आधारित जीविकोपार्जन कार्य	1225.54	991.68
3	विपणन	235.70	238.38
4	अनुसंधान एवं विस्तार	94.20	71.28
5	सूचना प्रबंधन प्रणाली (एम.आई.एस.)	117.80	119.02
6	प्रमाणीकरण	50.40	28.37
7	क्षमता विकास	117.80	111.83
	योग	2120.64	1804.81

यूरोपियन कमीशन परियोजना क्रियान्वयन में वर्ष 2011-12 तक किए गए व्यय का अंकेक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया गया है ।

8. यू.एन.डी.पी. व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत शासन प्रायोजित, प्राकृतिक संसाधनों के समुदाय आधारित प्रबंधन से जैव विविधता संरक्षण

राज्य के कटघोरा वनमंडल में 6107.294 हेक्टेयर जगदलुपर वनमंडल में 6058.924 हेक्टेयर एवं उत्तर कोण्डागांव वनमंडल में 6895.066 हेक्टेयर के मान से कुल 19241.284 हेक्टेयर जैव विविधता बहुलता वाले क्षेत्र में स्थानीय समुदायों की सहभागिता से जैव विविधता संवर्धन व संरक्षण पर आधारित रोजगार सृजन करने हेतु रु. 270.71 लाख की लागत से एक परियोजना यू.एन.डी.पी. द्वारा स्वीकृति की गयी है, जो कि भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से क्रियान्वित की जा रही है ।

वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 तक कुल रु. 270.71 लाख की राशि प्राप्त हुई है, जिसके विरुद्ध माह जनवरी, 2013 तक कुल रु. 259.85 लाख की राशि व्यय करते हुये संसाधन सर्वेक्षण, अंतःस्थलीय संरक्षण, बाह्य स्थलीय संवर्धन, वनौषधालय स्थापना, गैरवानिकी जैव विविधता विकास, अनुसंधान एवं विस्तार, जैविक प्रमाणीकरण, लघुवनोपज आधारित गतिविधियों के अंतर्गत लाख पालन, इमली, चिरौंजी, व माहुल पत्ता का संग्रहण व प्रसंस्करण, कोसा पालन एवं स्व-सहायता समूहों एवं वन प्रबंधन समितियों के क्षमता विकास के कार्य किये गये हैं ।

परिशिष्ट - क

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित हेतु स्वीकृत पदों की जानकारी

अ.क्र.	पदनाम	संघ मुख्यालय के पद			वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक			जिला यूनियन के पद			कुल योग		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	प्रबंध संचालक (प्र.मु.व.सं.)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
2	अपर प्रबंध संचालक (अ.मु.व.सं.)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
3	कार्यकारी संचालक (मु.वन संरक्षक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
4	महाप्रबंधक (वन संरक्षक)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
5	उप वन संरक्षक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
6	सचिव (संयुक्त पंजीयक)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
7	प्रबंधक वित्त (उप पंजीयक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
8	प्रबंधक लेखा (उप पंजीयक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
9	उप प्रबंधक (स.व.सं.)	2	1	1	6	3	3	31	21	10	39	25	14
10	वन क्षेत्रपाल	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
11	उप वन क्षेत्रपाल	0	0	0	0	0	0	200	45	155	200	45	155
12	उप महाप्रबंधक (प्रणाली)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
13	आयुर्वेद चिकित्सक (संविदा)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
14	टेक्सानामिस्ट	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
15	सहायक प्रोग्रामर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
16	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (नियमित)	7	7	0	6	6	0	32	29	3	45	42	3
17	स्टाफ ऑफिसर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
18	निज सहायक/निज सचिव	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
19	वरिष्ठ शीघ्रलेखक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20	शीघ्रलेखक (नियमित वेतनमान)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
21	सहायक लेखाधिकारी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
22	अधीक्षक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
23	लेखा अधीक्षक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
24	वरिष्ठ लेखापाल	5	3	2	0	0	0	0	0	0	5	3	2
25	लेखापाल	4	1	3	6	5	1	22	15	7	32	21	11
26	कनिष्ठ लेखापाल	6	5	1	0	0	0	13	12	1	19	17	2
27	सहायक वर्ग-3	9	7	2	6	6	0	45	43	2	60	56	4
28	स्वागतकर्ता सहायक वर्ग-3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
29	वाहन चालक	6	5	1	0	2	-2	6	5	1	12	12	0
30	दफ्तरी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
31	संदेशवाहक	12	11	1	12	12	0	86	81	5	110	104	6
32	चौकीदार	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
	योग :-	77	63	14	36	34	2	450	251	199	563	348	215

जिला यूनियनवार अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण (वास्तविक संग्रहण)

संग्रहण वर्ष : 2012

जिला यूनियन का नाम	विक्रित लाटों का विवरण			
	लाटों की संख्या	मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)
बीजापुर	29	47398.454	229300681.43	4837.72
सुकमा	41	82622.876	278748959.90	3373.75
दत्तेवाड़ा	13	33797.415	103877985.92	3073.55
जगदलपुर	15	25240.537	73878910.25	2926.99
दक्षिण कोंडागांव	11	22095.160	72019223.64	3259.50
उत्तर कोंडागांव	16	30554.975	97999840.49	3207.33
नारायणपुर	12	24755.135	80952148.55	3270.12
पूर्व भानुप्रतापपुर	55	99835.250	436100965.22	4368.21
पश्चिम भानुप्रतापपुर	55	83246.960	285840897.13	3433.65
कांकेर	24	40984.890	166029811.80	4051.00
राजनांदगांव	51	83497.265	312181633.22	3738.82
खैरागढ़	24	46324.280	155485869.52	3356.47
दुर्ग	18	26744.070	101994189.39	3813.71
कवर्धा	24	43358.595	153998041.07	3551.73
धमतरी	23	30817.135	122644520.35	3979.75
उदन्ती	19	21828.015	92770518.09	4250.07
पूर्व रायपुर	43	65024.135	295053220.08	4537.60
महासमुंद	69	105427.365	398469029.87	3779.56
रायपुर	16	27682.935	108666441.90	3925.39
बिलासपुर	16	25742.500	91492248.97	3554.13
मरवाही	19	32860.145	132205123.18	4023.27
जांजगीर-चांपा	7	9004.085	24143410.45	2681.38
रायगढ़	41	66638.060	249664861.58	3746.58
धरमजयगढ़	53	87344.620	370073130.93	4236.93
कोरबा	34	57896.590	249329865.94	4306.47
कटघोरा	39	84639.420	363646161.11	4296.42
जशपुर नगर	20	36979.250	135240490.44	3657.20
मनेन्द्रगढ़	20	44689.660	168579024.00	3772.22
कोरिया	16	37913.450	151429616.59	3994.09
दक्षिण सरगुजा	28	73975.692	270983135.90	3663.14
पूर्व सरगुजा	29	75643.510	240253013.26	3176.12
उत्तर सरगुजा	52	140553.320	455935788.16	3243.86
कुल योग	932	1715115.749	6468988758.33	3771.75

जिला यूनियनवार अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण (अनुमानित मात्रा)

संग्रहण वर्ष : 2013

जिला यूनियन का नाम	कुल लाट		विक्रित लाटों का विवरण			
	लाटों की संख्या	मात्रा (मानक बोरा में)	लाटों की संख्या	मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)
बीजापुर	39	47700.000	25	31400.000	92640900.00	2950.35
सुकमा	48	79500.000	4	5600.000	13597000.00	2428.04
दंतेवाड़ा	13	23500.000	6	11600.000	28179800.00	2429.29
जगदलपुर	15	25500.000	2	3900.000	7239900.00	1856.38
दक्षिण कोंडागांव	11	21600.000	2	3000.000	6153100.00	2051.03
उत्तर कोंडागांव	16	29400.000	8	15300.000	34820900.00	2275.88
नारायणपुर	12	21400.000	3	3600.000	6631900.00	1842.19
पूर्व भानुप्रतापपुर	56	99700.000	55	98600.000	298654100.00	3028.95
पश्चिम भानुप्रतापपुर	55	84300.000	38	61300.000	159983100.00	2609.84
कांकेर	24	41100.000	22	37700.000	110582600.00	2933.23
राजनांदगांव	51	87200.000	50	85600.000	225338400.00	2632.46
खैरागढ़	24	44900.000	21	38500.000	84167900.00	2186.18
दुर्ग	18	28800.000	18	28800.000	74467000.00	2585.66
कवर्धा	24	44400.000	20	36700.000	88866200.00	2421.42
धमतरी	23	32900.000	23	32900.000	88173800.00	2680.05
उदन्ती	19	24900.000	18	23100.000	67367700.00	2916.35
पूर्व रायपुर	43	65500.000	43	65500.000	227463600.00	3472.73
महासमुंद	69	101700.000	68	101100.000	279236300.00	2761.98
रायपुर	16	26900.000	15	25700.000	69308600.00	2696.83
बिलासपुर	16	24700.000	14	21600.000	53485400.00	2476.18
मरवाही	19	29300.000	17	27500.000	77086600.00	2803.15
जांजगीर-चांपा	7	10000.000	4	6700.000	12478500.00	1862.46
रायगढ़	41	63900.000	40	63100.000	168237800.00	2666.21
धरमजयगढ़	53	84000.000	53	84000.000	252851300.00	3010.13
कोरबा	34	54600.000	31	49900.000	155779300.00	3121.83
कटघोरा	39	78700.000	34	69900.000	221387200.00	3167.20
जशपुर नगर	20	36600.000	18	32100.000	66521800.00	2072.33
मनेन्द्रगढ़	20	37300.000	16	30700.000	70817800.00	2306.77
कोरिया	16	29400.000	14	25800.000	67314600.00	2609.09
दक्षिण सरगुजा	28	67100.000	26	63200.000	156689500.00	2479.26
पूर्व सरगुजा	29	71700.000	21	50700.000	112018900.00	2209.45
उत्तर सरगुजा	52	125600.000	40	100300.000	210123600.00	2094.95
कुल योग	950	1643800.000	769	1335400.000	3587665100.00	2686.58

सालबीज संग्रहण वर्ष 2012 का संग्रहण एवं विक्रय

जिला सूचियन	इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	लाट क्रमांक	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय हेतु शेष मात्रा (क्विंटल में)
1	2	3	4	5	6	7	8
कोरिया	1	कोरिया	27000.000	1	7041.570	7041.57	0.00
मनेन्द्रगढ़	2	मनेन्द्रगढ़	15000.000	2	7016.810	7016.81	0.00
उत्तर सरगुजा	3	उत्तर सरगुजा	50000.000		19437.440	19437.44	0.00
पूर्व सरगुजा	4	पूर्व सरगुजा	80000.000	3	9789.690	9789.69	0.00
				4	3160.510	3160.51	0.00
				5	25088.920	25088.92	0.00
दक्षिण सरगुजा	5	दक्षिण सरगुजा	80000.000	6	4627.700	4627.700	0.00
				7	7620.340	7620.340	0.00
				8	18333.440	18333.44	0.00
				9	6779.040	6779.04	0.00
				10	7346.440	7346.44	0.00
जशपुरनगर	6	अपरघाट	20000.000	11	7765.980	7765.98	0.00
जशपुरनगर	7	लोअरघाट	50000.000	12	4505.800	4505.80	0.00
				13	9898.500	9898.50	0.00
				14	7402.410	7402.41	0.00
				15	3963.720	3963.72	0.00
				16	5410.620	5410.62	0.00
				17	7907.960	7907.96	0.00
					868.600	868.600	0.00
कोरबा	8	कोरबा	21000.000	18	7156.500	7156.50	0.00
				19	10451.520	10451.52	0.00
रायगढ़	9	रायगढ़	2000.000		9696.510	9696.51	0.00
धर्मजयगढ़	10	धर्मजयगढ़	45000.000	20	16856.860	16856.86	0.00
				21	7283.660	7283.66	0.00
				22	9051.220	9051.22	0.00
					91.310	91.310	0.00
कटघोरा	11	कटघोरा	32250.000	23	10520.520	10520.520	0.00
बिलासपुर	12	बिलासपुर	5000.000	24	1144.630	1144.630	0.00
मरवाही	13	मरवाही	10000.000	25	9189.620	9189.620	0.00
कांकेर	14	कांकेर	3000.000		6248.860	6248.860	0.00
पूर्व भानुप्रतापपुर	15	भानुप्रतापपुर	3500.000		15088.500	15088.500	0.00
पूर्व भानुप्रतापपुर	16	आमावेड़ा	6500.000		11586.000	11586.000	0.00
पश्चिम भानुप्रतापपुर	17	कोयलीवेड़ा	200.000	26	1869.000	1869.000	0.00
उत्तर कोण्डागांव	18	बड़े राजपुर	20000.000		32430.500	32430.500	0.00
उत्तर कोण्डागांव	19	केशकाल	15000.000		26989.340	26989.340	0.00
उत्तर कोण्डागांव	20	फरसगढ़	10000.000		25356.000	25356.000	0.00
उत्तर कोण्डागांव	21	बड़ेडोंगर	10000.000		23321.000	23321.000	0.00
दक्षिण कोण्डागांव	22	माकड़ी	22000.000		61720.970	61720.970	0.00
दक्षिण कोण्डागांव	23	कोण्डागांव	22000.000		31089.500	31089.500	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
दक्षिण कोण्डगाँव	24	मुलमुला	22000.000		34509.000	34509.000	0.00
दक्षिण कोण्डगाँव	25	मर्दापाल	11000.000		11356.500	11356.500	0.00
नारायणपुर	26	नारायणपुर	4500.000		20896.500	20896.500	0.00
दत्तेवाडा	27	दत्तेवाडा	500.000	27	2546.390	2546.390	0.00
जगदलपुर	28	बक्रावंड	15000.000		26110.800	26110.800	0.00
जगदलपुर	29	कर्पावंड	8000.000		20502.500	20502.500	0.00
जगदलपुर	30	जगदलपुर	10000.000		23773.780	23773.780	0.00
जगदलपुर	31	भनपुरी	10000.000		32897.500	32897.500	0.00
सुकुमा	32	सुकुमा	3000.000	28	2755.370	2755.370	0.00
पूर्व रायपुर	33	पूर्व रायपुर	8000.000		22678.570	22678.570	0.00
उदन्ती	34	उदन्ती	5000.000		9579.660	9579.660	0.00
रायपुर	36	रायपुर	300.000		0.000	0.000	0.00
धमतरी	37	धमतरी	4000.000		20906.840	20906.840	0.00
कवर्धा	38	कवर्धा	3800.000		4682.130	4682.130	0.00
योग			654550.00		714303.050	714303.050	0.000

हरा संग्रहण वर्ष 2011-12 का विक्रय

जिला शुभियम	इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	लॉट क्रमांक	संग्रहित मात्रा				विक्रय पर रु. प्रति बिंदल		क्रेता का नाम	संग्रहित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य (रु.)	संग्रहित मात्रा के आधार पर व्यय (रु.)
				हरा (बिंदल में)	कचौरा (बिंदल में)	बालहरा (बिंदल में)	कुल हरा (बिंदल में)					
ककेर	1	ककेर		1459.400	0.000	0.000	1459.400	1168.00	अग्रिम	भेसल तुलसीदास भगवानदास	1704579.20	1466697.00
ककेर	2	नरहरपुर		1197.350	394.000	0.000	1985.350	1185.00	अग्रिम	भेसल देवी इन्टरप्राइजेस	2352639.75	1995276.75
ककेर	3	सरना		120.000	0.000	0.000	120.000	1160.00	अग्रिम	भेसल सौरभ मर्केटिंग	139200.00	120600.00
ककेर	4	कोरर		2001.500	0.000	0.000	2001.500	1105.00	अग्रिम	भेसल देवी इन्टरप्राइजेस	2211657.50	2011507.50
ककेर	5	चरना		430.000	0.000	0.000	430.000	1165.00	अग्रिम	भेसल तुलसीदास भगवानदास	500950.00	432150.00
उत्तर कोण्डगांव	6	फरसगांव	1	885.610	0.000	0.000	885.610	0.00	गोदामीकृत		0.00	0.00
उत्तर कोण्डगांव	6	फरसगांव	2	1715.400	0.000	0.000	1715.400	0.00	गोदामीकृत		0.00	0.00
उत्तर कोण्डगांव	6	फरसगांव	3	3182.360	0.000	0.000	3182.360	0.00	गोदामीकृत		0.00	0.00
उत्तर कोण्डगांव	6	फरसगांव	4	2319.580	0.000	0.000	2319.580	0.00	गोदामीकृत		0.00	0.00
उत्तर कोण्डगांव	7	कैमरकाल		6114.000	0.000	0.000	6114.000	1061.00	अग्रिम	भेसल अशोक ट्रेडिंग कंपनी	6486954.00	6144570.00
दक्षिण कोण्डगांव	8	पूर्व कोण्डगांव		4781.000	0.000	0.000	4781.000	1013.00	अग्रिम	भेसल प्रकाश चन्द खटवानी	4843153.00	4804905.00
दक्षिण कोण्डगांव	9	पश्चिम कोण्डगांव	5	1866.130	0.000	0.000	1866.130	851.00	गोदामीकृत	भेसल सत्योम टेडर्स	1588076.63	1989294.58
नारवणपुर	10	उत्तर नारवणपुर		4337.920	0.000	0.000	4337.920	1021.00	अग्रिम	भेसल अशोक ट्रेडिंग कंपनी	4429016.32	4359609.60
नारवणपुर	11	दक्षिण नारवणपुर		3820.510	0.000	0.000	3820.510	1017.00	अग्रिम	भेसल प्रवीणचन्द्र शक्तिताल एण्ड कंपनी	3885458.67	3839612.55
पूर्व भानुप्रतापपुर	12	भानुप्रतापपुर		4550.010	0.000	0.000	4550.010	1100.00	अग्रिम	भेसल देवी इन्टरप्राइजेस	5005011.00	4572760.05
पूर्व भानुप्रतापपुर	12	भानुप्रतापपुर	22	1149.840	0.000	0.000	1149.840		गोदामीकृत		0.00	0.00
पूर्व भानुप्रतापपुर	13	अंतगढ़		3871.410	0.000	0.000	3871.410	1017.00	अग्रिम	भेसल प्रवीणचन्द्र शक्तिताल एण्ड कंपनी	3937223.97	3890767.05
पूर्व भानुप्रतापपुर	13	अंतगढ़	21	4254.060	0.000	0.000	4254.060	0.00	गोदामीकृत		0.00	0.00
पश्चिम भानुप्रतापपुर	14	पूर्व कपसी	6	1098.285	0.000	0.000	1098.285	859.00	गोदामीकृत	भेसल सत्योम टेडर्स	943426.82	1170771.81
पश्चिम भानुप्रतापपुर	15	पश्चिम कपसी	7	769.625	0.000	0.000	769.625	871.00	गोदामीकृत	भेसल सत्योम टेडर्स	670343.38	820420.25
अगस्तपुर	16	बस्तर	8	3723.720	0.000	0.000	3723.720	0.00	गोदामीकृत		0.00	0.00
सुकमा	17	सुकमा	9	449.690	0.000	0.000	449.690	0.00	गोदामीकृत		0.00	0.00
दत्तवाडा	18	दत्तवाडा	10	2326.170	0.000	0.000	2326.170	0.00	गोदामीकृत		0.00	0.00
बीजापुर	19	बीजापुर		730.400	0.000	0.000	730.400	1025.00	अग्रिम	भेसल रतन टेडर्स	748660.00	734052.00
रायपुर	20	रायपुर		निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00	गोदामीकृत		0.00	0.00
महासमुंद	21	महासमुंद		123.000	0.000	0.000	123.000	1209.00	अग्रिम	भेसल रामफल विमेश कुमार	148707.00	123615.00
धमतरी	22	धमतरी		2493.770	303.750	0.000	3101.270	1185.00	अग्रिम	भेसल तुलसीदास भगवानदास	3675004.95	3116776.35
पूर्व रायपुर	23	पूर्व रायपुर		174.870	0.000	0.000	174.870	1053.00	अग्रिम	भेसल प्रकाश चन्द खटवानी	184138.11	175744.35
उदन्ती	24	उदन्ती	11	585.290	0.000	0.000	585.290	862.00	गोदामीकृत	भेसल सत्योम टेडर्स	504519.98	623919.14
जुर्ग	25	जुर्ग		348.750	20.000	0.000	388.750	1165.00	अग्रिम	भेसल देवी इन्टरप्राइजेस	452893.75	390693.75
कवर्धा	26	कवर्धा		60.000	0.000	0.000	60.000	1321.00	अग्रिम	भेसल एम.आर.इन्टरप्राइजेस	79260.00	60300.00
शैरगढ़	27	शैरगढ़		45.000	0.000	0.000	45.000	1351.00	अग्रिम	भेसल सई देडर्स	60795.00	45225.00
राजनांदगांव	28	राजनांदगांव		5000.000	0.000	0.000	5000.000	1025.00	अग्रिम	भेसल तुलसीदास भगवानदास	5125000.00	5025000.00
मरवाही	29	मरवाही	12	6.710	74.403	0.000	155.516	1013.00	गोदामीकृत	भेसल बाहुबली उद्योग	157537.71	165780.06
कोरवा	30	कोरवा	13	52.890	29.640	0.000	112.170	950.00	गोदामीकृत	भेसल बाहुबली उद्योग	106561.50	119573.22
कटघोरा	31	कटघोरा		निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00	गोदामीकृत		0.00	0.00
रायगढ़	32	रायगढ़	14	57.380	24.510	0.000	106.400	851.00	गोदामीकृत	भेसल एम.आर.इन्टरप्राइजेस	90546.40	113422.40
धर्मनगढ़	33	धर्मनगढ़	15	267.600	30.430	0.000	328.460	851.00	गोदामीकृत	भेसल एम.आर.इन्टरप्राइजेस	279519.46	350138.36
पूर्व सरगुजा	34	पूर्व सरगुजा		निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00	गोदामीकृत		0.00	0.00
उत्तर सरगुजा	35	उत्तर सरगुजा	16	350.650	58.010	2.000	473.670	900.00	गोदामीकृत	भेसल बाहुबली उद्योग	426303.00	504932.22
दक्षिण सरगुजा	36	दक्षिण सरगुजा	17	462.560	167.380	0.960	800.680	900.00	गोदामीकृत	भेसल बाहुबली उद्योग	720612.00	853524.88
मनेन्द्रगढ़	37	मनेन्द्रगढ़	18	437.650	320.290	0.000	1078.230	1053.00	गोदामीकृत	भेसल बाहुबली उद्योग	1135376.19	1149393.18
कोरिया	38	कोरिया	19	229.500	57.000	0.000	343.500	1013.00	गोदामीकृत	भेसल बाहुबली उद्योग	347965.50	366171.00
जयपुरनगर	39	जयपुरनगर	20	671.500	0.000	0.000	671.500	852.00	गोदामीकृत	भेसल एम.आर.इन्टरप्राइजेस	572118.00	715819.00
		योग		68521.090	1479.413	2.960	71490.276				53513208.78	52253022.05

हरा की अनुमानित मात्रा 71490.276
निश्चित हरा 51483.846
अनिश्चित हरा 20006.430

संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य 53513208.78
विक्रय मूल्य प्रति बिंदल 1039.42
कुल व्यय 1005/- एवं 1066/- प्रति बिंदल 52253022.05
शुद्ध लाभ 1260186.73
शुद्ध लाभ प्रति बिंदल 24.48
संग्रहण मजदूरी 1000/- प्रति बिंदल 71490276.00

हरा संग्रहण वर्ष 2012-13 का विक्रय

जिला यूनियन	इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय दर रु. प्रति क्विंटल		क्रेता का नाम	अनुमानित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य (रु.)	अनुमानित मात्रा के आधार पर व्यय (रु.)
कांकेर	1	कांकेर	4000	901.00	अग्रिम	भेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	3604000.00	3220000.00
कांकेर	2	नरहरपुर	4000	916.00	अग्रिम	भेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	3664000.00	3220000.00
कांकेर	3	सरोना	1000	0.00			0.00	0.00
कांकेर	4	कोरर	3000	900.00	अग्रिम	भेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	2700000.00	2415000.00
कांकेर	5	धरमा	2500	900.00	अग्रिम	भेसर्स तुलसीदास भगवानदास	2250000.00	2012500.00
उत्तर कोण्डागांव	6	फरसगांव	2000	0.00			0.00	0.00
उत्तर कोण्डागांव	7	केसकल	3000	0.00			0.00	0.00
दक्षिण कोण्डागांव	8	पूर्व कोण्डागांव	3700	0.00			0.00	0.00
दक्षिण कोण्डागांव	9	पश्चिम कोण्डागांव	800	0.00			0.00	0.00
नारायणपुर	10	उत्तर नारायणपुर	2000	0.00			0.00	0.00
नारायणपुर	11	दक्षिण नारायणपुर	2500	0.00			0.00	0.00
पूर्व भानुप्रतापपुर	12	भानुप्रतापपुर	4000	0.00			0.00	0.00
पूर्व भानुप्रतापपुर	13	अंतागड़	2500	0.00			0.00	0.00
पश्चिम भानुप्रतापपुर	14	पूर्व कापसी	1000	0.00			0.00	0.00
पश्चिम भानुप्रतापपुर	15	पश्चिम कापसी	500	0.00			0.00	0.00
जगदलपुर	16	बस्तर	2500	0.00			0.00	0.00
सुकुमा	17	सुकुमा	100	0.00			0.00	0.00
दतिवाडा	18	दतिवाडा	100	0.00			0.00	0.00
बीजापुर	19	बीजापुर	100	0.00			0.00	0.00
रायपुर	20	रायपुर	100	0.00			0.00	0.00
महासमुंद	21	महासमुंद	1000	1019.00	अग्रिम	भेसर्स रामफल दिनेश कुमार	1019000.00	805000.00
धमतरी	22	धमतरी	3000	907.00	अग्रिम	भेसर्स सत्योम ट्रेडर्स	2721000.00	2415000.00
पूर्व रायपुर	23	पूर्व रायपुर	200	0.00			0.00	0.00
उदन्ती	24	उदन्ती	500	0.00			0.00	0.00
दुर्ग	25	दुर्ग	500	933.00	अग्रिम	भेसर्स प्रकाश चन्द खटवानी	466500.00	402500.00
कनर्धा	26	कनर्धा	100	1017.00	अग्रिम	भेसर्स एम.आर.इन्टरप्राइजेस	101700.00	80500.00
खैरगढ़	27	खैरगढ़	100	1011.00	अग्रिम	भेसर्स एम.आर.इन्टरप्राइजेस	101100.00	80500.00
राजनांदगांव	28	राजनांदगांव	1500	0.00			0.00	0.00
मरवाही	29	मरवाही	250	0.00			0.00	0.00
कोरबा	30	कोरबा	200	0.00			0.00	0.00
कटघोरा	31	कटघोरा	200	0.00			0.00	0.00
रायगढ़	32	रायगढ़	100	0.00			0.00	0.00
धर्मजयगढ़	33	धर्मजयगढ़	250	0.00			0.00	0.00
पूर्व सरगुजा	34	पूर्व सरगुजा	100	0.00			0.00	0.00
उत्तर सरगुजा	35	उत्तर सरगुजा	100	0.00			0.00	0.00
दक्षिण सरगुजा	36	दक्षिण सरगुजा	250	0.00			0.00	0.00
मनेन्द्रगढ़	37	मनेन्द्रगढ़	500	0.00			0.00	0.00
कोरिया	38	कोरिया	300	0.00			0.00	0.00
जशपुरनगर	39	जशपुरनगर	500	0.00			0.00	0.00
योग			49050				16627300.00	14651000.00

हरा की अनुमानित मात्रा 49050.000
विक्रित हरा 18200.000
अविक्रित हरा 30850.000

संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य 16627300.00
विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल 913.59
कुल व्यय 805/- एवं 866/- प्रति क्विंटल 14651000.00
शुद्ध लाभ 1976300.00
शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल 108.59
संग्रहण मजदूरी 800/- प्रति क्विंटल 39240000.00

कुल्लू गौद संग्रहण वर्ष 2011-12 का विक्रय

इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)			विक्रय दर रु. प्रति क्विंटल		क्रेता का नाम	संग्रहित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य (रु.)	संग्रहित मात्रा के आधार पर व्यय (रु.)
			ग्रेड - I	ग्रेड - II	योग					
1	पूर्व भानुप्रतापपुर	30.000	7.010	0.000	7.010	27777	अग्रिम	मेसर्स संतोष गम्पू	194716.77	189971.00
2	नारायणपुर	50.000	46.250	0.000	46.250	50010	अग्रिम	श्री कुशल जैन	2312962.50	1253375.00
3	सुकमा	250.000	20.240	0.000	20.240	34200	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	692208.00	548504.00
4	बीजापुर	250.000	25.000	0.000	25.000	34200	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	855000.00	677500.00
5	दत्तेवाडा	200.000	40.000	0.000	40.000	33100	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	1324000.00	1084000.00
योग			138.500	0.000	138.500				5378887.27	3753350.00

गौद की अनुमानित मात्रा 138.500
विक्रित मात्रा 138.500
अविक्रित मात्रा 0.000

संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य 5378887.27
विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल 38836.73
कुल व्यय 27100/- एवं 20100/- प्रति क्विंटल 3753350.00
शुद्ध लाभ 1625537.27
शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल 11736.73
संग्रहण मजदूरी 27000/- एवं 20000/- प्रति क्विंटल 3739500.00

कुल्लू गोंद संग्रहण वर्ष 2012-13 का विक्रय

इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय दर रु. प्रति क्विंटल		क्रेता का नाम	अनुमानित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य (रु.)	अनुमानित मात्रा के आधार पर व्यय (रु.)
1	पश्चिम भानुप्रतापपुर	30.000	27200.00	अग्रिम	मेसर्स झुम्मकलाल साव	816000	762375
2	नारायणपुर	30.000	30300.00	अग्रिम	श्री कुशल जैन	909000	762375
3	सुकमा	250.000	27511.00	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	6877750	6353125
4	बीजापुर	250.000	35511.00	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	8877750	6353125
5	दत्तेवाडा	200.000	27051.00	अग्रिम	मेसर्स हुकूमचंद कालूराम गुप्ता	5410200	5082500
योग		760.000				22890700	19313500

गोंद की अनुमानित मात्रा	760.000	संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य	22890700.00
विक्रित मात्रा	760.000	विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल	30119.34
अविक्रित मात्रा	0.000	कुल व्यय 27100/- एवं 20350/- प्रति क्विंटल	19313500.00
		शुद्ध लाभ	3577200.00
		शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल	4706.84
		संग्रहण मजदूरी 27000/- एवं 20250/- प्रति क्विंटल	19237500.00

धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद संग्रहण वर्ष 2011-12 का विक्रय

इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	संग्रहित मात्रा			विक्रय दर रु. प्रति क्विंटल	क्रेता का नाम	संग्रहित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य (रु.)	संग्रहित मात्रा के आधार पर व्यय (रु.)
			धावड़ा (क्विंटल में)	खैर/बबूल (क्विंटल में)	कुल गोंद (धावड़ा) (क्विंटल में)				
1	सरगुजा	10.000	निरंक	निरंक	निरंक			निरंक	
2	कोरिया	10.000	निरंक	निरंक	निरंक			निरंक	
3	रायगढ़	50.000	निरंक	निरंक	निरंक			निरंक	
4	धर्मजयगढ़	10.000	निरंक	निरंक	निरंक			निरंक	
5	फेड़वा	10.000	निरंक	निरंक	निरंक			निरंक	
6	धमतरी	10.000	निरंक	निरंक	निरंक			निरंक	
7	महासमुंद	50.000	निरंक	निरंक	निरंक			निरंक	
8	रायपुर	50.000	निरंक	निरंक	निरंक			निरंक	
9	पूर्व रायपुर	50.000	निरंक	निरंक	निरंक			निरंक	
10	उदत्ती	10.000	निरंक	निरंक	निरंक			निरंक	
11	डुर्ग	100.000	निरंक	निरंक	निरंक			निरंक	
12	कवर्धा	10.000	निरंक	निरंक	निरंक			निरंक	
13	खैरागढ़	25.000	निरंक	निरंक	निरंक			निरंक	
14	राजनांवनांव	150.000	निरंक	निरंक	निरंक			निरंक	
15	पश्चिम धानुप्रतापपुर	100.000	निरंक	निरंक	निरंक	3551	अग्रिम भेसर्स रतन ट्रेडर्स	निरंक	
16	नारायणपुर	50.000	60.000	0.000	60.000	3560	अग्रिम श्री कुशल जैन	213600.00	
17	जगदलपुर	10.000	4.500	0.000	4.500	20700	अग्रिम भेसर्स झुम्पकताल साव	93150.00	
18	बीगापुर	50.000	निरंक	निरंक	निरंक	7777	अग्रिम भेसर्स संतोष मास्	निरंक	
19	सुकमा	100.000	निरंक	निरंक	निरंक	3500	अग्रिम भेसर्स रतन ट्रेडर्स	निरंक	
20	किलासपुर	50.000	निरंक	निरंक	निरंक			निरंक	
21	जंजगीर-बाँपा	50.000	निरंक	निरंक	निरंक			निरंक	
योग		955.000	64.500	0.000	64.500			306750.00	

गोंद की संग्रहित मात्रा	धावड़ा	खैर/बबूल	संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य	306750.00
विक्रित गोंद	64.500	0.000	विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल	4755.81
अधिकृत गोंद	514.190	0.000	कुल व्यय 28975/- एवं 1815/- प्रति क्विंटल	191887.50
	0.000	0.000	शुद्ध लाभ	114862.50
			शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल	1780.81
			संग्रहण मजदूरी 2900/- एवं 1740/- प्रति क्विंटल	177375.00

परिशिष्ट - 'अ'

धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद संग्रहण वर्ष 2012-13 का विक्रय

इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय दर रु. प्रति क्विंटल		क्रेता का नाम	अनुमानित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य (रु.)	अनुमानित मात्रा के आधार पर व्यय (रु.)
1	सरगुजा	10					
2	कौरिया	10					
3	रायगढ़	50					
4	बर्मजयगढ़	10					
5	फेड़ा	10					
6	बमतरी	10					
7	महासमुंद	50					
8	रायपुर	50	3000		भेसर्स रोहित हुकूमचंद गुप्ता	150000.00	113950.00
9	पूर्व रायपुर	50					
10	उदन्ती	10					
11	डुर्ग	100	3051		श्री मोहम्मद ज़ब्बार तिगाला	305100.00	227900.00
12	कवर्था	10					
13	खैरागढ़	25					
14	राजनांदगांव	150					
15	पश्चिम भानुप्रतापपुर	100	3111	अग्रिम	भेसर्स रतन ट्रेडर्स	311100.00	227900.00
16	नारायणपुर	50	3300	अग्रिम	श्री कुशाल जैन	165000.00	113950.00
17	जगदलपुर	10	31111	अग्रिम	भेसर्स रतन ट्रेडर्स	311110.00	22790.00
18	बीजापुर	50	6150	अग्रिम	भेसर्स रतन ट्रेडर्स	307500.00	113950.00
19	सुकमा	100	3500	अग्रिम	भेसर्स रतन ट्रेडर्स	350000.00	227900.00
20	बिलासपुर	50					
21	जांजगीर-चांपा	50					
		955				1899810.00	1048340.00

अनुमानित गोंद	955.000	संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य	1899810.00
विक्रित गोंद	460.000	विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल	4130.02
अविक्रित गोंद	495.000	कुल व्यय 2975/- एवं 1815/- प्रति क्विंटल	1048340.00
		शुद्ध लाभ	851470.00
		शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल	1851.02
		संग्रहण मजदूरी 2900/- एवं 1740/- प्रति क्विंटल	2104820.00

परिशिष्ट - 'ट-1'

संग्रहण वर्ष 2010 के तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण

राशि रु. (लाख में)

क्रमांक	जिला यूनियन का नाम	जिला यूनियन गणनानुसार वितरण योग्य राशि (शुद्ध लाभ का 80)	जिला यूनियन द्वारा वितरित की गई राशि	वितरण से शेष राशि (3-4)
1	2	3	4	5
1	उत्तर सरगुजा	609.17	609.17	0.00
2	पूर्वी सरगुजा	269.79	269.79	0.00
3	मनेन्द्रगढ़	311.17	311.17	0.00
4	कोरिया	303.05	303.05	0.00
5	दक्षिण सरगुजा	442.95	442.95	0.00
6	जशपुरनगर	231.74	231.74	0.00
7	धरमजयगढ़	902.36	902.36	0.00
8	रायगढ़	444.68	444.68	0.00
9	मरवाही	215.02	215.02	0.00
10	कटघोरा	775.87	775.87	0.00
11	कोरबा	626.37	626.37	0.00
12	जांजगीर चांपा	6.13	6.13	0.00
13	बिलासपुर	157.71	157.71	0.00
14	महासमुन्द	893.13	893.13	0.00
15	रायपुर	242.51	242.51	0.00
16	धमतरी	312.17	312.17	0.00
17	पूर्व रायपुर	698.69	698.69	0.00
18	उदन्ती	226.29	226.29	0.00
19	कांकेर	426.71	426.71	0.00
20	उत्तर कोण्डागांव	203.02	203.02	0.00
21	दक्षिण कोण्डागांव	151.38	151.38	0.00
22	नारायणपुर	169.79	169.79	0.00
23	पूर्व भानुप्रतापपुर	1196.13	1153.36	42.77
24	पश्चिम भानुप्रतापपुर	562.97	546.58	16.39
25	सुकमा	804.39	804.39	0.00
26	बीजापुर	630.54	630.54	0.00
27	जगदलपुर	142.20	142.20	0.00
28	दंतेवाड़ा	209.81	209.81	0.00
29	दुर्ग	222.29	222.29	0.00
30	कवर्धा	218.71	218.71	0.00
31	राजनांदगांव	729.99	715.11	14.88
32	खैरागढ़	251.55	251.55	0.00
योग		13588.28	13514.24	74.04

परिशिष्ट - 'ट-2'

संग्रहण वर्ष 2011 के तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण

राशि रु. (लाख में)

क्रमांक	जिला यूनियन का नाम	जिला यूनियन गणनानुसार वितरण योग्य राशि (शुद्ध लाभ का 80)	जिला यूनियन द्वारा वितरित की गई राशि	वितरण से शेष राशि (3-4)
1	2	3	4	5
1	उत्तर सरगुजा	668.13	654.03	14.10
2	पूर्वी सरगुजा	330.41	330.41	0.00
3	मनेन्द्रगढ़	335.44	297.98	37.46
4	कोरिया	277.57	277.57	0.00
5	दक्षिण सरगुजा	466.78	466.78	0.00
6	जशपुरनगर	288.84	249.84	39.00
7	धरमजयगढ़	1005.61	981.93	23.68
8	रायगढ़	622.44	619.62	2.82
9	मरवाही	268.68	244.42	24.26
10	कटघोरा	910.44	906.42	4.02
11	कोरबा	715.11	584.35	130.76
12	जांजगीर चांपा	32.10	32.10	0.00
13	बिलासपुर	208.14	208.14	0.00
14	महासमुन्द	1035.31	1035.31	0.00
15	रायपुर	255.21	255.00	0.21
16	धमतरी	304.02	304.02	0.00
17	पूर्व रायपुर	731.59	729.46	2.13
18	उदन्ती	285.92	280.80	5.12
19	कांकेर	531.67	512.81	18.86
20	उत्तर कोण्डागांव	231.69	231.69	0.00
21	दक्षिण कोण्डागांव	159.84	159.84	0.00
22	नारायणपुर	180.44	180.44	0.00
23	पूर्व भानुप्रतापपुर	1425.23	1378.51	46.72
24	पश्चिम भानुप्रतापपुर	725.90	706.34	19.56
25	सुकमा	646.66	401.19	245.47
26	बीजापुर	737.33	711.41	25.92
27	जगदलपुर	165.48	101.24	64.24
28	दंतेवाड़ा	264.69	264.69	0.00
29	दुर्ग	275.57	242.60	32.97
30	कवर्धा	312.69	279.79	32.90
31	राजनांदगांव	910.86	910.86	0.00
32	खैरागढ़	297.89	297.89	0.00
योग		15607.68	14837.48	770.20

मूलभूत सुविधा हेतु वर्ष 1999+2000 से 2007 तक उपलब्ध राशि

(राशि रु. लाख में)

क्र.	जिला यूनियन का नाम	संग्रहण वर्ष 1999+2000 से 2007 तक		
		मूलभूत सुविधाओं हेतु उपलब्ध राशि (शुद्ध लाभ का 15 प्रतिशत)	जिला यूनियन द्वारा कराये गये कार्यों की राशि	जिला यूनियन द्वारा राशि के कार्य कराने के शेष (3-4)
1	2	3	4	5
1	उत्तर सरगुजा	251.98	236.27	15.71
2	पूर्व सरगुजा	59.55	49.68	9.87
3	मनेन्द्रगढ़	205.86	211.32	-5.46
4	कोरिया	175.15	136.61	38.54
5	दक्षिण सरगुजा	91.89	63.46	28.43
6	जशपुरनगर	46.51	45.52	0.99
7	धर्मजयगढ़	514.46	448.96	65.50
8	रायगढ़	274.56	261.52	13.04
9	मरवाही	132.56	114.53	18.03
10	कटघोरा	517.36	443.35	74.01
11	कोरबा	414.63	450.79	-36.16
12	जांजगीर-चांपा	2.60	2.82	-0.22
13	बिलासपुर	35.42	35.19	0.24
14	महासमुन्द	530.22	476.11	54.11
15	रायपुर	202.93	138.24	64.69
16	धमतरी	267.98	212.38	55.61
17	पूर्व रायपुर	597.46	579.18	18.29
18	उदन्ती	151.19	148.15	3.04
19	कांकेर	287.34	145.30	142.04
20	उ. कोण्डागांव	113.23	74.70	38.53
21	द. कोण्डागांव	98.01	72.31	25.70
22	नारायणपुर	54.30	73.08	-18.77
23	पूर्व भानुप्रतापपुर	638.54	461.15	177.39
24	प. भानुप्रतापपुर	220.91	169.91	51.00
25	सुकमा	374.49	216.59	157.90
26	बीजापुर	372.61	277.57	95.04
27	जगदलपुर	67.17	64.70	2.47
28	दन्तेवाड़ा	84.72	73.94	10.78
29	दुर्ग	146.00	90.47	55.54
30	कवर्धा	146.96	128.06	18.91
31	राजनांदगांव	419.90	343.33	76.57
32	खैरागढ़	151.74	58.54	93.20
	योग	7648.25	6303.70	1344.55

परिशिष्ट - 'ड'

वन एवं वनोपज का विकास हेतु उपलब्ध राशि

(राशि रु. लाख में)

क्र.	जिला यूनियन का नाम	वन एवं वनोपज के विकास हेतु उपलब्ध राशि (शुद्ध लाभ का 15 प्रतिशत)	आहरित राशि
1	2	3	4
1	उत्तर सरगुजा	190.45	52.34
2	पूर्व सरगुजा	84.25	60.75
3	मनेन्द्रगढ़	125.32	115.32
4	कोरिया	122.59	40.34
5	दक्षिण सरगुजा	81.31	25.93
6	जशपुरनगर	59.65	15.84
7	धर्मजयगढ़	329.55	215.86
8	रायगढ़	197.46	161.38
9	मरवाही	96.11	81.68
10	कटघोरा	338.20	324.99
11	कोरबा	291.64	250.40
12	जांजगीर-चांपा	4.17	1.89
13	बिलासपुर	13.27	26.59
14	महासमुन्द	319.58	277.38
15	रायपुर	147.10	102.93
16	धमतरी	194.69	172.35
17	पूर्व रायपुर	423.70	305.86
18	उदन्ती	80.70	70.68
19	कांकेर	193.15	136.92
20	उ. कोण्डागांव	135.29	85.36
21	द. कोण्डागांव	125.46	75.70
22	नारायणपुर	42.24	33.90
23	पूर्व भानुप्रतापपुर	414.55	148.99
24	प. भानुप्रतापपुर	148.37	83.35
25	सुकमा	303.23	197.26
26	बीजापुर	325.62	168.93
27	जगदलपुर	88.58	81.08
28	दन्तेवाड़ा	75.63	45.60
29	दुर्ग	95.39	50.86
30	कवर्धा	76.47	38.33
31	राजनांदगांव	319.89	247.29
32	खैरागढ़	103.31	2.58
	योग	5546.92	3698.67

परिशिष्ट-‘ढ’

वर्ष 2012 में तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के एक पुरुष सदस्य को चरणपादुका प्राप्ति व वितरण की प्रगति की जानकारी

क्रमांक	जिला यूनियन का नाम	जिला यूनियन में उपलब्ध कराई गई चरणपादुकाओं की संख्या	वितरित चरणपादुकाओं की संख्या	वितरण हेतु शेष चरणपादुकाओं की संख्या
1	2	3	4	5
1	कोरिया	22507	22507	0
2	मनेन्द्रगढ़	25975	25975	0
3	जशपुरनगर	44794	44794	0
4	उत्तर सरगुजा	65430	65430	0
5	दक्षिण सरगुजा	44180	44180	0
6	पूर्व सरगुजा	53160	53160	0
7	बिलासपुर	17394	17394	0
8	मरवाही	25234	25234	0
9	कटघोरा	63048	63048	0
10	कोरबा	35118	35118	0
11	जांजगीर-चांपा	9725	9725	0
12	रायगढ़	50650	50650	0
13	धरमजयगढ़	48916	48916	0
14	रायपुर	24653	24653	0
15	पूर्व रायपुर	39390	39390	0
16	उदन्ती	19696	19696	0
17	धमतरी	25793	25793	0
18	महासमुंद	94220	94220	0
19	दुर्ग	24309	24309	0
20	राजनांदगांव	50268	50268	0
21	खैरागढ़	21306	21306	0
22	कवर्धा	27686	27686	0
23	कांकेर	37028	37028	0
24	पूर्व भानुप्रतापपुर	35788	35788	0
25	पश्चिम भानुप्रतापपुर	30398	30398	0
26	नारायणपुर	15358	15358	0
27	दक्षिण कोण्डागांव	28874	28874	0
28	उत्तर कोण्डागांव	26798	26798	0
29	जगदलपुर	30066	30066	0
30	दत्तेवाड़ा	27763	27763	0
31	बीजापुर	40140	40140	0
32	सुकमा	56544	46760	9784
योग		1162209	1152425	9784

विषय क्रमांक - 3

विषय : वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का अनुमोदन ।

(i) संघ में रिक्त पदों की भरती

संघ में जो भी रिक्त पद होंगे उन पर भरती संबंधी कार्यवाही की जावेगी ।

(ii) वनोपज सहकारी संस्थाओं में निर्वाचित संचालक मण्डल

वर्ष 2008 में 896 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों तथा 32 जिला वनोपज सहकारी यूनियनों में संचालक मण्डल की गठन की प्रक्रिया पूर्ण की गई तथा प्रदेश में प्रथम बार छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर में संचालक मण्डल के गठन हेतु निर्वाचन कराया गया था । प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों का कार्यकाल क्रमशः 02.05.2013, 06.05.2013 तथा 09.05.2013 को समाप्त हो रहा है । अतः प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों में नवीन संचालक मण्डल के गठन हेतु निर्वाचन की प्रक्रिया मार्च 2013 से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । इसके पश्चात् क्रमशः जिला वनोपज सहकारी यूनियनों तथा तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के संचालक मण्डल के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ की जावेगी ।

(iii) वनोपज सहकारी संस्थाओं में निर्वाचित संचालक मण्डल

नवीन जिलों के गठन के कारण नवीन वन मण्डलों के अस्तित्व में आने से नवीन जिला यूनियनों का गठन किया जाना प्रस्तावित है । नवीन जिला वनोपज का गठन उनके सविलियन तथा कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के कारण जिला यूनियनों के पुर्नगठन की कार्यवाही जारी है ।

निम्न 4 प्रस्तावित जिला यूनियनों में कार्यालयों एवं आवासीय भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

क.	प्रस्तावित जिला यूनियन	जि.यू. कार्यालय भवन		उप प्रबंध संचालक आवास गृह		उप वनक्षेत्रपाल आवास गृह		लिपिकीय अमले हेतु आवास गृह		चतुर्थ श्रेणी हेतु आवास गृह		महायोग
		संख्या	आवश्यक राशि @ प्रति भवन	संख्या	आवश्यक राशि @ प्रति भवन 7,50,000/-	संख्या	आवश्यक राशि @ प्रति भवन 3,50,000/-	संख्या	आवश्यक राशि @ प्रति भवन 2,50,000/-	संख्या	आवश्यक राशि @ प्रति भवन 2,50,000/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	बलरामपुर	1	15,00,000	1	7,50,000	2	7,00,000	2	5,00,000	2	5,00,000	39,50,000
2	सूरजपुर	1	15,00,000	1	7,50,000	2	7,00,000	2	5,00,000	0	0	34,50,000
3	बालोद	1	15,00,000	1	7,50,000	1	3,50,000	1	2,50,000	0	0	28,50,000
4	बलोदाबाजार	1	15,00,000	1	7,50,000	1	3,50,000	1	2,50,000	0	0	28,50,000
योग :-		4	60,00,000	4	30,00,000	6	21,00,000	6	15,00,000	2	5,00,000	1,31,00,000

(iv) तेन्दूपत्ते का व्यापार

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2012 एवं पूर्व के वर्षों के क्रेता करारनामा समाप्त लाटों का निर्वर्तन किया जावेगा तथा निर्वर्तन से प्राप्त राशि एवं प्रथम क्रेता से प्राप्त योग्य राशि के अंतर की राशि की वसूली की कार्यवाही की जावेगी ।

प्रदेश में संग्रहण वर्ष 2013 में कुल 950 लाटों में लगभग 16.438 लाख मानक बोरे के संग्रहण का अनुमान है । विभिन्न निविदाओं में अग्रिम नियुक्त क्रेताओं को अनुमानित मात्रा 16.438 लाख मानक बोरा में से 13.354 लाख मानक बोरा का अग्रिम विक्रय रू. 358.77 करोड़ में किया गया, जिससे औसत विक्रय दर रू. 2687/- प्रति मानक बोरा प्राप्त हुई । अग्रिम में विक्रित तेन्दूपत्ते से वित्तीय वर्ष 2013-14 में लगभग राशि रू. 322.89 करोड़ प्राप्त होंगे । इस वर्ष तेन्दूपत्ता की मांग कम होने के कारण निविदाकारों द्वारा कम रुचि ली जा रही है । इस वर्ष तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य कराया जाकर अग्रिम में नियुक्त क्रेताओं को तेन्दूपत्ता का परिदान दिया जावेगा तथा क्रेता करारनामा की शर्तों के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी । तेन्दूपत्ता संग्रहण में कुल रू. 197.26 करोड़ की संग्रहण पारिश्रमिक के वितरण का अनुमान है । तेन्दूपत्ता संग्रहण, उपचारण, परिवहन एवं गोदामीकरण के विस्तृत निर्देश प्रमुख सचिव, वन छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा समस्त कलेक्टर तथा समस्त प्रबंध संचालक, जिला यूनियन, छत्तीसगढ़ को जारी किया जा चुका है । इस कार्य में सभी शासकीय विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवाएँ ली जावेगी ।

तेन्दूपत्ता संग्रहण में शासन के विभिन्न विभागों, प्राथमिक वनोपज समितियों, पंचों/सरपंचों, ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति के अध्यक्षों के द्वारा सक्रिय भूमिका अदा की जाना है ताकि अच्छी गुणवत्ता का अधिक से अधिक पत्ता संग्रहित हो सके तथा संग्राहकों को सही समय से संग्रहण पारिश्रमिक प्राप्त हो सके ।

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2014 के अग्रिम निर्वर्तन की कार्यवाही भी माह दिसम्बर 2013 से प्रारंभ किया जाना है ।

(v) सालबीज का व्यापार

संग्रहण वर्ष 2013 के सालबीज के संग्रहण एवं विपणन का कार्य भी वर्ष 2013 की भांति संघ द्वारा शासन के अभिकर्ता के रूप में किया जावेगा । वर्ष 2013 में 4 लाख क्विंटल सालबीज उत्पादित होने का अनुमान है । जिससे संग्राहकों को रुपये 20 करोड़ संग्रहण पारिश्रमिक के रूप में वितरण होने का अनुमान है ।

(vi) हर्षा का व्यापार

वानिकी वर्ष 2012-13 में विभिन्न जिला यूनियनों में 39 हर्षा इकाईयों में लगभग 49050 क्विंटल हर्षा का उत्पादन होना संभावित है, जिसमें से 9 इकाईयों की अनुमानित

18200 क्विंटल मात्रा का अग्रिम निर्वर्तन हो चुका है। शेष अनिर्वर्तित इकाईयों में संग्रहित एवं भंडारित हर्रा, कचरिया एवं बालहर्रा के निर्वर्तन की कार्यवाही की जावेगी।

संग्रहण वर्ष 2013-14 में संग्रहित होने वाले हर्रा के अग्रिम निर्वर्तन की कार्यवाही की जानी है।

(vii) कुल्लू गोंद का व्यापार

वानिकी वर्ष 2012-13 सीजन में कुल्लू गोंद वर्ग-1 की 5 इकाईयाँ जिसका संभावित उत्पादन लगभग 760 क्विंटल है, का अग्रिम निर्वर्तन किया जा चुका है। अग्रिम में नियुक्त क्रेता के द्वारा शासन द्वारा निर्धारित दर पर संग्रहण पारिश्रमिक का भुगतान संग्राहकों को किया जावेगा। अनुमानित उत्पादन के अनुसार वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 में (30 जून तक) लगभग रु. 192.38 लाख की संग्रहण पारिश्रमिक संग्राहकों को वितरित होने की संभावना है।

संग्रहण वर्ष 2013-14 में संग्रहित होने वाले गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) के अग्रिम निर्वर्तन की कार्यवाही की जावेगी।

(viii) गोंद वर्ग-2 (धावड़ा, खैर, बबूल) का व्यापार

वानिकी वर्ष 2012-13 सीजन में संभावित उत्पादन कुल 955 क्विंटल है। विगत वर्ष गोंद वर्ग-2 (धावड़ा, खैर, बबूल) की 7 इकाईयों का अग्रिम निविदा द्वारा निर्वर्तन किया जा चुका था। शेष 14 अनिर्वर्तित इकाईयों में संग्रहित होने वाली अनुमानित 495 क्विंटल गोंद का विभागीय संग्रहण कार्य कराया जाकर भंडारित मात्रा के निर्वर्तन की कार्यवाही की जावेगी। अनुमानित उत्पादन के अनुसार वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 में (30 जून तक) लगभग रु. 21.05 लाख की संग्रहण पारिश्रमिक संग्राहकों को वितरित होने की संभावना है।

संग्रहण वर्ष 2013-14 में संग्रहित होने वाले गोंद वर्ग-2 (धावड़ा, खैर, बबूल) के अग्रिम निर्वर्तन की कार्यवाही की जानी है।

(ix) सामाजिक सुरक्षा समूह जीवन बीमा योजना

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के अतिरिक्त परिवार के ऐसे सदस्य जिनकी उम्र 18 से 59 वर्ष है तथा जिनके परिवार ने वर्ष 2011 या 2012 में न्यूनतम 500 गड्डी तेन्दूपत्ता तोड़ा है, को समूह बीमा योजना का लाभ वर्ष 2013-14 से भी प्राप्त होगा। 2011-2012 से प्रारंभ अटल तेन्दूपत्ता संग्राहक योजना भी वर्ष 2013-14 में लागू रहेगी।

(x) तेन्दूपत्ता संग्राहकों हेतु जनश्री बीमा योजना

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया जिनकी उम्र 18 से 59 वर्ष के है तथा जिनके परिवार ने वर्ष 2011 या 2012 में न्यूनतम 500 गड्डी पत्ता तोड़ा है, के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम की “जनश्री” बीमा योजना वर्ष 2013-14 में भी लागू रहेगी तथा इससे मिलने वाले सभी लाभ संग्राहक परिवार को उपलब्ध कराये जावेंगे। इस योजना से संलग्न मुखिया के 2 बच्चों की छात्रवृत्ति योजना का लाभ भी वर्ष 2013-14 में प्राप्त होगा।

(xi) शिक्षा प्रोत्साहन योजना -

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के बच्चों हेतु शिक्षा प्रोत्साहन योजना वर्ष 2013-14 में भी लागू रहेगी।

- (क) व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति।
- (ख) मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कार।

(xii) गैर व्यवसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना -

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के बच्चों हेतु गैर व्यवसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना वर्ष 2013-14 में भी लागू रहेगी।

(xiii) वर्ष 2011 एवं वर्ष 2012 के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2011 से संबंधित प्रोत्साहन पारिश्रमिक की शेष राशि का वितरण किया जावेगा तथा वर्ष 2012 में तेन्दूपत्ता के निर्वर्तन उपरांत प्राप्त आय (व्यय को छोड़कर) की राशि में से 80 प्रतिशत की राशि तेन्दूपत्ता संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित तेन्दूपत्ता के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण किये जाने का अनुमान है।

(xiv) मूलभूत सुविधा विकास के कार्य

तेन्दूपत्ता व्यापार से प्राप्त शुद्ध लाभ की 15 प्रतिशत राशि ग्रामों की मूलभूत सुविधाओं के विकास में उपयोग की जाती है। वर्ष 1999 से 2007 तक की राशि रु. 76.48 करोड़ जिला यूनियनों के माध्यम से प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को उपलब्ध कराई जा चुकी है जिनके विरुद्ध अभी तक रु. 63.03 करोड़ के कार्य ही कराये गये हैं एवं अवशेष राशि रु. 13.45 करोड़ के कार्य प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों द्वारा इस वर्ष कराये जावेंगे।

(xv) वन एवं वनोपज का विकास

राष्ट्रीयकृत वनोपज के व्यापार के लाभ-व्यय घटाकर प्राप्त शुद्ध लाभ के 15 प्रतिशत राशि से वन एवं वनोपज का विकास कार्य कराये जावेंगे। इस हेतु जिला यूनियनों द्वारा

कराये गये कार्यों की प्रगति के आधार पर इस हेतु उपलब्ध अवशेष राशि रु. 18.48 करोड़ में से राशि उपलब्ध करायी जा कर कार्य कराये जावेंगे ।

(xvi) जिला यूनियन कार्यालयों का निरीक्षण

संघ मुख्यालय की लेखा पुस्तकों एवं जिला यूनियनों के लेखा पुस्तकों का मिलान करने हेतु संघ मुख्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जिला यूनियन कार्यालयों का निरीक्षण कर उनके कार्यालयों का लेखा मिलान, आय, व्यय, भंडार एवं स्कंध सम्बन्धी प्रविष्टियों एवं संधारित अन्य अभिलेखों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ।

(xvii) चरणपादुका का वितरण

वर्ष 2013-14 में चरणपादुका प्रदाय करने हेतु आदेशित प्रदायकर्ताओं से चरणपादुका प्राप्त कर लगभग 12.55 लाख तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के एक पुरुष सदस्य को एक-एक जोड़ी चरणपादुका वितरित किया जावेगा, तथा शासन की स्वीकृति उपरांत वर्ष 2014-15 में वितरित की जाने वाली चरणपादुकाओं के क्रय की कार्यवाही की जावेगी ।

(xviii) महिला संग्राहकों को साड़ी का वितरण -

वर्ष 2013-14 में साड़ी प्रदाय करने हेतु आदेशित प्रदायकर्ताओं से साड़ी प्राप्त कर लगभग 12.55 लाख तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के एक महिला सदस्य को एक साड़ी वितरित किया जावेगा, तथा शासन की स्वीकृति उपरांत वर्ष 2014-15 में वितरित की जाने वाली साड़ी के क्रय की कार्यवाही की जावेगी ।

(xix) यू.एन.डी.पी. परियोजना में उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित जैव विविधता संवर्धन तथा रोजगार सृजन करने हेतु प्रारंभ की गयी योजना के पंचम वर्ष

वर्ष 2013-14 के अंतर्गत अंतःस्थलीय संरक्षण, क्षमता विकास, लघुवनोपज आधारित गतिविधियों के अंतर्गत लाख पालन, लघु वनोपज संग्रहण एवं प्रसंस्करण, माहुल पत्ता का संग्रहण व प्रसंस्करण, कोसा पालन व चिरौंजी प्रसंस्करण, गैर वानिकी जैव विविधता विकास के कार्य, जैविक प्रमाणीकरण एवं अनुसंधान विस्तार आदि के शेष कार्य पूर्ण किये जायेंगे ।

(xx) आदिवासी मामले मंत्रालय भारत शासन द्वारा लघु वनोपज व्यापार हेतु प्राप्त अनुदान

आदिवासी मामलों के मंत्रालय भारत शासन, नई दिल्ली को वर्ष 2011-12 में रु. 5.00 करोड़ की परियोजना भेजी गई थी । इस योजना हेतु रु. 2.00 करोड़ प्राप्त हुई है । उक्त राशि से गोदाम निर्माण व लघु वनोपज के उपर्जन/प्रसंस्करण कार्य कराया गया है । वर्ष 2012-13 में रु. 5.00 करोड़ की परियोजना भेजी गई है, जिसमें से रु. 1.89 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है । वर्ष 2013-14 में इनके तहत प्रस्तावित कार्यों का क्रियान्वयन किया जावेगा ।

(xxi) आदिवासी उपयोजना राज्य शासन का अनुदान

राज्य शासन की नवीन योजनान्तर्गत लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु राशि रू. 2.00 करोड़ प्राप्त हुआ है। इस राशि से वर्ष 2009-10 में माहुल पत्ता प्रसंस्करण एवं वर्ष 2012-13 में तिखुर प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त इमली, आंवला एवं तिखुर आदि के प्रसंस्करण कार्य वर्ष 2013-14 में कराये जावेंगे।

(xxii) रू. 32 करोड़ की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रत्येक वर्ष लगभग 1000/- करोड़ की लघु वनोपज का उत्पादन होता है, परन्तु राज्य में प्रसंस्करण इकाईयों की संख्या बहुत कम है। वर्ष 2009-10 में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से रू. 32.00 करोड़ की एकमुश्त राशि लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु प्राप्त हुई है। इस राशि से पूर्व में सरगीपाल जगदलपुर में इमली तथा महुआ बीज की प्रसंस्करण इकाई स्थापित किया जाना प्रस्तावित था जिसमें अब केवल इमली ब्लॉक (Tamarind Block), व इमली कर्नेल पाउडर (TKP-Starch), तैयार किया जावेगा। नयनपुर गिरिवरगंज जिला सरगुजा में माहुल पत्ता, तैलीय बीज एवं चरौटा की प्रसंस्करण इकाई स्थापित किया जाना प्रस्तावित था, अब केवल कोसिया टोरा पाउडर (Cassia tora Powder) तथा गोंद (Cassia tora Gum) तैयार किया जावेगा। बिलासपुर में आंवला तथा बेल की प्रसंस्करण इकाई स्थापित किया जावेगा जिसमें आंवला जूस (Aonla Juice), स्क्वैश (Aonla Squash/ Paste) एवं बेल के उत्पाद तैयार किये जायेगे। कांकेर में लाख प्रसंस्करण का कार्य किया जाएगा। रायपुर एवं दुर्ग में हर्बल एवं आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था, परन्तु अब दुर्ग में स्थापित की जाने वाली प्रसंस्करण इकाई को रायपुर में ही समाहित कर स्थापित किया जावेगा। इस परियोजना के अन्तर्गत सिट्कॉन रायपुर से सभी Clusters का Detailed Project Report (DPR) तैयार कराया जा रहा है, जिसमें से जगदलपुर एवं रायपुर का Detailed Project Report (DPR) तैयार किया गया है। इन प्रसंस्करण इकाईयो को स्थापित किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम द्वारा नयनपुर-गिरिवरगंज जिला सरगुजा में भूमि आवंटन की कार्यवाही पूर्ण की गई है तथा बिलासपुर सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन की कार्यवाही की जा रही है। रायपुर बरौदा मे 1.5 हेक्टेयर वन विभाग के स्वामित्व की भूमि उपलब्ध है। जगदलपुर एवं कांकेर में प्रसंस्करण इकाई स्थापित किये जाने हेतु वन विभाग द्वारा भूमि आवंटित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। वन भूमि आवंटन उपरांत प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना की जावेगी, जिससे राज्य में रोजगार एवं आय के साधनों में वृद्धि होगी तथा प्रदेश के लघु वनोपज संग्राहक लाभान्वित होंगे।

(xxiii) यूरोपियन कमीशन परियोजना :

यूरोपियन कमीशन द्वारा स्वीकृत अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्य परियोजना :

यूरोपियन कमीशन से स्वीकृत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वनाधारित जीविकोपार्जन की परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्य परियोजना वर्ष 2013-14 में किए जाने वाले कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

1 संसाधन सर्वेक्षण :

इस घटक के अंतर्गत लघु वनोपज संसाधन सर्वेक्षण का अंतिम प्रतिवेदन तथा पुस्तिका प्रकाशन का कार्य पूर्ण किया जावेगा ।

2 हर्बल हेल्थ केयर :

इस घटक के अंतर्गत इथनोबॉटनिकल सर्वेक्षण में प्राप्त वनौषधी योगों के आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के दल द्वारा सत्यापन पश्चात अग्रिम अनुसंधान हेतु प्रस्तावित योगों का CCRAS, New Delhi से अनुसंधान कार्य कराया जावेगा । परियोजना अंतर्गत स्थापित 50 वनौषधालयों के सतत् संचालन हेतु परंपरागत चिकित्सकों को पुनः प्रशिक्षित किया जावेगा तथा आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराया जावेगा ।

3 लघु वनोपज संग्रहण :

वर्ष 2013-14 में बस्तर संभाग में 58000 क्विंटल इमली के संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित कर जिला यूनियन, स्व-सहायता समूहों को सूचित किया गया है । संग्रहित किये जाने वाले इमली का प्रसंस्करण माइक्रोइंटरप्राइजेस द्वारा कराया जावेगा । अतिरिक्त इमली का भंडारण शीतगृहों में किया जाकर मांग के समय निविदा द्वारा विक्रय किया जावेगा ।

4 लघु वनोपज आधारित माइक्रोइंटरप्राइजेस :

इस वर्ष परियोजना लक्ष्य प्राप्त किए जाने हेतु शेष कार्य किए जावेंगे तथा स्वीकृत 93 माइक्रोइंटरप्राइजेस की सुदृढीकरण हेतु कार्यवाही किए जावेंगे । इसके तहत जगदलपुर में काजू प्रसंस्करण इकाई की स्थापना पूर्ण कर संचालित की जावेगी ।

5 विपणन :

इस घटक के तहत प्रसंस्कृत लघु वन उत्पाद, हर्बल उत्पादों के पैकेजिंग में सुधार, ब्राण्ड प्रमोशन का कार्य किया जावेगा । साथ ही संजीवनी केन्द्रों का सुदृढीकरण एवं विक्रय प्रगति बढ़ाने हेतु कार्यवाही किए जावेंगे ।

6 अनुसंधान विस्तार, एम.आई.एस एवं प्रमाणीकरण :-

परियोजना अंतर्गत अनुसंधान एवं विस्तार हेतु तकनीकी सहायता के लिए स्वीकृत परियोजनाओं से संबंधित कार्यवाही की जावेगी। एम.आई.एस. से प्राप्त जानकारी के आधार पर संचालित कार्यों की समीक्षा की जावेगी। साथ ही लघु वन/कृषि उत्पादों के लिए प्रमाणीकरण पर कार्य किया जावेगा।

7 क्षमता विकास :

इस घटक के तहत प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति, वन समिति, वन अमले का सशक्तिकरण तथा हितग्राहियों के प्रशिक्षण हेतु कार्यवाही किए जावेंगे।

8 स्व-सहायता समूहों एवं माइक्रोइंटरप्राइजेस का मूल्यांकन :

यूरोपियन कमीशन के तहत कार्यरत स्व-सहायता समूहों एवं संचालित माइक्रोइंटरप्राइजेस का Performance Appraisal किया जावेगा। साथ ही इनके सुदृढीकरण एवं सततता हेतु कार्यवाही की जावेगी।

(xxiv) लाख विकास योजना :

वर्ष 2013-14 में अधिक से अधिक हितग्राहियों को सम्मिलित करते हुये लाख पालन क्षेत्रों का विस्तार करने हेतु राज्य शासन द्वारा लाख विकास योजना मद से प्राप्त होने वाले राशि रु. 250.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।

(xxv) लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना :

वर्ष 2013-14 में लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना कर विनाशविहीन विदोहन के सिद्धांत पर क्षेत्र में पायी जाने वाली मुख्य वनौषधि प्रजातियों की पहचान करते हुये उनका संग्रहण एवं प्रसंस्करण के साथ ही साथ क्षेत्र के जैविक विविधता को बनाये रखने के उद्देश्य से सुरक्षा एवं संवर्धन का प्रयास किया जावेगा। वर्ष 2013-14 में प्रदेश के विभिन्न जिला यूनियनों में प्रति जिला यूनियन 1000 हेक्टेयर के मान से 20 नये लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की जावेगी। साथ ही साथ विगत वर्षों के स्थापित लोक संरक्षित क्षेत्रों के रख-रखाव का कार्य भी किया जावेगा। वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना मद से राशि रु. 250.00 लाख एवं संघ मद से रु. 400.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।

विषय क्रमांक - 4

विषय : वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये बजट की स्वीकृति ।

वर्ष 2013-14 के लिये संघ का अनुमानित बजट निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

अनुमानित व्यय

(अ) लघु वनोपज संग्रहण अनुमानित व्यय -

अ.क्र.	वनोपज का नाम	संग्रहण वर्ष	मात्रा	इकाई	दर (रूपयों में)	राशि (रु.लाख में)
1.	तेन्दूपत्ता (अग्रिम निविदा में विक्रय)	2013	16.438	लाख मा.बो.	1600.00 प्रति मा.बोरा	26300.800
2.	सालबीज	2013	40000.00	टन	5500.00 प्रति टन	2200.000
3.	हर्रा	2012-13	735.75	टन (अग्रिम)	8080.00 प्रति टन	102.122
			490.50	टन (विभागीय)	8700.00 प्रति टन	
		2013-14	2207.25	टन (अग्रिम)	8080.00 प्रति टन	306.366
			1471.50	टन (विभागीय)	8700.00 प्रति टन	
4.	कुल्लू गोंद	2012-13	22.80	टन (श्रेणी-I)	271100.00 प्रति टन	61.811
		2013-14	39.90	टन (श्रेणी-I)	271100.00 प्रति टन	135.248
			13.30	टन (श्रेणी-II)	203600.00 प्रति टन	
5.	धावड़ा, खैर बबूल, गोंद	2012-13	15.28	टन (धावड़ा)	29800.00 प्रति टन	8.725
			22.92	टन (खैर/बबूल)	18200.00 प्रति टन	
		2013-14	22.92	टन (अग्रिम)	29800.00 प्रति टन	17.309
		34.38	टन (विभागीय)	30480.00 प्रति टन		
योग						29132.381

(ब) लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास संबंधी परियोजनाओं पर अनुमानित व्यय -

अ.क्र.	परियोजनाओं के नाम	राशि (रु. लाख में)
1.	यूरोपियन कमीशन परियोजना	1.00
2.	भारत सरकार के आदिवासी मामले के मंत्रालय से लघु वन उपज कार्य हेतु प्राप्त अनुदान	200.00
3.	लाख विकास योजना	250.00
4.	पी.पी.ए. सरकार मद	287.50
5.	पी.पी.ए.संघ मद	400.00
6.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना	250.00
7.	राज्य शासन से चरणपादुका वितरण हेतु प्राप्त अनुदान	1500.00
8.	राज्य शासन से जनश्री बीमा हेतु प्राप्त अनुदान	250.00
योग		3138.50

(स) कार्यालयीन व्यवस्था व्यय (लाख में)

अ. क्र.	विवरण	वर्ष 2012-13 का बजट अनुमान	दिनांक 28.02.2013 तक का वास्तविक व्यय	वर्ष 2012-13 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2013-14 हेतु प्रस्ताव
1.	वेतन भत्ते	275.00	251.90	274.80	350.00
2.	चिकित्सा व्यय	25.00	20.62	22.49	30.00
3.	यात्रा भत्ता	12.00	10.62	11.59	15.00
4.	अन्य भत्ते/व्यय	30.00	7.80	8.51	20.00
5.	ई.पी.एफ. अंशदान	40.00	35.82	39.08	50.00
6.	पेन्शन अंशदान	20.00	14.42	15.73	20.00
7.	ग्रेज्युटी(उपादान)	100.00	46.25	50.45	100.00
8.	सेवानिवृत्त अवकाश नगदीकरण	10.00	80.79	88.13	50.00
9.	कर्मचारी बोनस	1.00	0.38	0.41	1.00
10.	लेखन सामग्री छपाई	12.00	8.83	9.63	15.00
11.	पोस्टेज/टेलीफोन	10.00	4.11	4.48	10.00
12.	भवन किराया /बिजली	20.00	13.75	15.00	20.00
13.	विज्ञापन प्रचार/प्रसार	20.00	24.77	27.02	40.00
14.	संचालक मंडल तथा आमसभा	5.00	1.03	1.12	5.00
15.	वाहन व्यय	15.00	11.09	12.10	20.00
16.	प्रशिक्षण	20.00	2.56	2.79	10.00
17.	विविध आकस्मिक	10.00	6.88	7.51	15.00
18.	अंकेक्षण शुल्क	50.00	26.74	29.17	50.00
19.	न्यायालयीन व्यय	4.00	2.56	2.79	4.00
20.	घसारा	250.00	0.00	200.00	250.00
21.	ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज	10.00	0.15	0.16	10.00
योग :-		939.00	571.07	822.96	1085.00

(द) पूंजीगत व्यय (लाख में)

1.	स्थायी संपत्ति हेतु प्रावधान	200.00	0.00	150.00	500.00
2.	शासकीय ऋण का भुगतान	50.00	0.00	0.00	50.00
3.	अंशपूजी क्रय	5.00	0.00	0.00	5.00
4.	वाहन खरीदी हेतु प्रावधान	50.00	4.17	4.55	50.00
5.	कार्यालयीन उपकरण एवं फर्नीचर क्रय	10.00	2.63	2.87	10.00
योग :-		315.00	6.80	157.42	615.00

अनुमानित आय

(अ) राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज निर्वर्तन से आय

वर्ष 2013-14 में वनोपज की बिक्री से रू. 47692.075 लाख प्राप्त होने का अनुमान है, जिसका वनोपजवार विवरण निम्नानुसार है :-

अ.क्र.	वनोपज का नाम	प्रस्तावित राशि (रूपये लाख में)
1.	तेन्दूपत्ता	43396.320
2.	सालबीज	3311.793
3.	हरा	727.950
4.	कुल्लू गोंद	222.891
5.	धावड़ा, गोंद	33.121
	योग	47692.075

उपरोक्त तालिका में दर्शायी आय का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
(अ)	तेन्दूपत्ता	
2.	वर्ष 2013 सीजन (कुल संग्रहण अनुमान 16.438 लाख मानक बोरा) हरे पत्ते के अग्रिम में विक्रित लाटों के संग्रहण अनुमान 16.438 लाख मानक बोरा के अनुमानित रू. 2600/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य का 90% राशि ।	38464.920
3.	वर्ष 2014 सीजन के हरे पत्ते के अग्रिम में विक्रित लाटों के संग्रहण अनुमान 16.438 लाख मानक बोरा के अनुमानित रू. 3000/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय प्राप्त विक्रय मूल्य का 10% राशि	4931.400
	योग	43396.320
(ब)	सालबीज	
1.	वर्ष 2011 संग्रहणकाल की अवशेष मात्रा 1.384 टन के रू. 4000/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	0.055
2.	वर्ष 2012 संग्रहणकाल की अवशेष मात्रा 3438.106 टन के रू. 6500/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य का 50% राशि	111.738
3.	वर्ष 2013 सीजन में अनुमानित संग्रहित मात्रा 40000 टन के रू. 8000/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	3200.000
	योग :-	3311.793

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
(स)	हरा	
1.	वर्ष 2007-08 संग्रहणकाल की अवशेष मात्रा 0.50 टन के रु. 800/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	0.004
2.	वर्ष 2009-10 संग्रहणकाल की अवशेष मात्रा 0.50 टन के रु. 2000/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	0.010
3.	वर्ष 2011-12 संग्रहणकाल की अवशेष मात्रा 2000.643 टन के रु. 7500/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	150.048
4.	वर्ष 2012-13 संग्रहित होने वाली मात्रा 3085 टन जो संग्रहित होगी के लिये रु. 8000/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	246.800
5.	वर्ष 2013-14 सीजन की संग्रहित होने वाली मात्रा 4905 टन की 75% मात्रा जो इस वर्ष संग्रहित होगी, के लिये रु. 10000/- प्रति टन की दर से विक्रय होने पर प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य का 90%	331.088
	योग :-	727.950
(द)	कुल्लू गोंद	
1.	वर्ष 2012-13 सीजन की वर्ष 2013-14 सीजन में संग्रहित होने वाली अवशेष 40% मात्रा 30.4 टन के रु. 301193/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	91.563
2.	वर्ष 2013-14 सीजन की संग्रहित होने वाली मात्रा 76 टन की 60% मात्रा जो इस वर्ष संग्रहित होगी, के लिये रु. 320000/- प्रति टन की दर से विक्रय होने पर प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य का 90%	131.328
	योग :-	222.891
(इ)	धावड़ा, गोंद	
1.	वर्ष 2002-03 की अवशेष मात्रा 0.14 टन के रु. 1200/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	0.002
2.	वर्ष 2012-13 सीजन की वर्ष 2013-14 सीजन में संग्रहित होने वाली अवशेष 40% मात्रा 38.2 टन के रु. 30000/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	11.460
3.	वर्ष 2013-14 सीजन की संग्रहित होने वाली मात्रा 95.5 टन की 60% मात्रा जो इस वर्ष संग्रहित होगी, के लिये रु. 42000/- प्रति टन की दर से विक्रय होने पर प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य का 90%	21.659
	योग :-	33.121
	महायोग आय :-	47032.771

(ब) विविध आय -

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
1.	वनोपज व्यापार से प्राप्त विविध आय	5000.00
2.	संघ की पूंजी (शीड केपीटल) के विनियोजन से प्राप्त आय	400.00
	योग :-	5400.00

(स) लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास संबंधी परियोजनाओं हेतु प्राप्त राशि -

अ.क्र.	परियोजनाओं के नाम	राशि (रु. लाख में)
1.	यूरोपियन कमीशन परियोजना	1.00
2.	भारत सरकार के आदिवासी मामले के मंत्रालय से लघु वन उपज कार्य हेतु प्राप्त अनुदान	200.00
3.	लाख विकास योजना	250.00
4.	पी.पी.ए. सरकार मद	287.50
5.	पी.पी.ए.संघ मद	400.00
6.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना	250.00
7.	राज्य शासन से चरणपादुका वितरण हेतु प्राप्त अनुदान	1500.00
8.	राज्य शासन से जनश्री बीमा हेतु प्राप्त अनुदान	250.00
	योग	3955.45

प्रारंभिक स्कन्ध

अ.क्र.	वनोपज का नाम	मूल्य (राशि रूपये लाख में)
1.	तेन्दूपत्ता	0.000
2.	सालबीज	111.793
3.	हर्रा	396.862
4.	कुल्लू गोंद (गोंद वर्ग-1)	91.563
5.	धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद (गोंद वर्ग-2)	11.462
	योग :-	611.680

अंतिम स्कन्ध का मूल्य

अ.क्र.	वनोपज का नाम	मूल्य (राशि रुपये लाख में)
1.	तेन्दूपत्ता	0.000
2.	सालबीज	0.000
3.	हर्रा	36.788
4.	कुल्लू गोंद (गोंद वर्ग-1)	14.592
5.	धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद (गोंद वर्ग-2)	2.407
	योग	53.787

आय एवं व्यय का संक्षिप्त विवरण

अ.क्र.	आय	राशि (रुपये लाख में)
1.	लघु वनोपज के बिक्री से आय	47692.075
2.	विविध आय	5400.000
3.	लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास के लिये प्राप्त राशि	3138.500
4.	अंतिम स्कन्ध का मूल्य	53.787
	महायोग	56284.362

अ.क्र.	व्यय	राशि (रुपये लाख में)
1.	कुल संग्रहण व्यय	29132.381
2.	कार्यालयीन व्यय	1085.000
3.	पूंजीगत व्यय	615.000
4.	लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास एवं विपणन पर व्यय	3138.500
5.	प्रारंभिक स्कन्ध का मूल्य	611.680
6.	प्राथमिक समितियों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक, अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय/विक्रय, भंडारण तथा प्रसंस्करण हेतु तथा घाटे वाली समितियों के घाटे की अस्थायी प्रतिपूर्ति हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली राशि	21301.801
	महायोग	55884.362

आधिक्य (लाख में)

कुल आय	56284.362
कुल व्यय	55884.362
संघ का शुद्ध लाभ	400.000

विषय क्रमांक - 5

विषय :- वर्ष 2011-12 के अंतिम वित्तीय पत्रकों पर अनुमोदन ।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित से 32 जिला वनोपज सहकारी यूनियन संबद्ध है । राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के संग्रहण एवं अन्य शासकीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राशि जिला वनोपज सहकारी यूनियनों को अग्रिम के रूप में प्रदाय की जाती है । उक्त राशि के व्यय उपरांत व्यय लेखे जिला यूनियन से प्राप्त कर संघ की लेखा पुस्तकों में समायोजित किया जाता है एवं इसी प्रकार विक्रय लेखों का समायोजन किया जाता है ।

जिला यूनियन खैरागढ़ को बार-बार लेख करने के बाद भी वर्ष 2011-12 का सही-सही वार्षिक लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः जिला यूनियन खैरागढ़ को छोड़कर शेष 31 जिला यूनियनों से प्राप्त लेखों का परीक्षण कर समायोजन उपरांत संघ के अंतिम पत्रक (व्यापार पत्रक/लाभ-हानि एवं स्थिति विवरण पत्रक) तैयार किये गये है, जिसकी प्रति अनुमोदन हेतु संलग्न है ।

उक्त तैयार वित्तीय पत्रक की प्रति अंकेक्षण के प्रयोजनार्थ पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, रायपुर को प्रेषित की जा चुकी है ।



C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR
AGENCY TRADING ACCOUNT FOR THE YEAR 2011-12

TENDU PATT A

PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT
To Opening Stock		184,898,047.60	By Sales		3,537,951,520.43
<i>Tendu Patta</i>	184,898,047.60		<i>Tendu Patta</i>	3,537,951,520.43	
To Purchase		1,188,320,193.41			
<i>Tendu Patta (Collection)</i>	1,188,320,193.41				
To Direct Expenses	0.00	219,476,886.07	By Direct Incomes		64,592,097.45
<i>Rebate on T.P. Sale</i>	15,417,209.04		<i>Interest & Other Income</i>	53,251,479.96	
<i>Godown Insurance Premium</i>	545,155.00		<i>Mis. Income Through D.U.</i>	11,340,617.49	
<i>M.F.P. Insurance Premium</i>	271,067.00				
<i>MFP Pluckers Ins sch (Janshree) Fed</i>	7,310,253.00				
<i>T.P. Collector's Group Insurance</i>	44,413,569.00		By Closing Stock		142,286,440.18
<i>Establishment Expenses of Societies</i>	21,241,633.74		<i>Tendu Patta</i>	142,286,440.18	
<i>Establishment & Adminst. Exp of D.U.</i>	129,946,295.35				
<i>Stationary and Printing</i>	210,831.94				
<i>Society Manager's Group Insurance</i>	120,872.00				
To People's Protected Area (Fed. Head) Tendupatta	21,281,957.00	21,281,957.00			
To Surplus		2,130,852,973.98			
TOTAL		3,744,830,058.06	TOTAL		3,744,830,058.06

SALSEED

PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT
To Opening Stock		37,255,087.75	By Sales		51,502,910.89
<i>Sal Seed</i>	37,255,087.75		<i>Sal Seed</i>	51,502,910.89	
To Purchase		29,864,445.46	By Direct Incomes		1,420,810.69
<i>Salseed Collection (Purchase)</i>	29,864,445.46		<i>Interest & Other Income</i>	1,420,810.69	
To Direct Expenses		366,588.00	By Closing Stock		22,945,447.18
<i>Godown Rent</i>	366,588.00		<i>SalSeed</i>	22,945,447.18	
To People's Protected Area (Fed. Head) Salseed	374,587.00	374,587.00			
To Surplus		8,008,460.55			
TOTAL		75,869,168.76	TOTAL		75,869,168.76

HARRA

PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT
To Opening Stock		2,521,334.00	By Sales		37,764,205.51
<i>Harra</i>	2,521,334.00		<i>Harra Sale</i>	37,764,205.51	
To Purchase		45,263,148.60	By Direct Incomes		41,805.68
<i>Harra Collection(Purchase)</i>	45,263,148.60		<i>Interest & Other Income</i>	41,805.68	
To Direct Expenses		0.00	By Closing Stock		13,511,419.33
<i>Rebate on Harra Sale</i>	0.00		<i>Harra</i>	13,511,419.33	
To People's Protected Area	907,540.00	907,540.00			
(Fed. Head) Harra					
To Surplus		2,625,407.92			
TOTAL		51,317,430.52	TOTAL		51,317,430.52

GUM

PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT
To Opening Stock		438,987.83	By Sales		15,904,860.87
<i>Gum</i>	438,987.83		<i>Gum Sale</i>	15,904,860.87	
To Purchase		14,115,877.16	By Direct Incomes		5,000.00
<i>Gum Collection (Purchase)</i>	14,115,877.16		<i>Interest & Other Income</i>	5,000.00	
To Direct Expenses		0.00	By Closing Stock		1,283,964.17
<i>Rebate on Gum Sale</i>			<i>Gum</i>	1,283,964.17	
To People's Protected Area	284,665.00	284,665.00			
(Fed. Head) Gum					
To Surplus		2,354,295.05			
TOTAL		17,193,825.04	TOTAL		17,193,825.04

DETAILS OF SURPLUS ON MINOR FOREST PRODUCE

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
Tendu Patta	2,130,852,973.98		
Harra	2,625,407.92		
Salseed	8,008,460.55	Gross Surplus	2,143,841,137.50
Gum	2,354,295.05		
TOTAL	2,143,841,137.50	TOTAL	2,143,841,137.50

Sd/-
SUPERINTENDENT

Sd/-
MANAGER (ACCTS.)

Sd/-
MANAGER (FINANCE)

Sd/-
ADD. MANAGING DIRECTOR

Sd/-
MANAGING DIRECTOR



C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR AGENCY PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR 2011-12

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
TO ESTABLISHMENT EXPENSES	34,969,223.00	BY GROSS SURPLUS B/F	2,143,841,137.50
<i>Salary & Wages</i>	21,980,711.00	BY INDIRECT INCOMES	512,472,769.27
<i>E.P.F.Adminstrative Charges</i>	666,103.00	<i>House Rent Licence Fees</i>	37,771.00
<i>Medical Expenses</i>	1,500,116.00	<i>Interest Earned on FDR</i>	434,387,150.80
<i>Travelling Expenses</i>	924,918.00	<i>Interest Earned on Saving Account</i>	9,232,269.61
<i>House/office Rent to Owner</i>	1,590,498.00	<i>Miscellaneous Income</i>	4,264,760.63
<i>Orderly Allowance</i>	696,572.00	<i>Vehicle Charges Recovered</i>	23,399.00
<i>Vehicle Insurance Charges</i>	81,695.00	<i>Interest recd. From Employee</i>	15,320.00
<i>E.P.F. Contribution Expenses</i>	3,475,800.00	<i>Misc.Received Under Information Rights</i>	3,093.00
<i>Pension Contribution Expenses</i>	1,718,496.00	<i>Godown Rent Received</i>	7,175,209.00
<i>Vehicle Expenses\Rent\Registration</i>	326,179.00	<i>Interest earned on FFD A/c</i>	38,451,718.00
<i>Petrol, Oil & Lubricant.</i>	1,014,374.00	<i>Profit on Writoff Vehicle</i>	96,952.23
<i>Bonus to Staff</i>	61,390.00	<i>Miscellaneous Income (Institutional Charges)</i>	68,263.00
<i>Children Education Allowance</i>	48,000.00	<i>Interest Earned on Group Leave Encashment Scheme</i>	864,902.00
<i>Group Gratuity Payment</i>	674,478.00	<i>Interest Earned on Group Gratuity</i>	5,274,714.00
<i>Group Gratuity Expenses</i>	171,772.00	<i>Profit & Loss Appropriation A/c (Group Gratuity Contribution)</i>	12,577,247.00
<i>Group Leave Encashment Premium & Others</i>	11,187.00		
<i>Group Leave Encashment Payment</i>	26,934.00		
TO INDIRECT EXPENSES	1,766,083.00	BY INTEREST EARNED ON FEDERATION SEED CAPITAL (APEX BANK)	38,155,028.00
<i>Conveyance Exp.</i>	2,400.00		
<i>Consumable Store</i>	1,256,610.00		
<i>Honorarium Exp</i>	33,283.00		
<i>Training exp</i>	472,000.00		
<i>Penalty/Fine</i>	1,790.00		

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
TO MANAGERIAL EXPENSES			4,896,460.77
<i>Stationary & Printing</i>	895,430.00		
<i>Books & Periodicals</i>	8,740.00		
<i>Postage & Telegram</i>	36,956.00		
<i>Electricity & Water Charges</i>	557,527.00		
<i>Advertisement Expenses</i>	1,436,224.00		
<i>Meeting Expenses</i>	206,913.00		
<i>Miscellaneous Expenses</i>	431,912.00		
<i>Vidhik Fees/litigation</i>	118,180.00		
<i>Gift/Prize</i>	29,107.00		
<i>Telephone Expenses</i>	489,160.00		
<i>Bank Charges</i>	682,838.77		
<i>Computer Exp</i>	3,473.00		
TO DIST.UNION COMMISSION	32.00		32.00
TO DEPERICIATION CHARGES	16,471,527.00		16,471,527.00
TO CONTRIBUTION TO APEX CO-OP. UNION	500.00		500.00
TO AUDIT FEES	4,552,108.00		4,552,108.00
TO PAYABLE TO SOCIETY			2,593,657,972.00
<i>TO INCENTIVE WAGES</i>	2,074,926,378.00		
<i>TO SALE PURCHASE & PROCESSING OF NON-NATIONALIZED MFP</i>	389,048,696.00		
<i>TO REVOLVING FUND</i>	129,682,898.00		
TO COMMISSION TO FEDERATION	1.00		1.00
TO SURPLUS TRANSFERRED TO FEDERATION	38,155,028.00		38,155,028.00
PROFIT & LOSS A/C			
TOTAL		2,694,468,934.77	TOTAL
			2,694,468,934.77

Sd/-
SUPERINTENDENT

Sd/-
MANAGER (ACCTS.)

Sd/-
MANAGER (FINANCE)

Sd/-
ADD. MANAGING DIRECTOR

Sd/-
MANAGING DIRECTOR



C.G. STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH' 2012

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
1000000000.00	AUTHORISED SHARE CAPITAL		1000000000.00				
	PAID UP SHARE CAPITAL		189,687,392.14		FIXED ASSETS		308,875,293.78
43,722,122.14	<i>From Govt. Of C.G.</i>	43,722,122.14		306,358,518.78	<i>Godown & Building</i>	308,875,293.78	
32,000.00	<i>Distt. Union</i>	32,000.00					
101,864,348.40	<i>National Co-Op. Development Crop</i>	101,864,348.40		6,551,474.76	VEHICLE (ASSETS)	10,148,759.49	10,148,759.49
5,447,622.40	<i>Social Justice & Empowerment</i>	5,447,622.40		25,376,108.14	FURNITURE AND DEAD STOCK	27,111,846.14	27,111,846.14
6,438,099.20	<i>Tribal & Minority Welfare</i>	6,438,099.20					
32,183,200.00	<i>Share Capital for NCDC Godowns from C.G. Govt.</i>	32,183,200.00			SUNDRY DEBTORS		15,613,606.22
	DEPOSITS AND LOANS BEARING INTEREST		9,604,417.00	12,821,220.00	<i>C.G. State co-op Marketing Fed., Raipur</i>	12,821,220.00	
4,642,860.00	<i>Margin Money Loan From M.P. Govt.</i>	4,642,860.00		50,000.00	<i>Security Deposits (With Distt. Court), Raipur</i>	50,000.00	
4,936,657.00	<i>Godown Loan From Central Govt.</i>	4,936,657.00		0.00	<i>Charanpaduka Purchase A/c</i>	2,742,386.22	
0.00	<i>Godown Loan From N.C.D.C</i>	24,900.00			INVESTMENT		175,000.00
	DEVELOPMENTAL PROJECTS		1,151,552,458.90	175,000.00	<i>Purchase of Share</i>	175,000.00	
59,327,664.00	<i>41-2406 Adivasi Up yojana-5091(PPA)</i>	44,587,386.00			LOANS & ADVANCES		61,684,448.15
93,370,679.00	<i>41-2406 Tribal Sub Plan 5231 Processing</i>	97,774,396.85		269,232,780.01	<i>Distt. Union Advance</i>	56,598,799.55	
123,187,503.48	<i>European Commission Project [10-2406-6725]</i>	141,455,441.98		454,256.00	<i>Advance To Staff</i>	543,319.00	
349,273,046.04	<i>Vaniki & Vanya Jeevan Project(10-2406-01-800)</i>	297,792,055.46		1,165.00	<i>Advance To Others</i>	1,165.00	
9,250,753.00	<i>Bastar Vikas Pradhikaran</i>	9,200,753.00		296,829.00	<i>Director Forest School Jagdalpur</i>	125,000.00	
3,150,051.00	<i>Sarguja/Jaspur Vikas Pradhikaran</i>	3,150,051.00		1,119,584.00	<i>D.F.O.Social Forestry Raipur</i>	0.00	
1,584,189.00	<i>UNDP-CCF-1 Bio Diversity Conservation Project</i>	7,257,717.11		562,750.00	<i>D.F.O.Social Forestry Bilaspur</i>	0.00	
63,743,422.00	<i>41-2406 Lac Development Project 6854</i>	64,316,591.00		114,292.00	<i>D.F.O.MIS Division Raipur</i>	114,292.00	
318,258,775.00	<i>Add Central Assistance Project (14-2406-102-5231)</i>	344,068,467.00		4,858,318.40	<i>Nagrik Apurti Nigam</i>	2,636,021.60	
677,572.00	<i>N.A.I.P Project (48)</i>	596,469.00		53,225.00	<i>Director Guru Ghansidas Nationak Park, Korea</i>	53,225.00	
37,555,040.00	<i>Lac Cultivation Project (SGSY)</i>	94,189,111.00		23,775.00	<i>Director Kangher Ghati N.P. Jagdalpur</i>	23,775.00	
2,319,500.00	<i>Tribal Co-operative Marketing Fed. Of India</i>	2,343,333.00		169,206.00	<i>CGCERT</i>	255,127.00	
6,210,668.50	<i>NATIONAL MEDICINAL PLANT BOARD (NMPB)</i>	5,264,831.50		500,000.00	<i>Ramkrishna Mission Ashram, Narayanpur</i>	1,100,000.00	

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
239,499.00	Chhattisgarh Biofuel Vikas Pradhikaran	132,649.00		0.00	G.S.L.I. Payment A/c	233,724.00	
12,009.00	International Development Research Center	12,009.00					
19,012.00	National Oil Seeds & Vegetable Oil Development Board	19,012.00			LIC (Group Gratuity)		25,392,425.00
20,000,000.00	State Govt. Project for Processing Centre-5231	19,266,022.00		0.00	Group Gratuity Contribution Fund	20,113,039.00	
0.00	Campa Cold Storage Buildings A/c	20,126,163.00		0.00	Interest Accrued From Group Gratuity Fund	5,279,386.00	
	FUNDS & RESERVES		534,309,015.89		LIC (Group Leave Encashment Fund)		9,194,449.00
18,871,492.40	Reserve Funds	23,780,403.18		7,656,248.00	Group Leave E. Contribution Fund	8,329,547.00	
186,035,504.03	Depreciation Funds	201,815,172.53		0.00	Interest Accrued From Group Leave Encashment Contribution Fund	864,902.00	
190,284,247.42	General Reserves & Funds	213,785,810.42					
6,026,373.06	Inventory Loss Funds	7,491,719.56		176.10	Bills Payable	176.10	176.10
15,995,869.24	Building & Vehicle Funds	19,146,364.22					
5,378,502.58	Co-operative Training & Publicity funds	6,843,849.08			F.D.R./C.D.R./S.D.R.		7,118,489,457.00
10,364,088.99	Share Capital Redemption Funds	13,294,781.99		0.00	F.D.R. (Union Bank of India)	1,050,000,000.00	
1,668,361.47	Co-op. Movement & Development Funds	1,907,965.42		380,221,075.00	FDR (Apex Bank) Fed Capital.	472,519,447.00	
879,496.20	Bad & Doubtful Debts Funds	1,172,565.49		24,140,000.00	Flexible FD (PNB 3358)	1,420,000.00	
45,070,384.00	Subsidy for Godowns From NCDC	45,070,384.00		0.00	FDR A/c State Bank of India	421,000,000.00	
	OTHERS PAYABLE & PROVISIONS		286,159,116.62	2,430,000.00	Flexible FD (PNB 69230)	0.00	
8,108,031.52	Cash Incentive to Govt. Employee (Old)	8,108,031.52		0.00	Flexible FD (BOB)	39,500,000.00	
7,534,525.79	Provision For Unadjusted Exp PPA	7,534,525.79		345,880,000.00	Flexible FD (PNB 191933)	111,550,000.00	
999.91	Provision for unadjusted T.P.Collection Exp.	999.91		50,656,690.00	FDR (SBIIndore) E.C.Project	0.00	
102,682,263.81	Provision for People's Protected area(Federation Head)	102,311,552.81		3,545,520.00	Flexible FD (SBI-54157)	0.00	
14,706,290.00	Provision for Audit Fees	16,924,145.00		60,664,988.90	Flexible FD (SBI-5823)	0.00	
3,000.00	Provision for Contribution to Apex Co-op. Union	3,500.00		1,507,900,000.00	FDR A/c (Bank of Baroda)	284,600,000.00	
49,545,237.00	Salseed Bonus Payable	49,545,237.00		1,500,000,000.00	FDR A/c (IDBI)	2,000,000,000.00	
69,706,091.51	Provision for Estb. and Admin. exp of Societies	15,915,151.59		400,000,000.00	FDR A/c (Indusland Bank)	13,500,000.00	
55,060,492.00	MFP Pluckers Group Ins.(Janshri Bima)Govt.(New A/c)	84,922,120.00		980,000,000.00	FDR A/c (UCO Bank)	0.00	
683,984.00	Group Gratuity Payable Ac	749,884.00		400,000,004.00	FDR A/c (PNB)	2,000,000,010.00	
0.00	Group Leave Encachment Payable A/c	143,969.00		0.00	FDR A/c (Andra Bank)	611,000,000.00	
				0.00	FDR A/c (Axis Bank)	113,400,000.00	

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
	PAYABLE TO SOCIETIES(C.G.)		5,119,442,094.31		BANK ACCOUNTS		155,753,780.37
2,479,140,474.51	<i>Incentive Wages to Pluckers C.G.</i>	3,229,753,794.32			CURRENT		
159,627,302.83	<i>Infrastructure Development C.G.</i>	143,052,446.83		500.00	<i>Apex Bank</i>	500.00	
80,278,788.57	<i>Development of Forest & Forest Produce</i>	41,432,238.57		98,860.00	<i>Bank of Baroda</i>	12,625.00	
645,282,597.18	<i>Revolving Fund</i>	774,965,495.18		23,181.62	<i>Central Bank of India</i>	25,257.62	
619,149,649.41	<i>Sale purchase processing of Non-nationalise MFP</i>	930,238,119.41		2,182,255.75	<i>S.B.Indore</i>	2,479,485.75	
299,522.00	REPAYABLE RECOVERIES	276,943.00	276,943.00	7,630.61	<i>Dena Bank</i>	7,256.61	
				302,418.48	<i>State Bank of India</i>	0.00	
	DUTIES & TAXES		21,639,651.78	38,199,661.72	<i>State Bank of India 823</i>	81,063,444.05	
23,528,426.75	<i>VAT</i>	0.00		934,968.00	<i>State Bank of India 157</i>	615,867.59	
21,151,246.96	<i>Forest Development Cess</i>	18,169,535.33			SAVING		
283,607.04	<i>Entery Tax (On sale)</i>	0.00		0.00	<i>Punjab National Bank(Ac414) saving</i>	21,374,344.17	
10,890,267.86	<i>Central Sales Tax (CST)</i>	0.00		7,657,360.32	<i>Punjab National Bank(Ac191933)</i>	5,848,075.60	
9,291,250.89	<i>Income Tax</i>	3,470,116.45		639,633.00	<i>Punjab National Bank(Ac199494)</i>	1,370,046.00	
	SUNDRY CREDITORS		114,700,934.63	271,545.32	<i>Indus Ind Bank</i>	214,843.85	
9,068.00	<i>F.R.L.H.T.</i>	9,068.00		138,024.73	<i>S.B.Indore (63011882888)</i>	264,667.73	
56,010,412.59	<i>Tendu Patta Purchasers</i>	73,506,681.93		1,302,613.01	<i>Apex Bank 10275</i>	48,738.01	
10,384,252.59	<i>Sal Seed Purchasers</i>	18,353,426.01		676,175.00	<i>Punjab National Bank(Ac1066000100092456)</i>	596,469.00	
760,076.72	<i>Harra Purchasers</i>	1,012,248.26		80,611.00	<i>S.B.Indore (63024319363)</i>	617,247.11	
248,281.92	<i>Gum Purchasers</i>	286,223.72		198,429,081.92	<i>Axis Bank Ltd. 44794</i>	1,194,330.68	
22,244,556.00	<i>Security Deposit other than M.F.P.</i>	21,152,367.71		40,088.00	<i>PNB 9230</i>	769,188.00	
383,757.90	<i>Collection Exp paid by purchaser</i>	0.00		335,444.60	<i>Axis Bank Ltd 80589</i>	90,922.60	
59,090.00	<i>TamilNadu Med.Plants and Herbal Med.Corp.</i>	59,090.00		33,569,005.47	<i>State Bank of India 28102</i>	20,221,156.00	
373,423.00	<i>Tirumalla Tirupati Dev Sthanam , Tirupati</i>	321,829.00		12,252,089.00	<i>State Bank of India 52352</i>	0.00	
118,793.78	<i>Charanpaduka Purchase A/c</i>	0.00		49,170.00	<i>PNB 3358</i>	48,571.00	
62,208,944.08	M.P.M.F.P.CO-OP. FED. BHOPAL A/c -1 (Annexure -A)	59,986,647.28	734,505,969.87	0.00	<i>PNB 3276 (Campa)</i>	18,126,163.00	
410,076,711.49	BIFURCATION DISPUTE WITH FED. BHOPAL A/c 2	410,260,025.99		0.00	<i>State Bank of India 6047</i>	27,554.00	
264,284,196.60	M.P.M.F.P.CO-OP. FED. BHOPAL A/C -3	264,259,296.60		0.00	<i>IDBI 1506</i>	737,027.00	

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
				102,722,658.68	INTEREST RECEIVABLE	179,082,750.00	179,082,750.00
4,572,008.71	SUSPENSE A/C	20,505,903.94	20,505,903.94	0.00	Loss Recoverable From State Govt.(Salseed)	0.41	0.41
28,889,590.59	Loss Recoverable From State Govt.(Salseed)	0.00	0.00	911,951.00	TAX DEDUCTED AT SOURCE RECEIVABLE	1,737,200.00	1,737,200.00
					GUNNY BAGS & TARPOLINE		14,104,395.78
				14,104,395.78	Gunny Bags & Tarpoline(Bhopal)	14,104,395.78	
	PROFIT & LOSS A/C		12.00		DUTIES & TAXES		65,363,049.77
11.00	A. Profit of Fed. (in Previouse year)	11.00		25,695,556.77	Commercial Tax	0.00	
	B. Profit of Current Year	38,155,029.00		16,564,829.00	Tax Deducted at Source (Bank)	57,441,667.00	
	Total	38,155,040.00		0.00	Entery Tax (On sale)	280,923.81	
	Less: Reserve Fund Created	38,155,028.00		0.00	VAT Receivable (2008-09)	7,640,458.96	
					CLOSING STOCK		180,027,270.86
				438,987.83	Gum	1,283,964.17	
				2,521,334.00	Harra	13,511,419.33	
				184,898,047.60	Tendu Patta	142,286,440.18	
				37,255,087.75	Sal Seed	22,945,447.18	
					CASH-IN-HAND		9,630,002.01
				11,481,464.00	FDR In Hand	9,630,000.00	
				2.01	Cash	2.01	
6,985,597,836.06	GRAND TOTAL		8,182,383,910.08	6,985,597,836.06	GRAND TOTAL		8,182,383,910.08

Note :-

- 1- Certain receivable/Payable under CST/VAT from financial year 2007-08 onwards are not accounted for in the books of accounts as these receivable/payable are subject to final assessment by VAT authorities which are subject to judgement of Hon'ble Supreme Court wide order No. S.L.P (c) No. 12588/2011 dated 23-02-2012 and at present provision amount is not ascertainable.
- 2- Various account heads of M.P.MFP Fed, Bhopal in which no transaction are made/no entries are passed from 01-11-2000 onwards are appearing in Balance sheet under group of Sundry Creditors as **Annexure "A"**

Sd/-
SUPERINTENDENT

Sd/-
MANAGER (ACCTS.)

Sd/-
MANAGER (FINANCE)

Sd/-
ADD. MANAGING DIRECTOR

Sd/-
MANAGING DIRECTOR



C.G. STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

Annexure "A" of Balance Sheet AS ON 31st MARCH' 2012

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT
2,263,000.00	Grant in Aid	2,263,000.00	852,942,793.11	Advance to Distt. Union(Bhopal)	852,942,793.11
1,400,000.00	M.F.P.Operation- Processing Units & Small Godowns	1,400,000.00			
2,227,000.00	NTPF Plantation (Medicinal Plants)	2,227,000.00			
38,150,000.00	Godown Assistance	38,150,000.00			
3,057,321.00	Subsidy for Godowns From TRIFED	3,057,321.00			
600,000.00	Subsidy for Small Godowns	600,000.00			
93,896,542.04	Provision for T.P.Trade & Administrative Charges (New)	93,896,542.04			
2,352,776.68	Provision for Harra Trade Expenses (New)	2,352,776.68			
3,963,288.56	Provision for Sal Seed Trade Expenses (New)	3,963,288.56			
1,461.84	Provision for Other Gum Trade Expenses (New)	1,461.84			
2,024.00	Provision for Kullu Gum Trade Expenses (New)	2,024.00			
260,901,689.23	Provision for T.P.Trade & Admin.Charges (Old)	260,901,689.23			
350,956.43	Provision for Mahua Trade Expenses	350,956.43			
3,684,541.50	Provision for Harra Trade Expenses (Old)	3,684,541.50			
19,919,699.20	Provision for Sal Seed Trade Expenses (Old)	19,919,699.20			
50,930,873.30	Incentive Wages to Pluckers(Bhopal)	50,930,873.30			
101,036,349.52	PROFIT TO SOCITIES(BHOPAL)	98,814,052.72			
330,350,213.89	ADVANCE FROM DISTT. UNION(BHOPAL)	330,350,213.89			
64,000.00	CASH IN TRANSIT	64,000.00			
915,151,737.19	GRAND TOTAL	912,929,440.39	852,942,793.11	GRAND TOTAL	852,942,793.11

62,208,944.08 Net transfered to Balance Sheet as M.P.M.F.P.CO-OP. FED. BHOPAL A/c -1 59,986,647.28

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
SUPERINTENDENT	MANAGER (ACCTS.)	MANAGER (FINANCE)	ADD. MANAGING DIRECTOR	MANAGING DIRECTOR

विषय क्रमांक - 6

विषय :- वर्ष 2003-04 के शुद्ध लाभ के विभाजन का अनुमोदन ।

वनोपज संघ की वित्तीय वर्ष 2003-04 की पारित अंकेक्षण प्रतिवेदन पंजीयक सहकारी संस्थायें, रायपुर से प्राप्त हो चुकी है । अंकेक्षण प्रतिवेदन में वनोपज संघ को वर्ष 2003-04 में 4,51,27,703.00 का शुद्ध लाभ प्रदर्शित हो रहा है । यह राशि राज्य सहकारी बैंक मर्यादित में विनियोजित संघ के कुल FDR से प्राप्त ब्याज की राशि है जिसमें वनोपज के विक्रय की अतिशेष राशि के FDR सम्मिलित हैं । वनोपज संघ की कार्यशील पूंजी के विनियोजन पर प्राप्त ब्याज की गणना पृथक से किये जाने पर यह राशि रूपये 1,33,25,156.00 होती है । वनोपज की अतिशेष राशि के विनियोजन से प्राप्त ब्याज की राशि रूपये 3,18,02,547.00 का शासन के निर्देशानुसार 70 प्रतिशत प्रोत्साहन पारिश्रमिक मद में, 15 प्रतिशत वन एवं वनोपज के विकास मद में तथा 15 प्रतिशत राशि मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु संबंधित मद में स्थानान्तरित करने की सलाह चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा दिये गये हैं, क्योंकि इस राशि पर वनोपज संघ का सीधा कोई अधिकार नहीं है ।

छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 43 एवं संघ के उप नियम 30 के अनुसार वर्ष 2003-04 में संघ की कार्यशील पूंजी के विनियोजन से अर्जित शुद्ध लाभ 1,33,25,156.00 का विभाजन विभिन्न मदों में किया जाना है । अतः वर्ष 2003-04 में अर्जित वनोपज संघ की शुद्ध लाभ का निम्न मदों में विभाजन हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार है -

क्रमांक	फंड का नाम	लाभ का प्रतिशत	राशि
1	रक्षित निधि फंड	33.5%	4463927.26
2	अंश पूंजी मोचन फंड	20%	2665031.20
3	इन्वेस्ट्री लॉस फंड	10%	1332515.60
4	सहकारिता आंदोलन के विकास फंड	3%	399754.68
5	सहकारिता प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण	10%	1332515.60
6	भवन एवं वाहन फंड	21.5%	2864908.54
7	संदिग्ध एवं डूबत निधि फंड	2%	266503.12
योग :-		100%	13325156.00

वनोपज संघ द्वारा अर्जित आय का उपरोक्त मदों में विभाजन संबंधी अनुमोदन संघ की वार्षिक साधारण आमसभा द्वारा किया जाता है, अतः संचालक मण्डल से प्रस्ताव पारित कराकर आमसभा के समक्ष प्रस्तुत है ।

विषय क्रमांक - 7

विषय :- वर्ष 2004-05 के शुद्ध लाभ के विभाजन का अनुमोदन ।

वनोपज संघ की वित्तीय वर्ष 2004-05 की पारित अंकेक्षण प्रतिवेदन पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, रायपुर से प्राप्त हो चुकी है । अंकेक्षण प्रतिवेदन में वनोपज संघ को वर्ष 2004-05 में 4,29,67,483.00 का शुद्ध लाभ प्रदर्शित हो रहा है । यह राशि राज्य सहकारी बैंक मर्यादित में विनियोजित संघ के कुल FDR से प्राप्त ब्याज की राशि है जिसमें वनोपज के विक्रय की अतिशेष राशि के FDR सम्मिलित हैं । वनोपज संघ की कार्यशील पूंजी के विनियोजन पर प्राप्त ब्याज की गणना पृथक से किये जाने पर यह राशि रूपये 1,34,78,685.00 होती है । वनोपज की अतिशेष राशि के विनियोजन से प्राप्त ब्याज की राशि रूपये 2,94,88,798.00 का शासन के निर्देशानुसार 70 प्रतिशत प्रोत्साहन पारिश्रमिक मद में, 15 प्रतिशत वन एवं वनोपज के विकास मद में तथा 15 प्रतिशत राशि मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु संबंधित मद में स्थानान्तरित करने की सलाह चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा दिये गये हैं, क्योंकि इस राशि पर वनोपज संघ का सीधा कोई अधिकार नहीं है ।

छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 43 एवं संघ के उप नियम 30 के अनुसार वर्ष 2004-05 में संघ की कार्यशील पूंजी के विनियोजन से अर्जित शुद्ध लाभ 1,34,78,685.00 का विभाजन विभिन्न मदों में किया जाना है । अतः वर्ष 2004-05 में अर्जित वनोपज संघ की शुद्ध लाभ का निम्न मदों में विभाजन हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार है -

क्रमांक	फंड का नाम	लाभ का प्रतिशत	राशि
1	रक्षित निधि फंड	33.5%	4515359.48
2	अंश पूंजी मोचन फंड	20%	2695737.00
3	इन्वेंट्री लॉस फंड	10%	1347868.50
4	सहकारिता आंदोलन के विकास फंड	3%	404360.55
5	सहकारिता प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण	10%	1347868.50
6	भवन एवं वाहन फंड	21.5%	2897917.28
7	संदिग्ध एवं डूबत निधि फंड	2%	269573.70
योग :-		100%	13478685.00

वनोपज संघ द्वारा अर्जित आय का उपरोक्त मदों में विभाजन संबंधी अनुमोदन संघ की वार्षिक साधारण आमसभा द्वारा किया जाता है, अतः संचालक मण्डल से प्रस्ताव पारित कराकर आमसभा के समक्ष प्रस्तुत है ।

विषय क्रमांक - 8

विषय:- वित्तीय वर्ष 2000-01 से 2004-05 तक के अंकेक्षण टीप, अंकेक्षण द्वारा उठाई गई आपत्तियों एवं आय-व्यय पत्रकों की स्वीकृति ।

पंजीयक सहकारी संस्थायें छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के निम्न वर्षों के अंकेक्षण कार्य पूर्ण कर अंकेक्षण टीप पारित कर इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई है ।

क्र.	वित्तीय वर्ष	अंकेक्षण टीप का क्रमांक एवं दिनांक
1	वर्ष 2000-01	क्रमांक 5595 दिनांक 09.05.2008
2	वर्ष 2001-02	क्रमांक 1657 दिनांक 16.04.2010
3	वर्ष 2002-03	क्रमांक 167 दिनांक 05.03.2012
4	वर्ष 2003-04	क्रमांक 4309 दिनांक 18.06.2012
5	वर्ष 2004-05	क्रमांक 1053 दिनांक 12.02.2013

उक्त वर्षों की पारित अंकेक्षण प्रतिवेदन, आय-व्यय पत्रक एवं बैलेंस सीट संबंधी प्रतिवेदन संलग्न प्रस्तुत है ।

अंकेक्षक द्वारा वर्ष 2000-01, 2001-02 एवं 2002-03 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का समाधानकारक प्रतिवेदन पंजीयक सहकारी समितियों को संघ के क्रमशः पत्र क्रमांक 10745 दिनांक 03.10.2009, क्रमांक 11491 दिनांक 29.09.2012 एवं पत्र क्रमांक 11493 दिनांक 29.09.2012 द्वारा भेजा जा चुका है । वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 के अंकेक्षण में उठाई गई आपत्तियों के निराकरण की कार्यवाही की जा रही है ।

अतः वनोपज संघ के वर्ष 2000-01 से 2004-05 तक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा दिये गये अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं प्रतिवेदन पर वनोपज संघ द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी प्रस्ताव संचालक मण्डल में पारित होने के उपरांत आम सभा के समक्ष प्रस्तुत है ।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के माननीय संचालक मण्डल

निर्वाचित संचालक

- ❖ माननीय श्री मुरारीलाल सिंह, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, रायपुर
- ❖ श्री सग्गे सिंग बट्टी, उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, रायपुर
- ❖ श्रीमती ब्रम्हानी चन्द्राकर, संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, रायपुर
- ❖ श्री रूप नारायण पाण्डे, संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, रायपुर
- ❖ श्री पुनीत राम सिन्हा, संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, रायपुर

नामांकित संचालक

- ❖ सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग
- ❖ प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग
- ❖ प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग

पदेन संचालक

- ❖ छ.ग. शासन के निर्देश पर भारत शासन के नामांकित अधिकारीगण
- ❖ प्रभारी सचिव, छ.ग.शासन आदिम जाति कल्याण विभाग या उनका प्रतिनिधि
- ❖ पंजीयक सहकारी संस्थाएँ या उनके प्रतिनिधि, जो संयुक्त पंजीयक स्तर से कम का न हो
- ❖ प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित
- ❖ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग
- ❖ अपर मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)/मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) वन विभाग

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित
ए-25, व्ही.आई.पी.इस्टेट, व्ही.आई.पी. क्लब के पास, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर

संघ मुख्यालय में कार्यरत अधिकारी

क्रमांक	अधिकारियों का नाम	संघ के पदनाम	विभागीय पद
1	2	3	4
1	श्री ए.के.सिंह (भा.व.से.)	प्रबंध संचालक	प्रधान मुख्य वन संरक्षक
2	श्री बी.एल.सरन (भा.व.से.)	अपर प्रबंध संचालक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
3	श्रीमती संजीता गुप्ता (भा.व.से.)	कार्यकारी संचालक	मुख्य वन संरक्षक
4	श्री व्ही.एस.लकड़ा (भा.व.से.)	महाप्रबंधक-1	वन संरक्षक
5	श्री राजेश नन्होरिया (भा.व.से.)	उप महाप्रबंधक	उप वनसंरक्षक
6	श्री एस.पी.रजक (भा.व.से.)	उप महाप्रबंधक	उप वनसंरक्षक
7	श्री एस.के.दत्ता	उप महाप्रबंधक (प्रणाली)	-
8	श्री यू.बी.एस.राठिया	प्रबंधक (वित्त)	उप पंजीयक
9	श्री सी.एल.ठाकुर	प्रबंधक (लेखा)	उप पंजीयक
10	श्री व्ही.के.सेन्दूर	उप प्रबंधक (उत्पादन/भंडारण)	संविदा पर
11	श्री एस.के.सरीन	सहायक लेखा अधिकारी	अंकेक्षण अधिकारी, सह.समितियाँ
12	श्री के.के.धनगर	स्टॉफ ऑफिसर	-

जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित के अध्यक्ष तथा संघ प्रतिनिधि

क्र.	जिला यूनियन का नाम	नाम	पद	पूर्ण पता	दूरभाष क्रमांक	
					कार्यालय	निवास
01	बीजापुर	श्री कुवरसिंह भज्जी	अध्यक्ष	ग्राम. केरपे, पो.करकेली, तह. भोपालपटनम, जिला बीजापुर	07853-220236	94790-10005 94076-44405
		श्री नीलम गनपत	संघ प्रतिनिधि	ग्राम-गुलापेटा पो.-चंदनगिरी तह. भोपालपटनम, जि.-बीजापुर	फैक्स-237241	94242-98885
02	सुकमा	श्री कट्टम देवा	अध्यक्ष	ग्राम व पोस्ट पोलमपल्ली, तह.कोटा, जिला द.ब. दंतेवाड़ा	07864-284209	75873-19925 97077-08736
		श्री कवासी रमेश	संघ प्रतिनिधि	ग्राम व पोस्ट रामाराम तह.कोटा, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	फैक्स-284300	
03	दन्तेवाड़ा	श्री चैतराम अटामी	अध्यक्ष	ग्राम कसोली छिंदनार, तह.गीदम, जिला दंतेवाड़ा	07856-252228	94060-75256
		श्री राजाराम नाग	संघ प्रतिनिधि	ग्राम चन्दीनार, पोस्ट कुमाररास, तह. एवं जिला दन्तेवाड़ा	फैक्स-252228	
04	जगदलपुर	श्री रामनाथ भारती	अध्यक्ष	ग्राम व पोस्ट घोटिया	07782-222414	94255-96842
		श्री केदारनाथ साहनी	संघ प्रतिनिधि	ग्राम माड़पाल, पोस्ट कुरन्दी, जिला बस्तर	फैक्स-223390	94077-99010 90098-36208
05	दक्षिण कोंडागांव	श्री तोलूराम शोरी	अध्यक्ष	ग्राम करमरी, पो.आ. जोड़ेकेरा, तह. कोंडागांव, जिला बस्तर	07786-242303	78282-80019 97556-39408
		श्री सुकदास शार्दुल	संघ प्रतिनिधि	ग्राम गिरोला, पोस्ट गिरोला, तहसील कोडागांव, जिला बस्तर	फैक्स-243402	94792-84500
06	उत्तर कोंडागांव	श्री हरिराम नाग	अध्यक्ष	ग्राम बेलगांव, पोस्ट धनोरा, तहसील केशकाल, जिला बस्तर	07786-242234	94792-86288
		श्रीमती राजकुमारी मरकाम	संघ प्रतिनिधि	ग्राम व पोस्ट बॉसकोट, तहसील केशकाल, जिला बस्तर	फैक्स-243493	88170-23706
07	नारायणपुर	श्री मैनुराम कुमैठी	अध्यक्ष	ग्राम-माहका, पोस्ट बिजली, जिला नारायणपुर	07781-252228	94242-76987
		श्री महादेव देहारी	संघ प्रतिनिधि	ग्राम-डूमरतरई, पोस्ट-वाकुलवाही, तहसील व जिला-नारायणपुर	फैक्स-252253	94076-17021 94242-87098
08	पूर्व भानुप्रतापपुर	श्री रघुनाथ कुमैठी	अध्यक्ष	ग्राम तहकाल, पो. तह. अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर	07850-252223	94790-67490
		श्री टीकम टांडिया	संघ प्रतिनिधि	ग्राम व पोस्ट भीरागांव, तह.भानुप्रतापपुर, जि.-उ.ब.कांकेर	फैक्स-252815	
09	पश्चिम भानुप्रतापपुर	श्री सोमारू राम कुरेटी	अध्यक्ष	ग्राम-माटपल्ली, पोस्ट-संगम, तह.-पंखाजूर, जिला उ.ब.कांकेर	07850-252242	94062-83725
		श्री दिवाकर बैरागी	संघ प्रतिनिधि	ग्राम-पी.व्ही.39, पोस्ट-पी.व्ही.38, तह.-पंखाजूर, जिला- उ.ब. कांकेर	फैक्स-252367	94076-39895
10	कांकेर	श्री विजय मण्डावी	अध्यक्ष	ग्राम+पो.उड़कुड़ा, तहसील चारामा,	07868-222006	94255-93844

				जिला उत्तर बस्तर, कांकेर		
		श्री सग्रे सिंह वट्टी	संघ प्रतिनिधि	ग्राम व पोस्ट धनसेरा, तह.नरहरपुर, जिला उ.ब.कांकेर	फैक्स-222173	97701-30301 97536-51100
11	राजनांदगांव	श्री शत्रुधन सिंह टेकाम	अध्यक्ष	ग्राम बोरियामुकासा, पो.-खड़गांव, तहसील मानपुर, जिला राजनांदगांव	07744-225059	94063-71238
		श्रीमती ब्रम्हानी चंद्राकर	संघ प्रतिनिधि	ग्राम अछेली, पोस्ट आमगांव, तहसील छुरिया, जिला राजनांदगांव	फैक्स-224802	99932-93118, 07745-256050
12	खैरागढ़	श्री मोतीराम उईके	अध्यक्ष/ संघ प्रतिनिधि	ग्राम खमपुरा, पो.बोरतालाब, तह.डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव	07820-234278 फैक्स-234822	97544-20366
13	दुर्ग	श्री यज्ञदत्त शर्मा	अध्यक्ष	ग्राम आमापारा, तहसील बालोद, जिला दुर्ग	0788-2327531	94255-61062
		श्री गंगाराम ठाकुर	संघ प्रतिनिधि	ग्राम कंजेली, तहसील बालोद, जिला दुर्ग	फैक्स-2210268	97546-17583
14	कवर्धा	श्री सुदर्शन साहू	अध्यक्ष	ग्राम व पोस्ट खैरबना, तहसील-कवर्धा, जिला कबीरधाम	07741-232230	94241-30730
		श्री पंचराम ध्रुवे	संघ प्रतिनिधि	ग्राम व पोस्ट कुकदुर, तह.-पण्डरिया, जिला कबीरधाम	फैक्स-232328	97559-03383
15	धमतरी	श्री अखिलेश प्रजापति	अध्यक्ष	ग्राम व पोस्ट गट्टासिल्ली	07722-238371	95756-89674 93017-36661
		श्री आलोक सिन्हा	संघ प्रतिनिधि	ग्राम पोस्ट नगरी, जिला धमतरी	फैक्स-236137	94242-19636
16	उदन्ती (गरियाबंद)	श्री नरोत्तम साहू	अध्यक्ष	ग्राम बोईरगांव, पो व तह मैनपुर, जिला रायपुर	07706-241350	99813-78111
		श्री पुनीत राम सिन्हा	संघ प्रतिनिधि	ग्राम छेलडोगरी, पोस्ट गोहरापादर, तहसील मैनपुर, जिला रायपुर	फैक्स-241407	93036-65152
17	पूर्व रायपुर	श्री रज्जन लाल खरे	अध्यक्ष	ग्राम बि.नवागढ़, पो.आ. एवं तह. बि.नवागढ़, जिला रायपुर	0771-2432095	78790-03596
		श्री रामनारायण	संघ प्रतिनिधि	ग्राम व पोस्ट फिनेश्वर, तह.राजिम जिला रायपुर	फैक्स-2432095	99932-30891
18	महासमुंद	श्री हितेश चन्द्राकर	अध्यक्ष	ग्राम + पोस्ट खुसरूपाली, जिला-महासमुंद (छ.ग.)	07723-222084	94242-05204
		श्री रविशंकर गोड़	संघ प्रतिनिधि	ग्राम डोंगरीपाली, पोस्ट-छोटे लोरम, जिला महासमुंद	फैक्स-223831	94064-04901
19	रायपुर	श्री जयलाल डडसेना	अध्यक्ष	मु.पो.रिकोकला, व्हाया सांकरा जोंक, जिला रायपुर (छ.ग.)	0771-2427640	93018-11955
		श्री बलभद्र सिंह ठाकुर	संघ प्रतिनिधि	ग्राम बरपानी, पो.सोनपुर व्हाया सांकरा जोंक, जिला रायपुर	फैक्स-2422413	93290-64321
20	बिलासपुर	श्री मनोहर सिंह राज	अध्यक्ष	ग्राम छतौना जिला बिलासपुर	07752-226082	97706-63771
		श्री तीजम सिंह मरावी	संघ प्रतिनिधि	ग्राम जुगली, पोस्ट सौफी, तह.-मस्तुरी जिला बिलासपुर	फैक्स-226082	81202-05764
21	मरवाही	श्री जयराम सिंह	अध्यक्ष	ग्राम पोस्ट मझगांवा, जिला बिलासपुर	07751-221000	
		श्री दयाल सिंह यादव	संघ प्रतिनिधि	ग्राम करगीखुर्द, पोस्ट-जोगीसार,	फैक्स-220180	97005-61528

				जिला बिलासपुर		
22	जाजगीर-चांपा	श्री जागेश्वरसिंह राज	अध्यक्ष	मुकाम पोस्ट देवरमाल, तह.जिला जाँजगीर-चांपा	07819-244622	93295-08924
		श्री चुन्नीलाल साहू	संघ प्रतिनिधि	ग्राम पोस्ट खिसोरा, थाना बलौदा तह. व जिला जाँजगीर- चाँपा	फैक्स-244622	99811-72172
23	रायगढ़	श्री नृपत सिंह राठिया	अध्यक्ष / संघ प्रतिनिधि	ग्राम-बैहामुड़ा, पो बैहामुड़ा, तह.घरघोड़ा, जिला रायगढ़	07762-224426 फैक्स-226047	93017-77396
24	धरमजयगढ़	श्री संतराम राठिया	अध्यक्ष	ग्राम कमरई, पोस्ट सुक्कालो, तह-लैलूंगा, जि.रायगढ़	07766-266231	94894-43476
		श्रीमती मनकुंवर राठिया	संघ प्रतिनिधि	ग्राम बरतापाली, पोस्ट-गेरसा, तह.-धरमजयगढ़, जिला रायगढ़	फैक्स-266231	97701-99553
25	कोरबा	श्री चमार सिंह	अध्यक्ष	ग्राम व पोस्ट केरवाँद्वारी जिला कोरबा	07759-221273	94790-28898
		श्री उधोराम कश्यप	संघ प्रतिनिधि	मुकाम सण्डैल, पोस्ट सरगबुंदिया, जिला कोरबा	फैक्स-223531	90099-39738
26	कटघोरा	श्री लीलाधर सिंह	अध्यक्ष	ग्राम व पोस्ट तिवरता, तहसील पाली, जिला कोरबा	07815-250157	83496-86176
		श्री अक्षय कुमार अग्रवाल	संघ प्रतिनिधि	ग्राम लखनपुर, पोस्ट सुतरा, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा	फैक्स-250157	98931-52833
27	जशपुरनगर	श्री बजरंग राम ध्रुव	अध्यक्ष	ग्राम बरपानी, पोस्ट लुडेग, तह.पत्थलगांव, जिला जशपुर	07763-223225	98930-04129
		श्री रामस्वरूप यादव	संघ प्रतिनिधि	ग्राम खैरापाठ, पोस्ट कामरिया, तहसील बगीचा, जिला जशपुर	फैक्स-220998	94061-27395
28	मनेन्द्रगढ़	श्रीमती इरावती वेक	अध्यक्ष	ग्राम मनवारी, पो. केल्हारी तह. मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया	07771-241349	96178-90804
		श्री जयपाल सिंह	संघ प्रतिनिधि	सनबोरा, पोस्ट कुंवारपुर, तहसील भरतपुर, जिला कोरिया	फैक्स-241743	
29	कोरिया	श्री रामनाथ सिंह कंवर	अध्यक्ष	ग्राम सरभोका, पोस्ट कुडेली, तह.बैकुंठपुर, जिला कोरिया	07836-232227	99772-10109
		श्री रूपनारायण पाण्डेय	संघ प्रतिनिधि	ग्राम मुड़ीझरिया, पोस्ट पतेरापाली, तह.बैकुंठपुर, जिला कोरिया	फैक्स-235564	94242-53575
30	दक्षिण सरगुजा	श्री संतोष सिंह	अध्यक्ष	ग्राम-सेंधोपारा (चन्द्रमेड़ा) जिला सरगुजा	07774-240238	97542-38097
		श्री मुरारीलाल सिंह	संघ प्रतिनिधि	ग्राम व पोस्ट डेडरी, सूरजपुर, जिला सरगुजा	फैक्स-240238	94252-70300 99771-77282
31	पूर्व सरगुजा	श्री हरिकिशुन सिंह	अध्यक्ष	ग्राम पहारपारा, पोस्ट परसा, जिला सरगुजा	07774-240765	76979-61471
		श्री करमदेव	संघ प्रतिनिधि	ग्राम ओंकारनगर, पोस्ट महाराजगंज, जिला सरगुजा	फैक्स-240916	
32	उत्तर सरगुजा	श्री सिंगाचंद सिंह	अध्यक्ष	ग्राम मायापुर, पो.-चन्दौरा, तहसील प्रतापपुर, जिला सरगुजा	07774-240339	90091-63555
		श्री कृष्ण मुरारी यादव	संघ प्रतिनिधि	ग्राम गाजर, पोस्ट रामचंदपुर, जिला सरगुजा	फैक्स-240224	96171-52921

